राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)
के अंतर्गत
विकेन्द्रित वितरित विद्युत उत्पादन
के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन
हेतु
वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद
संबंधी दिशानिर्देश

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत विकेन्द्रित वितरित विद्युत उत्पादन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद संबंधी दिशानिर्देश

भाग-। ः भूमिका

1. उद्देश्य

1.1 इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य उन सामान्य सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना है, जिनका '11वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विकेन्द्रित वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी) - ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं आवास विद्युतीकरण ' के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए वस्तुओं एवं कार्यों की खरीद के लिए, जब तक कि आरईसी अन्यथा सहमति न दे, अनुपालन किया जाएगा। कर्जदार/परियोजना के मालिक तथा परियोजना के लिए सामान एवं कार्य प्रदाताओं से संबंधित बोली संबंधी दस्तावेजों तथा संबंधित पार्टियों के बीच निष्पन्न संविदा द्वारा शासित होते हैं, न कि इन दिशानिर्देशों द्वारा।

1.2 गांवों के लिए विकेन्द्रित वितरित विद्युत उत्पादन पारंपरिक अथवा नवीकरणीय स्रोतों जैसे बायोमास, जैव ईंधन, बायो गैस, मिनी हाइड्रो, सौर ऊर्जा आदि से किया जा सकता है, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं है।

1.3 योजना के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) नोडल एजेंसी होगा। पात्र परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडी आरईसी के जरिए दी जाएगी। यदि परियोजनाओं को इस आदेश के मुताबिक संतोषजनक रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता तो पूंजी सब्सिडी को ब्याज वाले ऋण में बदल दिया जाएगा।

1.4 ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को अपना लेने हेतु संलग्न किया जाता है, जिसमें आवश्यक बोली प्रक्रिया के विवरण दिए गए हैं ।

i. बोली हेतु आमंत्रण - वाल्यूम-।
ii. बोलीदाताओं को अनुदेश-वाल्यूम -।
iii. ठेका की सामान्य निबंधन एवं शर्तें-वाल्यूम -।
iv. ठेका की उत्थापन शर्तें-वाल्यूम-।
v. ठेका की विशेष शर्तें -वाल्यूम-।ए

परियोजना के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद आरईसी से वित्तपोषण की पात्र होगी। उक्त बोली प्रक्रिया केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों(सीपीएसयू) की सहायता से परियोजना क्रियान्वयन के लिए तैयार की गई है, जैसा कि संबद्ध राज्य परियोजना क्रियान्वयन में सीपीएसयू की कुल भागीदारी की अपेक्षा करे ।

1.5 अधिप्राप्ति संबंधी दिशानिर्देश एवं बोली प्रक्रिया वहां पर भी आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी, जहां राज्य विद्युत यूटिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत आरईसी द्वारा स्वीकृत परियोजना का स्वयं क्रियान्वयन शुरू करेंगे। तद्नुसार इस बोली प्रक्रिया के उपर्युक्त सभी प्रावधान ऐसे मामलों में भी लागू होंगे।

1.6 डीडीजी परियोजनाएं राज्य सरकार के स्वामित्व की होंगी। परियोजनाओं की क्रियान्वयक एजेंसियां राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी/नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले विभाग या

राज्य की यूटिलिटियां अथवा अभिज्ञात सीपीएसयू होंगी। राज्य सरकार अपने-अपने राज्य के लिए क्रियान्वयन एजेंसी तय करेगी।

2. प्रमुख विचारणीय तथ्य

ठेका सौंपने तथा जमीनी स्तर पर इसे क्रियान्वित करते समय ये निम्नलिखित प्रमुख तथ्यों द्वारा शासित होंगे-

(क) निविदादाताओं/बोलीदाताओं को उचित एवं बराबरी का अवसर देते हुए सही समय तथा सही मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं, उपस्करों, सामग्रियों, कार्यों तथा सेवाएं उपलब्ध कराना ताकि व्यय की प्रत्येक इकाई के लिए इष्टतम मूल्य प्राप्त किया जा सके।

(ख) वस्तुओं, कार्यों तथा सेवाओं की अधिप्राप्ति समेत परियोजना के क्रियान्वयन में मितव्ययिता एवं कार्यकुशलता (ग) वस्तुं, कार्य और सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका देने हेतु सभी पात्र एवं अर्हताप्राप्त बोलीदाताओं को अवसर देना। (घ) स्थानीय, घरेलू ठेका एवं विनिर्माता/एजेंसियों के विकास को प्रोत्साहित करना। (ड.) अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा समय पर कार्रवाई।

3. दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

इन दिशानिर्देशों में इंगित प्रक्रिया '11वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विकेन्द्रित वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी) - ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं आवास विद्युतीकरण ' के क्रियान्वयन हेतु आरईसी द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित वस्तुओं एवं कार्यों के लिए सभी ठेकों पर लागू होती है।

4. पात्रता

प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों को आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए सामान, कार्य और सेवा प्रस्तावित करने की अनुमति है। प्रतिभागिता हेतु वही शर्तें होंगी जो विचाराधीन ठेकों को पूरा करने की प्रतिष्ठान की सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

पात्र बोलीदाता होंगे

राज्य एजेंसियां, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता, कारपोरेट घराने, उपस्कर विनिर्माता और ठेकेदार, स्व सहायता समूह, उपभोक्ता संघ, व्यक्ति विशेष, पंजीकृत सोसायटी, सहकारी, पंचायत, स्थानीय निकाय, उनके परिसंघ/एसपीवी/जेवी आदि आवेदन करने हेतु पात्र हैं। विशिष्ट ठेका के संबंध में क्षमता ज्ञात करने के लिए कर्जदार एवं सुपुर्दगीकर्ता बोलीदाताओं की आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय अर्हता सुनिश्चित कर सकते हैं।

कर्जदार द्वारा किसी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए परामर्श सेवा देने के काम पर लगाई गई कोई फर्म अथवा इसकी कोई सहायक फर्म इसके बाद वस्तुओं की पूर्ति, कार्य या सेवा प्रदान करने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

5.संयुक्त उद्यम

कोई भी फर्म घरेलू फर्मों के साथ संयुक्त एवं कई देयताओं की पुष्टि करते हुए स्वतंत्र रूप से या संयुक्त रूप से बोली लगा सकती है।

6. गलत अधिप्राप्ति

उन वस्तुओं एवं कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने हेतु आरईसी की सहायता नहीं दी जाएगी, जो इन दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं प्राप्त किए गए हैं।

7. धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार

यह ध्यान में रखना चाहिए कि ठेका सौंपने एवं इसके क्रियान्वयन से संबंधित सभी कार्य निष्पक्ष, नियमित, पारदर्शी और उच्चतम नैतिकता पर आधारित पर होने चाहिए। इसी प्रकार अधिप्राप्ति एवं ठेका क्रियान्वयन के दौरान बोलीदाता/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को उच्च नैतिकता का पालन करना चाहिए। उक्तके अनुसरण में-

(क) ठेका हेतु प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यदि यह पता चलता है कि ठेका हेतु अनुशंसित बोलीदाता और/या उसके कर्मचारी, उप-ठेकेदार, उप-विक्रेता एजेंट संबंधित ठेके हेतु प्रतिस्पर्धा के दौरान भ्रष्ट या धोखाधड़ी में लिप्त थे;

(ख) किसी ठेके के लिए आवंटित ऋण पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त कर दिया जाएगा, यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि ठेका प्राप्त करने या क्रियान्वयन के दौरान ठेकेदार और/या उसके कर्मचारियों, उप-ठेकेदारों, उप-विक्रेताओं, एजेंटों ने भ्रष्ट और अनुचित तरीका अपनाया,

(ग) ठेका सौंपने के लिए किसी फर्म को अनिश्चितकाल या एक निर्धारित समय तक के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि किसी भी समय यह पता चले कि उक्तफर्म ठेका के लिए प्रतिस्पर्धा करने या इसे क्रियान्वित करने में भ्रष्ट व अनुचित तरीके अपनाने में लिप्त रही है। उक्तप्रावधान के प्रयोजन से 'भ्रष्ट तरीका ' और 'धोखाधड़ी ' का अर्थ है

(i) 'भ्रष्ट तरीका ' का अर्थ है अधिप्राप्ति प्रक्रिया या ठेका निष्पादन में किसी सार्वजनिक अधिकारी के काम को प्रभावित करने के लिए कोई मूल्यवान चीज प्रस्तावित करना, देना, प्राप्त करना अथवा मांगना, और

(ii) ' धोखाधड़ी ' का अर्थ है अधिप्राप्ति प्रक्रिया या ठेका निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना जिसमें बोलीदाताओं के बीच मिलीभगत (बोली प्रस्तुति के पूर्व अथवा पश्चात) जिसका उद्देश्य बोली मूल्य को कृत्रिम, गैर-प्रतिस्पर्धी स्तर पर ले जाना हो।

भाग-।। घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली

1. सामान्य

1.1 भूमिका

घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली का उद्देश्य, जैसा कि इन दिशानिर्देशों में वर्णित है, सभी पात्र भावी बोलीदाताओं को कर्ज लेने वालों की आवश्यकता की समय पर जानकारी देना तथा आवश्यक वस्तुओं एवं कार्यों के लिए बोली लगाने हेतु समान अवसर प्रदान करना है।

सामान्यतः सभी अधिप्राप्ति एवं कार्य आउटसोर्स किए जाएंगे और ठेका सौंपने के जरिए किए जाएंगे। अधिप्राप्ति एवं कार्य में निर्माण एवं ओ एंड एम चरण के दौरान सभी उपस्करों/सामानों की अधिप्राप्ति तथा निर्माण/उत्थापन कार्य शामिल है।

1.2 ठेकों का प्रकार एवं आकार

1.2.1 बोली दस्तावेजों में निष्पन्न किए जाने वाले ठेके का प्रकार स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए और इसमें प्रस्तावित ठेका शर्तें शामिल होनी चाहिए।

विभिन्न ठेकों का आकार एवं कार्यक्षेत्र परियोजना की सघनता, प्रकृति एवं स्थान पर निर्भर करेगा।

परियोजना क्रियान्वयन 'बनाओ, चालू करो, रख-रखाव करो और सौंप दों' (बीओएमटी) आधार पर किया जाएगा जिसके अंतर्गत उपस्करों की डिजाइन एवं इंजीनियरिंग आपूर्ति एवं संस्थापना तथा पूर्ण सुविधा का निर्माण अथवा कार्य एक ठेके के अंतर्गत दिए जाते हैं। संयंत्र को पांच वर्ष के बाद चालू हालत में राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। सभी बदले हुए पाट्र्स राज्य सरकार को सौंप दिए जाएंगे।

1.3 अधिसूचना एवं विज्ञापन (एनआईटी)

प्रतिस्पर्धी बोली में बोली की सही समय पर अधिसूचना आवश्यक है। अधिप्राप्ति सूचना में कर्जदार, ऋण की राशि एवं प्रयोजन, डीसीवी के अंतर्गत अधिप्राप्ति की गुंजाइश तथा नाम, टेलीफोन (या फैक्स) नं. और अधिप्राप्ति के लिए जिम्मेवार कर्जदार की एजेंसी तथा उस वेबसाइट का पता जिस पर विशिष्ट अधिप्राप्ति सूचना लगाई जाएगी। बोली दस्तावेजों की उपलब्धता हेतु निर्धारित तारीख इंगित की जाए। संबद्ध बोली दस्तावेज लोगों के लिए अधिप्राप्ति सूचना के प्रकाशन से पूर्व सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

अधिप्राप्ति सूचना के रूप में बोली हेतु आमंत्रण कम से कम एक राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार में तथा क्षेत्रीय अखबार में और खुली पहुंच की सुविधा के साथ इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर विज्ञापित किया जाए। बोली की अधिसूचना पर्याप्त समय पूर्व दी जाएगी ताकि भावी बोलीदाता बोली दस्तावेज प्राप्त कर अपना जवाब भेज सकें।

1.4 बोलीदाताओं की अर्हक आवश्यकता

टर्नकी ठेकेदारों के लिए बोलीदाताओं की कतिपय आवश्यक अर्हता आवश्यक है।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बोली में प्रतिभागिता केवल उन तक सीमित हो, जिनके पास पर्याप्त क्षमता एवं संसाधन हैं, जैसे (i) बनाओ, चालू करो, रख-रखाव और हस्तांतरण आधार पर इसी प्रकार के ठेकों पर काम करने का अनुभव एवं पूर्व निष्पादन (ii) कार्मिकों, उपस्करों और निर्माण अथवा विनिर्माण सुविधा संबंधी क्षमता और (iii) वित्तीय स्थिति।

बोली संबंधी दस्तावेज

2.1 सामान्य

बोली दस्तावेजों में भावी बोलीदाताओं के लिए दिए जाने वाले सामानों और कार्य हेतु बोली तैयार करने के लिए सभी आवश्यक सूचना दी जाएगी। सामान्यतः बोली दस्तावेज में निम्नलिखित सूचना दी जाती है-

- बोली हेतु आमंत्रण
- बोलीदाताओं को अनुदेश
- ठेका के सामान्य निंबंधन एवं शर्तें
- ठेका की विशेष शर्तें
- बोली प्रपत्र एवं मूल्य सूची/बोली प्रस्ताव पत्र
- तकनीकी विनिर्देश
- तकनीकी डाटा शीट/आवश्यक सूचना पत्र
- सामानों की सूची या मात्राओं का बिल
- सुपुर्दगी का समय या पूरा करने का समय
- आवश्यक परिशिष्ट जैसे विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए प्रपत्र

बोली मूल्यांकन तथा न्यूनतम मूल्यांकित बोली के चयन का आधार बोलीदाताओं और/या विनिर्देशों के लिए तैयार अनुदेशों और/या विनिर्देशों में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। यदि बोली दस्तावेजों के लिए कोई शुल्क प्रभारित की जाती है तो यह उचित होना चाहिए और यह उनके मुद्रण तथा भावी बोलीदाताओं को इनकी सुपुर्दगी की लागत दर्शाएं तथा यह इतना अधिक न हो कि इससे अर्हता प्राप्त बोलीदाता हतोत्साहित हों। कर्जदार बोली दस्तावेजों के वितरण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का प्रयोग कर सकता है, बशर्ते कि उक्त प्रणाली समुचित एवं संतोषजनक हो। यदि बोली दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली बोली दस्तावेजों में संशोधन के परिहार के लिए सुरक्षित होगा और बोलीदाताओं की बोली दस्तावेजों तक पहुंच को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

कर्जदार परियोजना-विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए न्यूनतम प्रभार के साथ समुचित मानक बोली दस्तावेज का प्रयोग करेंगे। ऐसे किसी भी प्रकार के परिवर्तन केवल बोली या ठेका डाटा पत्र या ठेका की विशेष शर्तों के जरिए ही शुरू किए जाएंगे।

2.2 बोलियों की वैधता तथा बोली सुरक्षा

बोलीदाताओं को वैध बोलियां बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रस्तुत करनी होगी, जो अवधि कर्जदार को बोलियों की तुलना एवं मूल्यांकन करने तथा सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगी जिससे कि ठेका उस अवधि के भीतर सौंपा जा सके।

कर्जदारों को बोली सुरक्षा मांगने का विकल्प है। प्रयोग करने पर बोली सुरक्षा बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट राशि एवं प्रपत्र में दी जाएगी जो बोली की वैधता अवधि के बाद चार सप्ताह तक मान्य रहेगी ताकि यदि सुरक्षा की जरूरत पड़ी, तो कर्जदार को कार्य करने के लिए समुचित समय मिल सके। एक बार ठेका पर बोली प्राप्त करने वाले बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाए, तो उसके बाद बोली सुरक्षा राशि असफल बोलीदाताओं को लौटा दी जाएगी।

2.3 बोली दस्तावेजों की स्पष्टता

बोली दस्तावेज इस प्रकार तैयार किए जाएंगे जिससे कि प्रतिस्पर्धा को अनुमति एवं बढ़ावा मिले और यह निष्पन्न किए जाने वाले कार्य, कार्य-स्थल, आपूर्ति वाले सामान, वितरण या संस्थापना स्थल, वितरण या पूर्णता अनुसूची, न्यूनतम निष्पादन आवश्यकताएं, वारंटी एवं रख-रखाव संबंधी आवश्यकता तथा अन्य आवश्यक नियम एवं शर्तों को स्पष्ट रूप से इंगित करेंगे। इसके अलावा आवश्यकतानुसार, बोली दस्तावेज वितरित उपस्करों की विनिर्देशों से समरूपता तथा निष्पन्न कार्यों की विनिर्देशों से एकरूपता की जांच के लिए परीक्षण, मानक एवं पद्धति बताएंगे। सभी रेखाचित्र विनिर्देशों के पाठ के अनुरूप होंगे और इनमें प्राथमिकता क्रम विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

बोली दस्तावेज बोली मूल्यांकन के दौरान मूल्य के अलावा उन घटकों को भी विनिर्दिष्ट करेंगे जो बोलियों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा यह भी इंगित करेंगे कि इनका निर्धारण एवं मूल्यांकन किस प्रकार होगा। यदि वैकल्पिक डिजाइन, सामग्री, पूरा करने की समय तालिका, भुगतान शर्त आदि पर आधारित बोलियों को अनुमति है तो उनकी स्वीकार्यता की शर्तें तथा उनके मूल्यांकन का तरीका स्पष्ट बताया जाएगा।

सभी भावी बोलीदताओं को एक ही प्रकार की सूचना दी जाएगी और अतिरिक्त सूचना देने हेतु उन्हें समान अवसर दिए जाएगें। कर्जदार भावी बोलीदाताओं को परियोजना स्थलों का निरीक्षण करने का उचित अवसर देंगे । बोलियों की प्राप्ति के लिए निर्धारित समय-सीमा से पहले मूल बोली दस्तावेजों के प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को बोली दस्तावेजों से जुड़ी कोई भी अन्य सूचना, स्पष्टीकरण, शुद्धि या संशोधन संबंधी सूचना भेजी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर अंतिम समय-सीमा को बढ़ाया जाएगा।

2.4 मानक

बोली दस्तावेजों में उद्धृत मानक एवं तकनीकी विनिर्देश अधिप्राप्ति के अंतर्गत सामानों और/या कार्यों के लिए महत्वपूर्ण निष्पादन या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे। आरजीजीवीवाय के अंतर्गत डीडीजी हेतु आरईसी द्वारा जारी मानक विनिर्दिष्ट करेंगे।

2.5 मूल्य-निर्धारण

उपस्कर हेतु बोली एक्स-वर्क्स/एक्स फैक्ट्री (एफओआर) तथा गंतव्य-स्थान तक परिवहन और बीमा लागत आधार पर आमंत्रित की जाएगी। बोलीदाता को संस्थापना, आरंभन या बोलीदाता द्वारा निष्पादित की जाने वाली अन्य आवश्यक समान सेवा हेतु अलग-अलग मूल्य उद्धृत करना होगा।

टर्न-की परियोजनाओं के मामले बोलीदाता को स्थल पर संस्थापित उपस्करों की कीमत, उनकी आपूर्ति की कुल लागत, स्थानीय परिवहन एवं बीमा, संस्थापना तथा आरंभन और सम्बद्ध कार्य तथा ठेके में शामिल अन्य सभी सेवाओं के लिए कीमत उद्धृत करना होगा। यदि बोली दस्तावेजों में कीमत का कोई अन्य प्रावधान नहीं विनिर्दिष्ट किया गया, तो टर्न-की कीमत में सभी शुल्क, कर एवं अन्य प्रतिकर शामिल होंगे।

कार्य ठेका हेतु बोलीदाताओं को कार्य के निष्पादन के लिए यूनिट मूल्य अथवा एकमुश्त कीमत बतानी होगी और इन मूल्यों में सभी शुल्क, कर एवं अन्य प्रतिकर शामिल होंगे।

2.6 मूल्य में अंतर

बोली दस्तावेजों में यह बताया जाएगा कि या तो (i) बोली मूल्य निर्धारित होगा या (ii) ठेके के मुख्य घटकों, यथा श्रम, उपस्कर, सामग्री और ईंधन की लागत में हुए परिवर्तन के अनुसार मूल्य परिवर्तन किया जाएगा (बढ़ोत्तरी या कमी)। बारह महीनों के भीतर वस्तुओं की सप्लाई और/या कार्य पूरा करने से जुड़े ठेकों में मूल्य समायोजन प्रावधान सामान्यतः आवश्यक नहीं है, किन्तु इसे उन ठेकों में शामिल किया जाएगा जो बारह महीने के बाद भी जारी रहते हैं।

मूल्य समायोजन के परिकलन के उद्देश्य से (i) विभिन्न सामग्रियों के लिए सूची आईईईनएमए द्वारा प्रकाशित मानी जाएगी और अन्य स्रोत/प्रकाशन की सूची तभी मानी जाएगी जब आईईईएमए ऐसी सूचियां नहीं प्रकाशित करता है; और (ii) श्रम संबंधी सूची श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा प्रकाशित/घोषित होने पर ही मानी जाएगी। तद्नुसार बोली दस्तावेजों में उपयुक्तप्रावधान किए जाएंगे।

मूल्य समायोजन एक निर्धारित फार्मूला (या फार्मूलों) के द्वारा किया जा सकता है जो कुल मूल्य को ऐसे घटकों में विभाजित करता है जिन्हें प्रत्येक घटक के लिए विनिर्दिष्ट कीमत सूची द्वारा समायोजित या वैकल्पिक रूप से आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार द्वारा दिए गए दस्तावेजी साक्ष्य (वास्तविक मूल्य-सूची समेत) के आधार पर समायोजित किया जाता है। मूल्य समायोजन के लिए आवेदन हेतु तरीका, फार्मूला और आधार तारीख बोली दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे।

2.7 परिवहन एवं बीमा

बोली दस्तावेजों में बीमा का प्रकार एवं शर्त तथा बोलीदाता को दी जाने वाली परिवहन सुविधा इंगित की जाएगी।

2.8 भुगतान की शर्तें एवं तरीके

भुगतान शर्तें विशिष्ट वस्तुओं एवं कार्यों के लिए लागू वाणिज्यिक पद्धतियों के अनुसार होंगी:-

(i) वस्तुओं की आपूर्ति हेतु ठेके में ठेका आधारित माल की सुपुर्दगी और निरीक्षण, यदि आवश्यक हो, के अनुसार पूर्ण भुगतान का प्रावधान किया जाएगा, संस्थापना और आरंभन संबंधी ठेकों को छोड़कर

क्योंकि इनमें भुगतान का एक उचित हिस्सा आपूर्तिकर्ता द्वारा ठेके के अंतर्गत सभी शर्तों को पूरा करने पर दिया जाता है ।

(ii) संस्थापना कार्य संबंधी ठेके उचित संग्रहण अग्रिम के पात्र हो सकते हैं। वस्तुओं और कार्यों के लिए किसी ठेके पर हस्ताक्षर के आधार पर संग्रहण और समान व्यय हेतु कोई भी अग्रिम भुगतान इन खर्चों की अनुमानित राशि से संबंधित होगी। अग्रिम तथा अन्य अग्रिमों जैसे कार्यों के लिए स्थल पर भेजी गई सामग्री को भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा। बोली दस्तावेज अग्रिम भुगतान के लिए आवश्यक किसी भी प्रतिभूति हेतु प्रबंध इंगित करेंगे। बोली दस्तावेज भुगतान पद्धति तथा प्रस्तावित शर्त स्पष्ट रूप से बताएंगे।

2.9 मुद्रा प्रावधान तथा भुगतान की मुद्रा

बोली दस्तावेजों में बताया जाएगा कि बोलीदाता केवल भारतीय रूपए में बोली मूल्य बताएंगे। ठेका मूल्य का भुगतान भी केवल भारतीय रुपए में होगा।

2.10 ठेका की शर्तें

ठेका की शर्तों में जोखिम और दायित्वों का संतुलित आबंटन किया जाएगा। संबंधित दस्तावेजों में किए जाने वाले कार्य, कर्जदार तथा आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार के अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट बताए जाएंगे। ठेका की सामान्य शर्तों के अलावा विशिष्ट वस्तुओं या कार्यों के लिए विशेष शर्त और परियोजना स्थल शामिल किया जाएगा।

2.11 निष्पादन प्रतिभूति

कार्यों के लिए बोली दस्तावेजों हेतु ठेकेदार द्वारा ठेका शर्तों की अवहेलना करने की स्थिति में कर्जदार की सुरक्षा के लिए समुचित प्रतिभूति राशि रखने की जरूरत होगी। यह प्रतिभूति उचित प्रपत्र में बोली दस्तावेज में कर्जदार द्वारा विनिर्दिष्ट राशि के साथ दी जाएगी। कार्य के स्वरूप एवं आकार के मुताबिक प्रतिभूति राशि भिन्न-भिन्न हो सकती है। इस प्रतिभूति का एक हिस्सा कार्य पूरा होने की तारीख के बाद की अवधि को शामिल करेगा ताकि कर्जदार द्वारा अंतिम स्वीकृति तक खराबी या अनुरक्षण दायित्व भी इसमें शामिल की जा सके।

वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ठेके में कर्जदार किसी खास प्रकार के सामान के लिए बाजार की स्थिति तथा वाणिज्यिक पद्धति के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति की आवश्यकता भी निर्धारित कर सकता है और वारंटी संबंधी दायित्वों को शामिल करने के लिए समुचित प्रतिभूति पर फैसला कर सकता है।

2.12 परिसमापित हर्जाना

ठेका शर्तों में उचित राशि के लिए परिसमापित हर्जाना या ऐसे ही प्रावधान किए जाएंगे, जब वस्तुओं के वितरण, कार्यों की पूर्णता या निष्पादन में सामान पहुंचाने में विलंब हो।

2.13 अप्रत्याशित घटनाएं

ठेका शर्तें यह निर्धारित करेंगी कि यदि विफलता ठेका शर्त में यथा परिभाषित किसी अप्रत्याशित घटना के कारण हुई हो तो ठेके के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने, पार्टियों के विफल होने को चूक नहीं माना जाएगा ।

2.14 लागू कानून और विवादों का समाधान

ठेका शर्तों में लागू कानून, अदालतों का अधिकार क्षेत्र और विवादों के निपटान हेतु मंच से संबंधित आवश्यक प्रावधान शामिल किए जाएंगे। ठेका शर्तों में मध्यस्थता हेतु उचित प्रावधान शामिल करने की आवश्यकता होगी। किसी भी हालत में आरईसी को मध्यस्थ नहीं बनाया जाएगा और न ही किसी भी विवाद के समाधान में आरईसी कोई पार्टी बनेगी और न ही इसे किसी मध्यस्थ का नाम बताने को कहा जाएगा।

3. बोली खुलना, मूल्यांकन और ठेका सौंपना

3.1 बोलियों को तैयार करने हेतु समय

दस्तावेजों की बिक्री अवधि सामान्यतः 30 दिन रखी जाएगी। बोलियों को तैयार और प्रस्तुत करने हेतु समय का निर्धारण परियोजना की विशिष्ट परिस्थितियों तथा ठेके के आकार और जटिलता के मुताबिक किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बोली दस्तावेज की बिक्री की तारीख समाप्त होने से लगभग 7 दिन बाद होगी। बोलीदाताओं को अपनी बोलियां मेल से या निजी तौर पर जमा करने की अनुमति है। कर्जदार के स्वविवेक पर वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सहारा ले सकता है जिससे कि बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी बोली प्रस्तुत कर सके। बोलियों को प्रस्तुत और प्राप्त करने की अंतिम तारीख अनिवार्य रूप से बोली हेतु आमंत्रण में इंगित की जाएगी। बोली प्रस्तुति के लिए घोषित अंतिम तारीख के बाद प्रस्तुत/प्राप्त बोलियां अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

3.2 बोली खोलने की प्रक्रिया

बोली खोलने का समय बोलियों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख या उसके शीघ्र बाद होगी और बोली हेतु आमंत्रण में बोली खोलने हेतु नियत स्थान के साथ इस स्थान की घोषणा की जाएगी। कर्जदार नियत समय और स्थान पर सभी बोलियां खोलेगा। बोलियां सार्वजनिक रूप से खोली जाएंगी, अर्थात बोलीदाता या उनके प्रतिनिधियों को इसमें उपस्थित रहने की अनुमति होगी। बोलीदाता का नाम तथा प्रत्येक बोली और अन्य वैकल्पिक बोली की कुल राशि, यदि इसका अनुरोध या अनुमति है, जब इन्हें खोला जाए, स्पष्ट आवाज में पढ़ी और दर्ज की जाएगी ।

3.3 बोलियों का स्पष्टीकरण या परिवर्तन

बोली प्राप्त होने की अंतिम तारीख के पश्चात बोलीदाताओं से अपनी बोलियों को परिवर्तित करने का अनुरोध नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी। कर्जदार बोली खुलने के बाद बोलीदाताओं को अपनी बोलियों की सामग्री या मूल्य बदलने को नहीं कहेगा और न ही इसकी अनुमति देगा। स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध तथा बोलीदाताओं का जवाब लिखित रूप में, हार्ड कॉपी में और कर्जदार की संतुष्टि के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के द्वारा दिया जाएगा।

3.4 गोपनीयता

बोलियों के सार्वजनिक रूप से खुलने के बाद बोलियों की जांच, स्पष्टीकरण और मूल्यांकन करने तथा बोली सौंपने संबंधी सिफारिशें ठेका सौंपे जाने तक बोलीदाताओं या इस प्रक्रिया से शासकीय रूप से असंबद्ध व्यक्तियों को नहीं बताई जाएंगी।

3.5 बोलियों की जांच

कर्जदार यह सुनिश्चित करेंगे कि क्या बोली

(i) निधारित पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करती है

(ii) उचित रूप से हस्ताक्षरित है

(iii) के साथ निर्धारित अपेक्षित प्रतिभूति या हस्ताक्षरित घोषणा पत्र लगाया गया है

(iv) बोली दस्तावेजों में अंतर्विष्ट तथ्यों का अधिकांशतः पालन करते हैं, और

(v) सामान्यतः व्यवस्थित क्रम में हैं।

यदि कोई बोली अधिकांशतः अपेक्षाओं का पालन नहीं करती है अर्थात यदि इसमें बोली दस्तावेजों के नियम, शर्त और विनिर्देशों से भिन्नता है तो इस पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। एक बार बोली के खुल जाने पर बोलीदाता को तथ्यपरक भिन्नता या आपत्ति को ठीक करने या वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.6 बोलियों का मूल्यांकन एवं तुलना

बोली मूल्यांकन का उद्देश्य कर्जदार की प्रत्येक बोली की लागत इस प्रकार निर्धारित करना है जिससे कि उनकी मूल्यांकित लागत के आधार पर तुलना की जा सके। ठेका सौंपने हेतु न्यूनतम मूल्यांकित लागत वाली बोली को चुना जाएगा, किन्तु यह जरूरी नहीं है कि न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने वाली बोली को ठेका दिया जाए।

बोली खुलने के समय पढ़े गए बोली मूल्य को किसी प्रकार का अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। साथ ही मूल्यांकन के उद्देश्य से किसी गैर-तथ्यपरक विपथन या भिन्नता के लिए समायोजन किया जाएगा। ठेके के क्रियान्वयन की अवधि पर लागू मूल्य समायोजन प्रावधानों पर मूल्यांकन में विचार नहीं किया जाएगा।

बोलियों का मूल्यांकन एवं तुलना एक्स-वर्क्स/एक्स-फैक्ट्री तथा विनिर्माताओं द्वारा गंतव्य स्थान तक परिवहन तथा बीमा की लागत अपेक्षित मूल्य, संस्थापना, प्रशिक्षण, आरंभन और अन्य सेवाओं के आधार पर की जाएगी।

बोली दस्तावेजों में बोली मूल्यांकन में विचार किए जाने हेतु मूल्य के अलावा आवश्यक घटक तथा जो पद्धति न्यूनतम मूल्यांकित बोली निर्धारित करने के लिए अपनाई जाएगी, इंगित किए जाएंगे। वस्तुओं और उपस्करों के लिए भुगतान अनुसूची, वितरण समय, प्रचालन लागत, उपस्करों की कार्यकुशलता एवं उपयुक्तता, सेवा एवं स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता तथा संबद्ध प्रशिक्षण, सुरक्षा और पर्यावरणीय लाभ समेत अन्य घटकों पर विचार किया जा सकता है। यथासंभव न्यूनतम मूल्यांकित बोली निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त घटकों में मूल्य के अलावा अन्य घटक मौद्रिक रूप में अभिव्यक्त किए जाएं या इन्हें बोली दस्तावेज में मूल्यांकन प्रावधानों में सापेक्ष महत्व प्रदान किया जाए।

कार्यों और टर्नकी ठेकों के अंतर्गत ठेकेदार सभी शुल्कों, करों एवं अन्य प्रभारों के लिए जिम्मेवार होंगे और बोली तैयार करते समय बोलीदाता इन घटकों को ध्यान में रखेंगे। बोलियों का मूल्यांकन और तुलना इसी आधार पर होगी। कार्यों के लिए बोली मूल्यांकन पूर्णत: मौद्रिक रूप में होगा लेकिन यदि समय कम है तो बोली दस्तावेज में दी गई पद्धति के अनुसार कर्जदार के लिए शीघ्र कार्य पूरा करने के मूल्य को महत्व दिया जाए, बशर्ते कि ठेका की शर्तें गैर-अनुपालन हेतु समानुरूपी दंड हेतु प्रावधान हो ।

कर्जदार बोलियों के मूल्यांकन और तुलना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वह उन विशिष्ट कारणों का उल्लेख करेगा जिन पर ठेका सौंपने संबंधी सिफारिश आधारित है।

3.7 बोलियों की वैधता अवधि का विस्तार

कर्जदार बोलियों का मूल्यांकन और ठेका सौंपने का काम बोली वैधता की आरंभिक अवधि में ही दकरेंगे ताकि इसमें समय-विस्तार की जरूरत न हो। यदि आपवादिक परिस्थितियों में बोली वैधता का विस्तार उचित है, तो इसके लिए अंतिम तारीख समाप्त होने से पूर्व लिखित रूप में आवश्यक अनुमोदन तथा ठेका सौंपने हेतु अनुरोध किया जाएगा। नियत मूल्य ठेकों के मामले में द्वितीय एवं पश्चवर्ती विस्तार तभी दिए जाएंगे जब विस्तार अवधि में ठेका के लिए सामानों की लागत में परिवर्तन दर्शाने के लिए उद्धृत मूल्य के एक उचित समायोजन तंत्र हेतु प्रावधान हो। जब कभी भी बोली वैधता अवधि में विस्तार का अनुरोध किया जाता है, बोलीदाताओं को अपनी बोली के उद्धृत मूल्य या अन्य शर्तों को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोलीदाताओं को यदि बोली सुरक्षा की आवश्यकता है तो बोलीदाता यह विस्तार नहीं देने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है जबकि इससे उनकी बोली प्रतिभूति जब्त नहीं होगी। किन्तु जो अपनी बोली की वैधता बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें बोली सुरक्षा का उचित विस्तार देना होगा।

3.8 बोलीदाताओं की पश्चात्-अर्हता

इन दिशानिर्देशों में बोलीदाताओं की पूर्व-अर्हता शामिल नहीं है, इस कारण कर्जदार यह तय करेगा कि वह बोलीदाता जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित लागत प्रस्तावित करने हेतु निर्धारित की गई है, उसके पास बोली में प्रस्तावित ठेके को कारगर तरीके से पूरा करने के लिए क्षमता और संसाधन हैं अथवा नहीं। पालन किए जाने वाले मानदंड बोली दस्तावेज में बताए जाएंगे और यदि बोलीदाता इनका पालन नहीं करता है तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में कर्जदार अगले न्यूनतम मूल्यांकित लागत वाले बोलीदाता के लिए इसी प्रकार का निर्धारण करेगा।

3.9 ठेका सौंपना

कर्जदार बोली की वैधता अवधि के भीतर उस बोलीदाता को ठेका सौंपेगा जो क्षमता और संसाधन के उचित मानकों को पूरा करता है और जिसकी बोली निम्नलिखित प्रकार से पाई गई है

(i) बोली दस्तावेजों की जरूरतें पूरी करने वाला हो

(ii) न्यूनतम मूल्यांकित लागत प्रस्तावित करने के लिए हो

बोलीदाता से ठेका सौंपने की शर्त के रूप में बोली दस्तावेजों में निर्धारित नहीं किए गए कार्य या अन्यथा की जिम्मेवारी लेने या मूल रूप से प्रस्तुत बोली को संशोधित करने को नहीं कहा जाएगा।

3.10 सभी बोलियों की अस्वीकृति

बोली दस्तावेजों में सामान्यतः यह प्रावधान होता है कि कर्जदार के पास सभी बोलियों को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा। किन्तु बोलियों की अस्वीकृति तभी उचित है जब प्रभावी प्रतिस्पर्धा की कमी हो या बोलियां पर्याप्त रूप से अपेक्षानुरूप न हों। यदि सभी बोलियां अस्वीकृत की जाती हैं तो कर्जदार अस्वीकृत को सही ठहराने वाले कारणों की समीक्षा करेगा और नई बोलियां आमंत्रित करने से पहले ठेका शर्तों, डिजाइन और विनिर्देश, ठेका के कार्यक्षेत्र या इन सभी में संशोधन करने पर विचार करेगा।

यदि सभी बोलियों की अस्वीकृति प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण है, तो और अधिक व्यापक प्रचार पर विचार किया जाएगा। यदि अस्वीकृति अधिकांश या सभी बोलियों के अपेक्षानुरूप न होने के कारण है तो कर्जदार के स्वविवेक पर नई बोलियां केवल उन्हीं से आमंत्रित की जा सकती हैं, जिन्होंने पहले बोली प्रस्तुत की थी।

वाल्यूम-I

ठेका शर्तें
(आपूर्ति सह उत्थापन)
(घरेलू)

विषयवस्तु

क्र.सं.	विवरण	खंड	पृष्ठ संख्या
1.	बोली हेतु आमंत्रण	आईएनवी	14
2.	बोलीदाताओं हेतु अनुदेश	आईएनबी	17
3.	ठेका संबंधी सामान्य निबंधन एवं शर्तें	जीसीसी	42
4.	ठेका की उत्थापन शर्तें	ईसीसी	46
5.	अनुबंध	अनुबंध	61

भाग-आईएनवी
बोली हेतु आमंत्रण

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीआई) : ग्रामीण विद्युतीकरण बुनियादी सुविधा और आवास विद्युतीकरण योजना के अधीन टर्नकी आधार पर ..... राज्य के..... जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य

के लिए

बोली आमंत्रित करना (आईएनवी)

आमंत्रण जारी करने की तारीख ..... (घरेलू प्रतियोगी बोली)

1.0 ओ.....राज्य के ..... जिले में ग्राम और ग्रामीण आवासों के विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के निष्पादन हेतु ओ..... सरकार की सहमति से ओओ..... द्वारा ओओओ..... को सौंपा गया है ।

इस परियोजना का निष्पादन, रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) से ..... सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली वित्तीय सहायता से किया जाएगा और इस संविदा के अधीन इस परियोजना के निष्पादन के लिए सभी उचित अदायगियां ..... के साथ किए गए करार के अधीन ..... द्वारा किया जाएगा । इस परियोजना का स्वामित्व ..... के पास रहेगा ।

1.1 यह परियोजना निम्नलिखित पैकेजों के अधीन निष्पादित की जाएगी जिसके लिए घरेलू प्रतियोगिता बोली के अधीन मुहरबंद बोलियां आमंत्रित की जाती हैं :

आरईसी द्वारा स्वीकृत अनुमोदित परियोजना के अनुसार विवरण दिया जाए ।

2.0 कार्य का कार्यक्षेत्र

आरईसी द्वारा स्वीकृत अनुमोदित परियोजना के अनुसार विवरण दिया जाए ।

जैसा ऊपर बताया गया है, बोलीदाता किसी या सभी पैकेजों के लिए दरों का कोटेशन दे सकता है बशर्ते कि वह नीचे पैरा 4.0 में दिए गए प्रावधानों से संतुष्ट हो ।

2.1 उपर्युक्त कार्यक्षेत्र मात्र संकेतात्मक है । कार्य के विस्तृत क्षेत्र का उल्लेख बोली संबंधी दस्तावेजों में किया गया है, जो नीचे दिए गए अनुसार पैरा 9.0 में उल्लिखित पते पर देखने और बिक्री के लिए उपलब्ध है :-

बोली संबंधी दस्तावेजों का निरीक्षण और बिक्री	सभी कार्य दिवसों को दिनांक ..... से ..... समय..... से.....
बोली संबंधी दस्तावेजों की लागत	रुपए ..... (पर देय *.....ओओओ के पक्ष में जारी रेखांकित मांग ड्राफ्ट जो..... के पक्ष में ..... (स्थान) पर देय हो।

* ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ (¯) ®ÉVªÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ (¯) BÉEåpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ £É®É VÉÉAMÉÉ *

3.0 बोली संबंधी दस्तावेज अहस्तांतरणीय हैं और लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर इच्छुक फर्मों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा वापस न की जाने वाली निर्धारित रकम की अदायगी पर प्राप्त किए जा सकते हैं लेकिन बोली संबंधी दस्तावेजों को जारी करने का ही अर्थ यह नहीं होगा कि ऐसी फर्में, अपेक्षित अर्हता पूरी करती हैं ।

4.0 **विस्तृत अर्हक अपेक्षाएं** संबंधित पैकेज के बोली संबंधी दस्तावेज में दी गई हैं । संपूर्ण बोली संबंधी दस्तावेज, टेंडर आरेखों सहित *.**..... के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं । इच्छुक बोलीदाता बोली संबंधी दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकता है और समय बचाने के लिए उन्हें तैयार करना शुरू कर सकता है लेकिन उन्हें ..... *.** (बोली प्रस्तुत करने के लिए) से बोली संबंधी दस्तावेजों की खरीद करनी होगी जिन्हें दस्तावेज जारी करने वाले कार्यपालक द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित किया जाएगा । यदि संभावित बोली द्वारा डाउन लोड किए गए दस्तावेजों और *.**..... अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली संबंधी दस्तावेजों (टाइप प्रति) में कोई विसंगति हो तो अधिकारी द्वारा जारी की गई हार्ड कापी मान्य होगी ।

5.0 बोलियां नीचे पैरा 9.0 में उल्लिखित पते पर .....को अवश्य सौंपी जानी चाहिए । बोलियां, ऐसे बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों के सामने निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार प्राप्त की और खोली जाएंगी जो उपस्थित रहना चाहें ।

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय	समय..... से ....
बोली खोलने की तारीख और समय	समय..... से ....

6.0 सभी बोलियों के साथ अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में निम्नलिखित रकम की बोली प्रतिभूति भी प्रस्तुत की जाएगी । ऐसा न किए जाने पर बोली बिना खोले ही बोलीदाता को वापस कर दी जाएगी :

पैकेज सं.	रकम

7.0 सफल बोलीदाता, संबंधित पैकेज के लिए संविदा दिए जाने पर कुल संविदा की कीमत के दस प्रतिशत (10प्रतिशत) की संविदा कार्य-निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करेगा ।

8.0 अगर बोली दस्तावेज डाक से मंगाए जाते हैं और इनके खो जाने/देर से पहुंचने के लिए .....ओओओ जिम्मेदार नहीं होगा।

9.0 उपर्युक्त के बारे में सभी पत्राचार/संप्रेषण, जिसमें बोली संबंधी दस्तावेजों की खरीद और बोलियों का प्रस्तुतीकरण भी शामिल है, निम्नलिखित पते पर किया जाएगा :..... *.**.....

10.0 ..... *.**. को अधिकार है कि वह अपने निर्णय से किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताए रद्द/वापस ले सकता है। ऐसे निर्णय के परिणामतः ..... *.**. के पक्ष में कोई देयता नहीं बनेगी ।

.....आईएनवी समाप्त .....

भाग - आईएनबी
बोलीदाताओं हेतु अनुदेश

विषय-वस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	क. प्रस्तावना	
1.0	सामान्य निर्देश	21
2.0	बोलीदाताओं के लिए आवश्यक अर्हताएं	21
3.0	बोली की लागत	22
	ख. बोली संबंधी दस्तावेज	
4.0	बोली संबंधी दस्तावेजों की विषय-वस्तु	22
5.0	बोली संबंधी दस्तावेजों को समझना	23
6.0	बोली संबंधी दस्तावेजों से संबंधित स्पष्टीकरण	23
7.0	बोली संबंधी दस्तावेजों में संशोधन	24
	ग. बोली तैयार करना	
8.0	बोली की भाषा	24
9.0	स्थानीय शर्तें	24
10.0	बोली में शामिल दस्तावेज	25
11.0	प्रस्ताव का दायरा	25
12.0	बोली का मूल्य	26
13.0	मूल्य का आधार और अदायगी	27
14.0	कर और शुल्क	27
15.0	मूल्य का समायोजन	28
16.0	समय अनुसूची	29
17.0	संविदा गुणवत्ता आश्वासन	29
18.0	बीमा	30
19.0	अनुरक्षण संबंधी औजार और साज-सामान	30

20.0	ढांचा खड़ा करने के औजार और साज-सामान	30
21.0	ब्रैंड नाम	30
22.0	बोली गारंटी	31
23.0	बोलियों की वैधता अवधि	32
	घ. बोलियां प्रस्तुत करना	
24.0	बोली का प्रारूप	32
25.0	बोलियों पर हस्ताक्षर	33
26.0	बोलियों को मुहरबंद करना और उन्हें चिह्नित करना	34
27.0	बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	34
28.0	विलंब से प्राप्त बोलियां	35
29.0	बोलियों में संशोधन और बोलियां वापस लेना	35
30.0	प्रस्ताव के साथ भेजी जाने वाली अपेक्षित सूचना	35
	ङ बोलियां खोलना और उनका मूल्यांकन करना	35
31.0	बोलियां खोलना	36
32.0	बोलियों से संबंधित स्पष्टीकरण	36
33.0	प्रारंभिक जांच	36
34.0	परिभाषाएं और आशय	37
35.0	बोलियों की तुलना करना	38
36.0	नियोजक से संपर्क करना	39
	च. संविदा सौंपना	
37.0	संविदा सौंपने संबंधी मापदंड	39
38.0	किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी अथवा सभी को	

	अस्वीकार करने का अधिकार	39
39.0	संविदा सौंपने संबंधी अधिसूचना	39
40.0	संविदा पर हस्ताक्षर करना	40
41.0	संविदा कार्य-निष्पादन गारंटी	40

धारा - आईएनबी
बोलीदाताओं के लिए
क. प्रस्तावना

1-0 सामान्य निर्देश

1.1----------*.** (--------*.* की ओर से परियोजना कार्यान्वित करने वाला) इसके बाद जो----------*.**/ नियोजक के नाम से जाना जाएगा इसके साथ संलग्न विनिर्देशों के अनुसार उपलब्ध और किए जाने वाले उपस्कर के संबंध में बोली प्राप्त करेगा। सारी बोलियां इन्हीं विनिर्देशों के अनुसार तैयार और प्रस्तुत की जाएंगी।

2-0 बोलीदाताओं के लिए आवश्यक अर्हताएं

2.1 यह बोली ऐसे किसी उत्पादक अथवा निर्माता के लिए खुली है जो निम्नलिखित के संबंध में संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करे कि वह :

क. एक ऐसा अर्हता प्राप्त उत्पादक अथवा निर्माता है जो विनिर्दिष्ट उपस्कर का नियमित रूप से उत्पादन करता है अथवा उसे स्थापित करता है और उसके पास पर्याप्त तकनीकी ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव है;

ख. प्रस्तावित अवधि के दौरान स्वामित्व में किसी प्रकार की परिवर्तन की संभावना नहीं लगती है (यदि उसे इस प्रकार के परिवर्तन की संभावना लगती हो तो उस परिवर्तन के दायरे एवं प्रभाव को परिभाषित करे);

ग. कार्य के दायरों के मद्देनजर वित्तीय निहितार्थ को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त वित्तीय स्थिरता एवं क्षमता है (बोलीदाता को चाहिए कि वे पिछले पांच वर्षों के अपने लाभ एवं घाटा संबंधी लेखाओं और तुलन पत्र की कम से कम पांच प्रतियां जमा करें);

घ.(i) उत्पादकों के लिए :
उसके पास निर्धारित अवधि के भीतर कार्य को उचित रूप से एवं शीघ्रता के साथ पूरा करने के लिए पर्याप्त संयंत्र एवं उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। साक्ष्य में बोलीदाता अथवा उसके प्रमुख की स्थापित उत्पादन क्षमता और वर्तमान प्रतिबद्धताओं का (इस विनिर्देश के तहत निर्धारित कार्य को छोड़कर) लिखित ब्यौरा शामिल होना चाहिए। यदि मौजूदा प्रतिबद्धताएं ऐसी हों कि उनके कारण इस बोली के अनुरूप उपस्कर की आवश्यकता पूरी करने की विनिर्माण क्षमता, संस्थापित क्षमता, से कम पड़ जाए, तो इस उद्देश्य से बोलीदाता द्वारा की जाने वाली वैकल्पिक व्यवस्था का भी ब्यौरा दिया जाए, जो नियोजक के अनुमोदन के अनुरूप हो ।

(ii) उत्थापकों के लिए :

उसके पास निर्धारित अवधि के भीतर कार्य को उचित रूप से एवं शीघ्रता के साथ पूरा करने के लिए पर्याप्त संयंत्र एवं उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। साक्ष्य में बोलीदाता अथवा उसके प्रमुख की स्थापित उत्पादन क्षमता और वर्तमान प्रतिबद्धताओं का (इस विनिर्देश के तहत निर्धारित कार्य को छोड़कर) लिखित ब्यौरा शामिल होना चाहिए। यदि मौजूदा प्रतिबद्धताएं ऐसी हों कि उनके कारण

इस बोली के लिए उपस्कर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विनिर्माण क्षमता, संस्थापित क्षमता से कम पड़ जाए, तो इस उद्देश्य से बोलीदाता द्वारा की जाने वाली वैकल्पिक व्यवस्था का भी ब्यौरा दिया जाए, जो नियोजक के अनुमोदन के अनुरूप हो ।

ड. उसके पास विनिर्देशों और दस्तावेजों के अनुसार अपेक्षित उपस्कर को सफलतापूर्वक उत्थापित करने, परीक्षण करने और चालू करने के लिए आवश्यक क्षेत्र निर्माण एवं प्रबंधन सेवाओं के लिए पर्याप्त क्षेत्र सेवा संगठन उपलब्ध है; और

च. उसके पास उसके उत्पादन एवं क्षेत्र में स्थापित करने संबंधी कार्यकलापों दोनों के दौरान उपस्कर की विश्वसनीयता का उच्च स्तर प्राप्त करने हेतु स्थापित गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली एवं संगठन है।

2-1-1 भारत स्थित अधिकांश सार्वजनिक स्वामित्व के उद्यम अर्हता हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि अपेक्षित सभी अर्हताओं को पूरा करने के अतिरिक्त वे :

(क) ---------*** से वाणिज्य उन्मुख पृथक वैधानिक उद्यम हें और कोई सरकारी विभाग न हो;

(ख) वित्तीय रूप से स्वायत्तशासी हों तथा उनके संविधान में अलग लेखापरीक्षित लेखाओं और पूंजी संबंधी विवरणी का प्रावधान हो और वे ऋण ले सकते हों और माल अथवा सेवाओं की बिक्री से राजस्व प्राप्त कर सकते हों ; और

(ग) प्रबंधन की दृष्टि से स्वायत्तशासी हों ।

2-2 इसके अतिरिक्त, उन पर इसके साथ संलग्न " संविदा की विशेष शर्तों ' में दी गई अर्हता संबंधी अपेक्षाएं भी लागू हेंगी।

2-3 उक्त अर्हताएं न्यूनतम हैं और ---------*** के पास अधिकार है कि वह कोई अतिरिक्त सूचना के लिए मांग कर सकता है और उसे यह भी अधिकार है कि वह किसी बोलीदाता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है, यदि --------*** की राय में योग्यता संबंधी आंकड़ा पूर्ण नहीं है अथवा यह पाया जाता है कि बोली लगाने वाला इस संविदा को संतोषजनक पूरा करने में समर्थ और अर्ह नहीं है।

3-0 बोली की लागत

3.1 बोली दाता बोली-पश्चात परिचर्चाओं, तकनीकी एवं अन्य प्रस्तुतीकरण आदि सहित अपनी बोली की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण संबंधी सभी लागतों एवं खर्चों को वहन करेगा और ---------*** किसी भी स्थिति में उन लागतों के लिए जिम्मेदार अथवा उत्तरदायी नहीं होगा चाहे बोली प्रक्रिया का संचालन अथवा परिणाम जो भी हों।

ख. बोली संबंधी दस्तावेज

4.0 बोली संबंधी दस्तावेजों की विषय-वस्तु

4.1 आवश्यक सामान एवं सेवाएं, बोलीदाता की प्रक्रिया एवं संविदा अवधि का उल्लेख बोली दस्तावेज में किया गया है।

बोली हेतु आमंत्रण के अतिरिव्त, बोली दस्तावेज में निम्नलिखित धाराओं का संकलन होगा

क. बोलीदाताओं के लिए निर्देश - खंड आईएनबी (खण्ड-।)।
ख. संविदा की सामान्य शर्तें - खंड जीसीसी (खण्ड-।)।
ग. संविदा की निर्माण संबंधी शर्तें - खंड ईसीसी (खण्ड-।)।
घ. संविदा की विशेष शर्तें (खण्ड । ए)
ड़ बोली प्रपत्र एवं मूल्य अनुसूची (खण्ड । बी)
च. तकनीकी विनिर्देश (खण्ड ।।)।
छ. तकनीकी आंकड़ा पत्र (खण्ड ।।।)।

5.0 बोली संबंधी दस्तावेजों को समझना

5.1 किसी संभावित बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह बोली दस्तावेज में दिए सभी निर्देशों, प्रपत्रों, संभावित शर्तों एवं विनिर्देशों की जांच कर और अपने-आपको उन सभी शर्तों एवं मामलों के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट कर ले जो किसी भी तरह उनके कार्य के दायरे अथवा उस पर आने वाली लागत को प्रभावित करता हो। सभी अपेक्षित सूचनाएं बोली दस्तावेज में उपलब्ध नहीं करा पाने अथवा ऐसी बोली का जमा किया जाना, जो किसी भी दृष्टि से बोली दस्तावेज में आवश्यक विनिर्देशों को पूरा नहीं करता हो, बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी और इसके परिणामस्वरूप बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

6.0 बोली दस्तावेजों से संबंधित स्पष्टीकरण

6.1 यदि संभावित बोलीदाता विनिर्देशों एवं दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटियां अथवा कमियां पाता है अथवा वह किसी भाग के सही अर्थ के संबंध में संशय में हैं, तो वह तत्काल लिखित रूप से तीन प्रतियों में ----------*** को व्याख्या/स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करेगा। --------*** तब जैसा भी उचित समझे, लिखित में व्याख्या (व्याख्याएं) एवं स्पष्टीकरण देगा। ऐसी व्याख्या (व्याख्याओं) एवं स्पष्टीकरण (स्पष्टीकरणों) को प्राप्त करने के पश्चात, बोलीदाता बोली आमंत्रण हेतु निर्धारित तारीख एवं समय के भीतर अपनी बोली भेजेगा। ऐसी सभी व्याख्याएं एवं स्पष्टीकरण बोली दस्तावेज के भाग होंगे और बोलीदाता के प्रस्ताव के साथ संलग्न होंगे। कोई भावी बोलीदाता जो बोली दस्तावेज के संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण चाहता हो वह लिखित में --------*** को सूचित करेगा। --------*** बोली दस्तावेज से सबंधित ऐसे किसी स्पष्टीकरण के अनुरोध, जो वह --------*** द्वारा बोली जमा करने हेतु निर्धारित तिथि से पंद्रह (15) दिन पहले प्राप्त करता है, का उत्तर लिखित में देगा। --------*** की प्रतिक्रिया की लिखित प्रतियां (प्रश्न की व्याख्या सहित लेकिन स्रोत की पहचान किए बगैर) उन सभी भावी बोलीदाताओं को भेजी जाएगी जिन्होंने बोली दस्तावेज प्राप्त किया है।

6.2 ---------*** अथवा उसके कर्मचारी (कर्मचारियों) अथवा उसके प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा दिए गए मौखिक स्पष्टीकरण एवं सूचना के लिए --------*** जिम्मेदार नहीं होगा।

7.0 बोली संबंधी दस्तावेजों में संशोधन

7.1 बोलीदाताओं के जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तारीख से पहले, किसी भी समय, ----------*** किसी भी कारण से, चाहे वह उसके अपने द्वारा पहल किया गया हो अथवा किसी भावी बोलीदाता द्वारा स्पष्टीकरण के अनुरोध की प्रतिक्रिया के रूप में हो, बोली दस्तावेज में संशोधन (संशोधनों) द्वारा सुधार कर सकता है।

7.2 संशोधन के संबंध में लिखित में अथवा टेलीफेक्स अथवा तार द्वारा उन सभी भावी बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा जिनसे बोलीदाताओं से बोली दस्तावेज जारी करने हेतु अनुरोध पत्र में दिए गए पतों पर बोली दस्तावेज प्राप्त किया गया है। ----------*** इसके समय से प्राप्त न होने अथवा अन्यथा से उत्पन्न मुद्दे के लिए जिम्मेदार अथवा उत्तरदायी नहीं होगा।

7.3 भावी बोली दाताओं को संशोधन के मद्देनजर अपनी बोलियां तैयार करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के उद्देश्यार्थ --------*** अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए बोली जमा करने की अंतिम तिथि अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

7.4 ऐसे संशोधनों, स्पष्टीकरण आदि बोलीदाताओं के लिए बाध्य होंगे और बोलीदाताओं द्वारा अपनी बोली जमा करते समय उन पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों को वे बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

ग. बोली तैयार करना

8.0 बोली की भाषा

8.1 बोलीदाता द्वारा तैयार की गई बोली और बोली संबंधित सभी पत्राचार एवं दस्तावेज, बोलीदाता एवं ----------*** के बीच का पत्राचार अंग्रेजी में लिखा जाएगा, बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई मुद्रित सामग्री अन्य भाषा में हो सकती है बशर्ते कि संबंधित पैरा का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध कराया जाए। इसका अनुपालन नहीं किए जाने से बोली को अयोग्य करार दिया जा सकता है। बोली के विश्लेषण हेतु अंग्रेजी अनुवाद प्रामाणिक माना जाएगा ।

9.0 स्थानीय शर्तें

9.1 प्रत्येक बोलीदाता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह स्वयं को सभी स्थानीय शर्तों एवं तथ्यों, जिसका इन दस्तावेजों एवं विनिर्देशों में शामिल संविदा को कार्यान्वित करने पर प्रभाव पड़ सकता है, से स्वयं को अवगत करा लें। --------*** ऐसी स्थानीय शर्तों के संबंध में बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा।

9.2 इस बात को समझ लिया जाना चाहिए एवं इससे सहमत हो जाना चाहिए कि प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ऐसे तथ्यों के बारे में उचित रूप से छानबीन कर उन पर विचार कर लिया गया है -------*** द्वारा इन विनिर्देशों एवं दस्तावेजों के तहत प्रदान की गई संविदा के तहत किसी प्रकार का वित्तीय समायोजन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके कारण न तो संविदा की समय-सीमा न ही वित्तीय समायोजन, जो स्पष्ट सूचना की कमी

के कारण अथवा उसके कारण बोलीदाता के कार्य की लागत पर पड़ने वाले प्रभाव आधारित है, में किसी तरह का परिवर्तन नियोजक द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

10.0 बोली में शामिल दस्तावेज

10.1 बोलीदाता उपर्युक्त खण्ड 4.0 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार बोली दस्तावेज में उपलब्ध मूल्य सूची, तकनीकी आंकड़े आदि को शामिल करते हुए बोली फार्म भरेंगे और उसमें पूर्ति की जाने वाली सामग्री एवं दी जाने वाली सेवाओं, सामग्री और सेवाओं की मात्रा एवं मूल्यों का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा।

10.2 बोलीदाता ऐसे दस्तावेज भी प्रस्तुत करेंगे जिनसे यह पता चलता हो कि वह आवश्यक अर्हता, जैसाकि उपर्युक्त पैरा 4.2 में दिया गया है, को पूरा करता है और यह संविदा की विशेष शर्तों के साथ होना चाहिए।

10.3 धारा आईएनबी के खण्ड 22.0 के अनुसार बोली गारंटी को पृथक लिफाफे में जमा किया जाएगा।

11.0 प्रस्ताव का दायरा

11.1 प्रस्ताव का दायरा एकमात्र बोलीदाता की जिम्मेदारी पर आधारित होगा जिसमें संलग्न तकनीकी विनिर्देशों के तहत निर्धारित सभी उपस्कर एवं उसके निर्माण पूर्ण रूप से शामिल होगा। इसमें निम्नलिखित शामिल होगा :

क. उपस्कर का विस्तृत डिजाइन

ख. कार्य स्थल परीक्षण सहित पूर्ण विनिर्माण

ग. ---------*** के अनुमोदन हेतु इंजीनियरी ड्राइंग, डाटा, संचलनात्मक पुस्तिका आदि उपलब्ध कराना;

घ. पैकेजिंग एवं उत्पादन स्थल से साइट तक ले जाने हेतु परिवहन व्यवस्था;

ड. साइट पर उपस्कर की प्राप्ति, संग्रहण, संरक्षण एवं सुरक्षा;

च. सभी उपस्करों की प्री-एसेम्बली, यदि कोई करनी हो, उत्थापन, परीक्षण एवं चालू करना;

U. कमीशन करने का काम पूर्ण होने पर विश्वसनीयता परीक्षण और कार्यनिष्पादन एवं गारंटी
परीक्षण।

ज. उपस्कर का गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र

11.2 वे बोलियां जो निम्नलिखित खंडों से जुड़े प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगीं उन्हें प्रतिकूल समझा जाएगा :

क) **बोली गारंटी :** खण्ड 22.0, धारा आईएनबी, खण्ड-।, संविदा की शर्तें।

ख) **मूल्य आधार एवं भुगतान और मूल्य समायोजन :** खण्ड 13 एवं 15, धारा आईएनबी, खण्ड-।, संविदा की शर्तें।

ग) **संविदा कार्यनिष्पादन गारंटी :** खण्ड 41.0, धारा आईएनबी, खण्ड ।, संविदा की शर्तें।

घ) **परिसमापन क्षति :** खण्ड 14.0, धारा जीसीसी, खण्ड ।, संविदा की शर्तें।

ड.) **गारंटी :** खण्ड 15.0, धारा जीसीसी, खण्ड ।, संविदा की शर्तें।

च) **भुगतान :** खण्ड 34.0, धारा जीसीसी, खण्ड ।, संविदा की शर्तें।

-------*** किसी बोली की उपयुक्तता का निर्धारण बिना किसी बाहरी साक्ष्य के बोली की विषय-वस्तु से ही करेगा।

11.3 ऐसी बोली जिसमें उपर्युक्त कार्यों के संपूर्ण दायरे को शामिल नहीं किया गया है उसे अपूर्ण समझा जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

12.0 बोली की कीमत

12.1 बोलीदाता संपूर्ण कार्य के लिए बोली प्रपत्र की उचित सूची में एकमुश्त रकम भरेगा और बोलीदाता इस संविदा के तहत जिस सामग्री की पूर्ति करने का प्रस्ताव करता है वह उसके बेस मूल्य के साथ-साथ मूल्य समायोजन के आधार पर यूनिट दर भी लिखेगा, बशर्ते कि संविदा की विशेष शर्तों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

12.2 बोलदाता बोली प्रपत्र की उपयुक्त सूचियों में मूल्य विवरण भी देगा ताकि निम्नलिखित दर्शाया जा सके :

i. उपस्कर/सामग्री (टूल्स एवं टैकल्स आदि सहित) का कार्योत्तर मूल्य।

ii. उपस्कर/सामग्री को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन एवं बीमा प्रभार।

iii. सामग्री उतारने, भंडारण करने, बीमा, उत्थापन करने (निर्माण अवधि के दौरान के बीमा सहित) परीक्षण एवं चालू करने की एकमुश्त लागत।

iv. --------*** एवं बोलीदाता के बीच सामानों का हस्तांतरण पर दिए जाने वाला विक्रय कर और कोई अन्य सांविधिक प्रभार।

v. संविदा/तकनीकी विनिर्देशों के विशेष शर्तों के तहत किसी अन्य प्रकार का प्रभार।

13.0 मूल्य का आधार और अदायगी

13.1 बोलीदाता अपने प्रस्तावों में बोली प्रस्ताव पत्रों हेतु यथा अपेक्षित तकनीकी विनिर्देशों के अंतर्गत शामिल कार्य के संपूर्ण दायरे हेतु एकमुश्त मूल्य का उल्लेख करेगा जो कि बेस मूल्य के साथ-साथ बढ़ते हुए मूल्य पर आधारित होगा, बशर्ते कि संविदा की विशेष शर्तों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। बोलीदाता यदि विनिर्दिष्ट मूल्य प्रणाली के इतर मूल्य कोट करता है तो उसकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

13.2 बोलीदाता बोली का मूल्य केवल भारतीय रूपए में ही लगाएगें।

14.0 कर और शुल्क

14.1 घटकों, उनके सब-एसेम्बली, कच्ची सामग्री और उपस्करों की खरीददारी करते समय बोलीदाता और उनके वेंडर/सब-सप्लायरों के बीच हुए अंतरण के दौरान लगे सभी उत्पाद कर, बिक्री कर एवं अन्य सांविधिक शुल्क बोली मूल्य में शामिल किये जाएंगे और इस संबंध में किसी तरह का कोई दावा --------*** नहीं स्वीकार करेगा।

तथापि, खरीदे गये अंतिम मदों सहित (जैसा कि संविदा में अभिनिर्धारित किया गया हो) आपूर्ति के सभी मदों, जो कि सब-वेंडर्स के कार्य स्थल से नियोजक साइट (सेल-इन-ट्रंजिट) पर सीधा भेजा जाएगा, से संबंधित गंतव्य साइट/राज्य हेतु लगने वाला चुंगी/प्रवेश शुल्क बोली मूल्य में शामिल नहीं किये जाएंगे। आपूर्ति की उपरोक्त मदों पर लगने वाले प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति संविदाकार को ---------*** द्वारा पृथक रूप से की जाएगी, बशर्ते वह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करे।

इसके अतिरिक्त, वे सेवाएं जो बोलीदाता द्वारा सीधी ---------*** को उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं अर्थात परिवहन एवं बीमा पर लगने वाले सेवा कर को बोली मूल्य में शामिल किया जाएगा और ऐसे किसी अतिरिक्त कर का वहन बोलीदाता करेगा और इससे संबंधित कोई पृथक वसूली ---------*** नहीं स्वीकार करेगा। तथापि, सेवा कर के दायरे का मूल्यांकन किया जाएगा और यदि यह कर बोली दाता द्वारा नियोजक को सीधी उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं अर्थात टाइप परीक्षण, उत्थापन, परीक्षण एवं चालू करने पर लागू होता है तो इन करों को बोली में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि उसका उल्लेख पृथक रूप से किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति बोलीदाता को ---------*** द्वारा की जाएगी बशर्ते कि दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए।

14.2 संविदा के तहत बोलीदाता और ---------*** के बीच हस्तांतरण के दौरान यदि कोई बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, स्थानीय कर और अन्य शुल्क देय हो तो उसे बोली मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि जहां भी लागू हो उनको बोली प्रस्ताव पत्र में पृथक रूप से दर्शाया जाए।

जब कभी भी कार्योत्तर मूल्य का उल्लेख बोलीदाता एवं ---------*** के बीच हुए हस्तांतरण बाद लागू होने वाले उत्पाद शुल्क को छोड़कर किया जाता है तथा मोडवेट (मोडीफाईड वैल्यू एडेड टैक्स) स्कीम के तहत क्रेडिट का प्रासंगिक सरकारी नीतियों के अनुसार, जहां कहीं भी लागू हो, बोलीदाता द्वारा बोली मूल्य का उल्लेख करते समय ध्यान रखा जाता है।

14.3 केवल ---------*** और बोलीदाता के बीच के हस्तांतरण के लिए (आपूर्ति संविदा के तहत बोलीदाता के कार्य स्थल से भेजी गई सामग्री हेतु) बिक्री कर, उत्पाद कर, स्थानीय कर और अन्य शुल्कों का भुगतान ---------*** द्वारा प्रेषण के समय लागू दर, सूचीबद्ध अथवा वास्तविक, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाएगा। तथापि, ---------*** के अनुरोध पर आपूर्ति में हुई वृद्धि पर लगने वाले करों एवं शुल्कों का भुगतान --------- *** द्वारा प्रेषण के समय लागू दर के आधार पर किया जाएगा।

14.4 छूट वाला बिक्री कर घोषणा प्रपत्र, जैसा भी स्वीकार्य हो, बोलीदाता को उनके अनुरोध पर बोलीदाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सभी मदों (जैसा कि बोली मूल्य सूची में अभिनिर्धारित किया गया हो) के साथ-साथ सब-सप्लायर्स द्वारा आपूर्ति किए जाने वाली मदों हेतु सेल-इन-ट्रंजिट के रूप में जारी किया जाएगा।

14.5 कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सामानों पर बिक्री कर :

बोलीदाता बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कार्य संविदा पर लगने वाला बिक्री कर, टर्नओवर कर अथवा अन्य इस तरह के करों को शामिल करेगा, जैसा भी इसकी बोली मूल्य पर लागू होता हो और ---------*** इस संबंध में किसी तरह देय नहीं होगा। तथापि ---------*** नियमावली के अनुसार ऐसे करों को स्रोत पर ही काट लेगा और बोलीदाता को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करेगा।

14.6 बोलीदाता के कार्य स्थल से सीधी भेजी गई सामग्री के संबंध में विक्रय कर के भुगतान/प्रतिपूर्ति के लिए बोलीदाता द्वारा दी गयी पर्चियों को दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा। इसी तरह पहले से अंकित पर्चियों जिस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किया गया हो, को उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए साक्ष्य माना जाएगा।

14.7 आयकर, आयकर पर लगने वाला उप-कर और अन्य कारपोरेट करों के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों को दिए जाने वाले ऐसे किसी भुगतान के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा।

15.0 मूल्य समायोजन

15.1 यदि संविदा की विशेष शर्तों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो तो, बोलीदाता अपने प्रस्ताव में एक बेस मूल्य का उल्लेख करेगा, जो संविदा की अवधि के दौरान लागत घटकों में आने वाले अंतरों के मद्देनजर मूल्य समायोजन के शर्ताधीन होगा। बोली दस्तावेज में मूल्य समायोजन प्रावधानों को देने का उद्देश्य संविदा पक्षों को उचित संरक्षण प्रदान करना है लेकिन यह निर्धारित सीमा में संविदा कार्य करने के दौरान सामग्री, मजदूरी आदि लागत में उतार-चढ़ाव के कारण संविदा मूल्य में आने वाले अंतर के लिए होगा।

15.2 बोली मूल्य के घटकों, जो कि मूल्य समयोजन प्रावधानों के अधीन हो, और ऐसे मूल्य समायोजन के फार्मूले का उल्लेख खण्ड 33.0, धारा- जीसीसी में किया गया है।

15.3 मूल्य समायोजन हेतु सूचकांक का बोलीदाता के प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा, जिसमें उपस्कर/सामग्री का फैक्ट्री पर मूल्य और उपस्कर को स्थापित करने का मूल्य बोली में बताया गया है। सूचकांक अच्छी तरह से स्थापित एवं राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता

प्राप्त हो, विशेषकर केवल सरकारी सूचकांक का प्रयोग किया जाए। भारतीय क्षेत्र मजदूर के लिए, भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला औद्योगिक श्रमिक संबंधी अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक लागू होगा। बोलीदाता अपने प्रस्ताव के साथ प्रासंगिक प्रकाशित सूचियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करेगा, जो कि बोली लगाने की तारीख से 30 दिन पहले का मूल्य दर्शाए।

15.4 तथापि, सफल बोलीदाताओं को उपरोक्त फार्मूले में इंगित आवश्यकताओं के अनुसार बोली में दर्शाई गई सह-निपुण मूल्यों अथवा सह-निपुण समूह में सुधार का सुझाव देने के लिए अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि सफल बोलीदाता ऐसे सुधारों के लिए सही औचित्य बताते हुए अपने नियोजक को संतुष्ट कर सके।

15.5 ऐसे बोलियां जिसमें इन विनिर्देशों एवं दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट प्रावधानों से इतर मूल्य समायोजन प्रावधानों का उपयोग किया गया हो, अस्वीकार कर दी जाएंगी।

तथापि, निर्धारित मूल्य के उल्लेख के साथ जमा की गई बोली को अस्वीकार नहीं किया जाएगा बल्कि मूल्यांकन के उद्देश्य से उल्लिखित मूल्य को बेस मूल्य माना जाएगा और संविदा के दौरान मूल्य में अंतर को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15-6 मूल्यांकन के लिए मूल्य समायोजन प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

16.0 समय-अनुसूची

16-1 निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए समय-सूची का सख्ती से अनुपालन संविदा से जुड़ी बुनियादी बातें एवं सार है।

16.2 ---------*** की आवश्यकता के अनुसार कार्य को पूरा करने की सूची इसके साथ संलग्न संविदा की विशेष शर्तों में उल्लिखित है।

16.3 संविदा की विशेष शर्तों में किए गए उल्लेख के अनुसार कार्य पूरा करने की तारीख बोली पर विचार करते समय एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा।

16.4 ---------*** को इस बात का अधिकार होगा कि वह सफल बोलीदाता के साथ कार्य सौंपने से पहले की परिचर्या में कार्य-समय सारणी में परिवर्तन का अनुरोध कर सकता है।

16.5 धारा जीसीसी, खंड 12.0 के अनुसार सफल बोलीदाता विस्तृत पीईआरटी नेटवर्क तैयार करेगा और उसे ---------*** के साथ अंतिम रूप देगा।

17.0 संविदा गुणवत्ता आश्वासन

17.1 बोलीदाता अपने प्रस्ताव में गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम शामिल करेगा जिसमें वह उन सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन एवं प्रक्रियाओं का उल्लेख करेगा जिनका वह विभिन्न चरणों में कार्य निष्पादन करते समय अनुसरण करने का प्रस्ताव करता है, जैसाकि सामान्य तकनीकी शर्तों के संबंधित खंड में उल्लेख किया गया है।

17.2 संविदा प्रदान करते समय संविदा के तहत कार्यनिष्पादन हेतु अनुसरण किए जाने वाला विस्तृत गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम पर पारस्परिक चर्चा की जाएगी और उस पर सहमति व्यक्त की जाएगी और इस तरह सहमति प्राप्त कार्यक्रम संविदा का भाग होगा।

18.0 बीमा

कार्यों की संभावना से संबंधित बोलीदाताओं की बीमा संबंधी जिम्मेदारियों का ब्यौरा खंड-। 'बीमाठ शीर्षक खण्ड में संविदा संबंधी सामान्य निबंधन एवं शर्तों और उत्थापन शर्तों में दिया गया है। बोलीदाताओं का ध्यान विशेष तौर पर इन खण्डों की ओर आकर्षित किया जाता है। बोली मूल्य में इस संविदा के तहत सभी बीमा दायित्वों को पूरा करने के बावत सभी मूल्य शामिल हैं।

19.0 औजार और साज-समान का अनुरक्षण

इस प्रस्ताव में प्रत्येक उपस्कर पैकेज में उपस्करों के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु अपेक्षित सभी विशिष्ट उपाय शामिल हैं। बोलीदाता को प्रस्ताव पत्रों में उनमें निहित एक अनुसूची के रूप में सभी उपर्युक्त मदों और उनका ब्यौरा तथा प्रत्येक मद की मात्रा का उल्लेख करना होगा। बोलीदाता द्वारा बताए गए एकमुश्त मूल्य में इन साधनों एवं उपस्करों के मूल्य शामिल होंगे। इन साधन एवं उपस्करों की आपूर्ति उपस्कर की अंतिम खेप सहित स्थल पर ही की जाएगी और किसी भी स्थिति में इससे पहले नहीं की जाएगी, जब तक कि संविदा हेतु विशेष शर्तों और/अथवा तकनीकी विनिर्देशनों, खंड-।। में अन्यथा उल्लिखित न हो।

20.0 उत्थापन के औजार और साज-सामान

बोलीदाता एक पृथक अनुसूची में अपने प्रस्ताव में वे सभी विशिष्ट उपस्कर, साधन एवं उपाय आदि शामिल करेंगे जो वे उत्थापन, हैंडलिंग, परीक्षण तथा प्रचालन जिनमें उपस्कर का कार्यनिष्पादन तथा गारंटी परीक्षण आदि शामिल हैं, के प्रयोजनार्थ स्थल पर लाना चाहते हों। यदि इस प्रस्ताव में इस प्रकार के उपस्कर का किसी अन्य स्थान पर उपर्युक्त अनुसूची में विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो, तो उसे बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित संभावित आपूर्ति के तहत ही शामिल मान लिया जाएगा।

21.0 ब्रैंड नाम

21.1 किसी भी सामग्री/उपस्कर से संबंधित इन विनिर्देशनों तथा दस्तावेजों में ब्रैंड नाम, उत्पादन अथवा कैटेलॉग सं. के विशेष उल्लेख को गुणवत्ता तथा कार्यनिष्पादन संबंधी मानदंड तय किया जाना समझा जाएगा न कि प्रतिस्पर्धा को सीमित किया जाना। तथापि, बोलीदाता इसी प्रकार की अन्य सामग्री/उपस्कर की पेशकश कर सकते हैं बशर्ते वे अभिनिर्धारित मानदंड, डिजाइन तथा कार्यनिष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करती हों। बोलीदाता ऐसी वैकल्पिक सामग्री/उपस्कर से संबंधित पर्याप्त तकनीकी जानकारी देंगे ताकि ------*** इसकी स्वीकार्यता का निर्धारण कर सके। ------*** ऐसी वैकल्पिक सामग्री/उपस्कर की स्वीकार्यता अथवा अन्यथा के बारे में निर्णय लेने हेतु एकमात्र निर्णायक होंगे।

21.2 बोलीदाता यह ध्यान रखेंगे कि कारीगरी, सामग्री तथा उपस्कर हेतु मानदंड और ------*** द्वारा उनके तकनीकी विनिर्देशनों में उल्लिखित ब्रैंड नाम अथवा कैटेलॉग संख्या केवल वर्णनात्मक होगी न कि सीमित। बोलीदाता अपनी बोली में वैकल्पिक मानदंड, ब्रैण्ड नाम तथा/अथवा सूचीपत्र संख्या को प्रतिस्थापित कर सकते हैं बशर्ते ------*** को इस बावत संतुष्ट करे कि प्रतिस्थापित किये गये आंकड़े उल्लेखनीय रूप से समकक्ष अथवा तकनीकी विनिर्देशनों में उल्लिखित आंकड़ों से बेहतर हों ।

22.0 बोली गारंटी

22.1 बोलीदाता बोली के एक अंश के तौर पर संलग्न संविदा संबंधी विशेष शर्तों में उल्लिखित राशि हेतु बोली गारंटी देंगे। यह बोली गारंटी बोलियों के खोले जाने की तारीख से सात (7) कैलेंडर महीने की अवधि हेतु वैध होगी।

22.2 बोली प्रतिभूति द्वारा बोलीदाता के आचरण के जोखिम से ------*** की रक्षा करना अपेक्षित है, जिसके न किए जाने पर खण्ड 22.7 के अनुसरण में गारंटी जब्त कर ली जाएगी। बोली गारंटी बिना किसी शर्त के ------*** को देय होगी।

22-3 बोली गारंटी केवल भारतीय रूपए में होगी और यह निम्नलिखित में से किसी एक रूप में हो सकती है-

क. किसी जाने माने वाणिज्यिक बैंक/वित्त संस्थान अर्थात आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई आदि से ..... के पक्ष में ..... में देय क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट।

ख. किसी जाने माने वाणिज्यिक बैंक/वित्त संस्थान अर्थात् आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई आदि पर ..... के पक्ष में ..... में देय भुगतान हेतु बैंकर द्वारा प्रमाणित कोई चेक।

ग. किसी जाने माने वाणिज्यिक बैंक/वित्त संस्थान अर्थात आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई द्वारा ..... के पक्ष में जारी एक अटल बैंक गारंटी। बैंक गारंटी का प्रोफॉर्मा इस खंड-। में **संलग्नक-।** के रूप में संलग्न है।

22.4 उपर्युक्त पैरा 22.1 तथा 22.3 के अनुसार अप्रतिभूत बोली को ------*** द्वारा गैर-प्रत्युत्तरकारी कह कर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

22.5 असफल बोलीदाताओं की बोली गारंटी यथाशीघ्र लौटा दी जाएगी परन्तु ------*** निर्धारित बोली वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात् 60 दिनों तक ऐसा किया जा सकेगा।

22.6 सफल बोलीदाता की बोली गारंटी का निपटान बोलीदाता द्वारा संविदा निष्पादित करने और खण्ड 41.0 के अनुसरण में निष्पादन गारंटी पूरी करने के बाद किया जाएगा।

22.7 बोली गारंटी जब्त की जा सकती है :

क. यदि बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र पर उल्लिखित बोली वैधता अवधि के दौरान वह बोली वापस लेता है/इसमें संशोधन करता है; अथवा

ख. यदि बोलीदाता बोली में उल्लिखित वापसी मूल्य पर उनके द्वारा प्रस्तावित व्यतिक्रम, यदि कोई हो, को वापस न ले; अथवा

ग. यदि कोई बोलीदाता खण्ड 33.2, धारा-आईएनबी के अनुसरण में अपनी बोली के प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान पाई गई गणितीय त्रुटियों में किए गए सुधारों को स्वीकार न करे; अथवा

घ. यदि अर्हक अपेक्षाओं के अनुसार, बोलीदाता को एक संयुक्त घोषणा विलेख प्रस्तुत करना पड़े और वह यह विलेख बोली-उपरांत परिचर्चा की सूचना की तारीख से दस दिनों के भीतर अलग-अलग निष्पादकों के स्थानों के सार्वजनिक नोटरी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित करवा कर अथवा उस देश में भारतीय दूतावास/उच्चायुक्त में पंजीकृत करवाकर प्रस्तुत करने में असफल हो जाए; अथवा

ङ. सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता इस संविदा पर हस्ताक्षर न करे; अथवा

च. सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता निष्पादन गारंटी प्रस्तुत न कर सके ।

22.8 बोली गारंटी एक पृथक मोहरबंद लिफाफे में एक मूल तथा दो प्रतिलिपियों में बोली के साथ प्रस्तुत की जाएगी। कोई भी बोली जिसके साथ इस खण्ड के प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित बोली प्रतिभूति न लगाई गई हो, अस्वीकार करते हुए उसे खोला नहीं जाएगा।

22.9 उपर्युक्त बोली प्रतिभूति पर ------*** द्वारा किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

23.0 बोलियों की वैधता अवधि

23.1 बोलियां ------*** द्वारा निर्धारित बोली खोलने की तारीख के पश्चात् छः (6) महीने तक वैध रहेंगी, जब तक कि संलग्न संविदा संबंधी विशेष शर्तों में अन्यथा वर्णित न हो। इससे कम अवधि की वैधता वाली किसी बोली को गैर-प्रत्युत्तरकारी मानकर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

23.2 अपवादी परिस्थितियों में ------*** वैधता अवधि को बढ़ाने के बावत बोलीदाता से सहमति हेतु निवेदन कर सकता है। यह अनुरोध तथा इसका प्रत्युत्तर लिखित में दिया जाएगा (केबल अथवा टेलेक्स सहित)। खण्ड 22.0 के तहत की गई बोली प्रतिभूति भी उतनी ही अवधि के लिए बढ़ाई जाएगी जितनी कि बोली की वैधता अवधि में बढ़ोतरी की गई हो। यह अनुरोध मंजूर करने वाले बोलीदाता से उनकी बोली में संशोधन करना अपेक्षित नहीं होगा अथवा उसे इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ. बोलियां प्रस्तुत करना

24.0 बोली का प्रपत्र

24.1 बोलीदाता बोली की पांच प्रतियां तैयार करेंगे जिनमें से प्रत्येक को यथोचित रूप से ''मूल बोली' तथा ''बोली की [illegible]' चिह्नित करेंगे। यदि इनके बीच किसी प्रकार की कोई विसंगति पाई जाती है तो मूल प्रति ही प्रभावी होगी।

24.2 बोली से संबंधित मूल एवं सभी प्रतियां अमिट स्याही से टंकित अथवा हाथ से लिखनी होगी और इस संविदा की शर्तों के प्रति बोलीदाता को बाध्य करने के बावत बोलीदाता अथवा उनके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को इस पर हस्ताक्षर करना होगा। यह प्राधिकार-पत्र इस बोली के साथ संलग्न लिखित मुख्तारनामे से

इंगित होगा। इस बोली की असंशोधित मुद्रित सामग्री को छोड़कर सभी पृष्ठों, पर बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को हस्ताक्षर करना होगा।

24.3 बोलीदाताओं को, उनके लिए इस अनुदेश में जैसाकि अपेक्षित है, एक पृथक मोहरबंद लिफाफे में अर्हक आंकड़ों की पांच प्रतियां प्रस्ताव वाले लिफाफे के साथ अवश्य भेजनी चाहिए जिसपर यह लिखा हो :

निम्न की आपूर्ति एवं उत्थापन हेतु अर्हक आंकड़े

(पैकेज का नाम)

(विनिर्देश संख्या)

24.4 बोली में उस स्थिति के सिवाय कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, न ही मिटाया जाएगा या लिखे हुए पर नहीं लिखेगा, जब बोलीदाता की त्रुटियों में सुधार करना अपेक्षित हो और बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा पंक्तियों के बीच में न ही उन पर आद्यक्षर करने होंगे ।

25.0 बोलियों पर हस्ताक्षर

25.1 इस बोली में बोलीदाता/बोलीदाताओं के नाम, आवास तथा कारोबार स्थान का उल्लेख अवश्य होना चाहिए और इसे मुहरबंद करके बोलीदाता द्वारा इस पर वही हस्ताक्षर करना चाहिए जो वह प्रायः करते हों। हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों के नाम हस्ताक्षर के नीचे अवश्य टंकित अथवा मुद्रित कराए जाने चाहिए।

25.2 किसी साझेदार द्वारा लगाई गई बोली पर सभी साझेदारों के नाम तथा उनके हस्ताक्षर होने चाहिए जिसके बाद प्राधिकृत साझेदारों अथवा अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर तथा पदनाम होने चाहिए।

25.3 किसी कॉर्पोरेशन/कम्पनी द्वारा लगाई गई बोलियों पर इस कारपोरेशन/कम्पनी के विधिक नाम सहित इसके अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक अथवा सचिव अथवा ऐसे कारपोरेशन/कम्पनी की ओर से बोली के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए।

25.4 यदि कोई व्यक्ति अपने हस्ताक्षर के साथ 'अध्यक्ष', 'प्रबंध निदेशक', 'सचिव','एजेंट' अथवा किसी अन्य पदनाम का उपयोग अपने प्रमुख को बताए बिना करेगा तो उसकी बोली रद्द कर दी जाएगी ।

25.5 बोलीदाता की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को प्रदत्त प्राधिकार का संतोषप्रद सबूत इस बोली के साथ संलग्न करना होगा।

25.6 प्रस्ताव पर उल्लिखित बोलीदाता का नाम उस प्रतिष्ठान का सटीक विधिक नाम होना चाहिए।

25.7 उपर्युक्त हस्ताक्षर संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप न लगाई गई बोलियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

26.0 बोलियों को मुहरबंद करना तथा उन्हें चिन्हित करना

26.1 बोलीदाताओं द्वारा बोली की मूल प्रति तथा प्रतिलिपियों को 'मूल ' तथा ''प्रतिलिपि ' के रूप में विधिवत चिह्नित लिफाफों में डालकर छोटे तथा बड़े लिफाफे पर मुहर लगाई जाएगी।

26.2 भीतरी तथा बाहरी लिफाफों को :

क. -------*** को निम्नलिखित पते पर भेजा जाएगा :
.....,
.....,
.....,
.....।

ख. इस पर पैकेज का नाम, विनिर्देशन संख्या और **".....से पूर्व न खोले"** जैसे शब्द लिखे होंगे।

26.3 भीतरी लिफाफे पर बोलीदाता का नाम तथा पता लिखा होगा ताकि "विलम्ब" से प्राप्त अथवा "अस्वीकृत" किए जाने पर इसे बिना खोले वापस किया जा सके।

26.4 उपुर्यव्त पैरा 26.2 में यथापेक्षित बाहरी लिफाफे को यदि मुहरबंद तथा चिह्नित नहीं किया जाता है तो -------*** इसके खो जाने अथवा समय से पूर्व खोले जाने संबंधी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

26.5 बोली गांरटी शर्तों को एक पृथक मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

27.0 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

27.1 बोलीदाताओं के पास अपनी बोलियों को पंजीकृत डाक से भेजने अथवा स्वयं जमा कराने का विकल्प होगा। टेलेक्स/टेलीग्राम के माध्यम से भेजी गई बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्तावों को वायु मार्ग, कार्गो एजेंट आदि से प्राप्त करने के संबंध में किसी भी बोलीदाता के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

27.2 -------*** द्वारा बोलियां पैरा 26.2 में वर्णित पते पर बोली आमंत्रण में उल्लिखित समय व तारीख से पूर्व प्राप्त करनी चाहिए।

27.3 -------*** , अपने विवेकानुसार, बोली दस्तावेज में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को बढ़ा सकता है, जिस स्थिति में -------*** और बोलीदाताओं के सभी अधिकार तथा बाध्यताएं जो पहले पूर्व निर्धारित अंतिम तारीख तक थीं, वह तत्पश्चात् बढ़ाई गई अंतिम तारीख तक भी होंगी।

28.0 विलंब से प्राप्त बोलियां

28.1 -------*** द्वारा निर्धारित अथवा बढ़ाई गई तारीख एवं समय के उपरांत -------*** द्वारा प्राप्त की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा/अथवा लिफाफे को बिना खोले बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा।

29.0 बोलियों में संशोधन और बोलियां वापस लेना

29.1 बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने के पश्चात् अपनी बोली में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है बशर्ते बोलियां प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तारीख से पूर्व ----------*** को संशोधन अथवा बोली वापस लिए जाने के बावत लिखित सूचना प्राप्त हो जाए।

29.2 बोलीदाताओं द्वारा किए जानेवाले संशोधन अथवा बोली वापस लेने संबंधी नोटिस खण्ड 26.0 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया जाएगा, इस पर मोहर लगा के इसे चिह्नित किया जाएगा और प्रेषित किया जाएगा।

29.3 बोलियां प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तारीख के पश्चात् किसी भी बोली में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

29.4 किसी भी बोली को बोलियां प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तारीख और बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र में विनिर्दिष्ट बोली वैधता अवधि की समाप्ति के बीच की अवधि में वापस नहीं लिया जा सकता। इस अंतराल में बोली वापस लेने/इसमें संशोधन करने के परिणामस्वरूप बोलीदाता की बोली प्रतिभूति जब्त की जा सकती है।

30.0 प्रस्ताव के साथ भेजी जाने वाली अपेक्षित सूचना

30.1 बोलियों में उत्थापन हेतु प्रस्तावित उपस्कर संबंधी प्रत्येक प्रधान मद के निर्माता का नाम, मॉडल के प्रकार का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। बोली में नक्शे तथा विस्तृत सामग्री शामिल होनी चाहिए जिसमें सामान्य आयामों, सामग्रियों जिनसे विभिन्न भाग निर्मित किए गए हैं, प्रचालन सिद्धांतों, पुर्जे जोड़ने के पूर्व की समय-सीमा, तैनाती हेतु प्रस्तावित प्रमुख निर्माण उपस्कर, उत्थापन विधि और प्रस्तावित उत्थापन संगठनात्मक संरचना का उल्लेख हो।

30.2 बोलीदाता द्वारा उपर्युव्त सूचना पांच प्रतियों में पृथक शीटों, नक्शे, सूची पत्र आदि के माध्यम से दी जाएगी।

30.3 कोई भी बोली जिसमें प्रस्तावित उपस्कर की सटीक व्याख्या की बाबत पर्याप्त व्याख्यामूलक सामग्री शामिल न की गई हो, उसे अपूर्ण मानते हुए अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्यामूलक सामग्री तथा नक्शों को रख लिया जाएगा। संविदा के निष्पादन के दौरान प्रस्तुत किए गए नक्शों तथा व्याख्यामूलक सामग्री में प्रमुख फेरबदल करने के बावत -------*** की विशेष अनुमति के बिना ऐसा करने नहीं दिया जाएगा।

30.4 बोलीदाता द्वारा उपस्करों की गुणवत्ता, संख्या, अथवा व्यवस्थापन अथवा किसी अन्य मामले के संबंध में किसी भी समय दिए गए मौखिक कथन पर विचार नहीं किया जाएगा।

30.5 बोलीदाता के मानक सूची-पत्र पृष्ठ और अन्य दस्तावेजों का उपयोग अतिरिक्त सूचनाएं तथा आंकड़े जो बोलीदाता उचित समझे, उपलब्ध कराने हेतु बोली में किया जा सकता है।

30.6 बोलीदाता को अपने प्रस्ताव के साथ अनुशंसित उत्थापन उपस्करों और सामग्रियों की एक सूची जो इस संविदा के तहत प्रदान की गई सामग्री एवं उपस्करों के उत्थापन के प्रयोजनार्थ अपेक्षित होगी, प्रस्तुत करनी पड़ेगी।

30.7 'प्रस्ताव' सूचना और विनिर्देश अपेक्षाओं के बीच कोई विरोधाभास होने पर विनिर्देश अपेक्षाएं प्रभावी होंगी।

ड. बोलियां खोलना और उनका मूल्यांकन करना

31.0 बोलियां खोलना

31.1 -------*** बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों (अधिकतम 2 व्यक्तियों तक) की उपस्थिति में बोलियों को खोलेंगे जो बोली हेतु आमंत्रण में बोली खोलने हेतु निर्धारित तारीख एवं समय पर अथवा यदि इस संबंध में कोई समय-सीमा बढ़ाई गई हो, तो बोलीदाता जिन्होंने बोली दस्तावेज खरीदे हों, को सूचित किए गए समय एवं तारीख पर उपस्थित होंगे। बोलीदाताओं के प्रतिनिधिगण, जो उपस्थित हों, अपनी उपस्थिति के बावत रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे।

31.2 बोलीदाताओं के नाम, बोली मूल्य, संशोधन, बोली वापसी तथा उचित बोली गारंटी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति और ऐसे अन्य ब्यौरों की, जो -------*** अपने विवेकाधिकार से उचित समझे, बोली खोलते समय इनके बारे में घोषणा की जाएगी।

31.3 बोली खोलते समय किसी भी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग उपकरण लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32.0 बोलियों से संबंधित स्पष्टीकरण

32.1 बोलियों की जांच, मूल्यांकन तथा तुलना करने हेतु -------*** अपने विवेकाधिकार से बोलीदाता से बोलियों का स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है। स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध और इनके प्रत्युत्तर लिखित में होंगे और बोली मूल्य अथवा वास्तविक अर्थ में कोई परिवर्तन की सिफारिश, पेशकश अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी।

33.0 प्रारंभिक जांच

33.1 -------*** इन बोलियों की जांच इस बावत करेंगे कि क्या वे पूर्ण हैं, क्या इनमें कोई संगणनात्मक त्रुटियां हैं, क्या अपेक्षित प्रतिभूतियां दी गई हैं, क्या दस्तावेजों पर उचित ढंग से हस्ताक्षर किए गए हैं और क्या बोलियां सही हैं।

33.2 गणितीय त्रुटियां निम्नलिखित आधार पर सुधारी जाएंगी :

यदि यूनिट मूल्य और कुल मूल्य जो यूनिट मूल्य तथा मात्रा का गुणनफल होता है, के बीच कोई विसंगति हो तो यूनिट मूल्य ही अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जाएगा। यदि शब्दों एवं आंकड़ों के बीच कोई विसंगति हो तो शब्दों में लिखी गई राशि ही मानी जाएगी । यदि बोलीदाता उपर्युक्त त्रुटियों में सुधार को स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोली गारंटी राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न मूल्य अनुसूचियों में दिए गए मूल्य समनुरूप हों। इस प्रयोजनार्थ बोली प्रपत्र में अभिनिर्धारित की जाने वाली विशिष्ट मूल्य अनुसूचियों में दिए गए मूल्यों के बीच किसी विसंगति के मामले में, नियोजक के पास मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ सर्वाधिक मूल्य पर विचार करने का और संविदा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ इन अनुसूचियों में दिए गए न्यूनतम मूल्य का उपयोग करने का अधिकार होगा।

33.3 विस्तृत मूल्यांकन से पूर्व -------ओओओ बोली दस्तावेज में प्रत्येक बोली की सारवान प्रभावशीलता का निर्धारण करेंगे। इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, उल्लेखनीय रूप से प्रभावकारी बोली वह है जो सामग्रीगत/व्यतिक्रम के बिना ही बोली दस्तावेज की सभी निबंधन व शर्तों का अनुपालन करें। सामग्रीगत व्यतिक्रम वह है जो उल्लेखनीय रूप से बोली दस्तावेज के अनुरूप न होकर नियोजक के अधिकारों अथवा इस संविदा के अधीन बोलीदाता की बाध्यताओं को सीमित अथवा जिनके संशोधन से अन्य बोलीदाताओं जिन्होंने उल्लेखनीय रूप से प्रभावकारी बोलियां प्रस्तुत की हों, की प्रतियोगिता की स्थिति को अनुचित रूप से प्रभावित करें और जो उपस्कर के मूल्य, गुणवत्ता, मात्रा अथवा आपूर्ति अवधि को प्रभावित करें अथवा जो किसी तरीके से इन विनिर्देशनों तथा दस्तावेजों में यथापेक्षित बोलीदाता के उत्तरदायित्वों अथवा -------*** देयताओं अथवा के किसी अधिकार को सीमित करे। -------*** द्वारा बोली के प्रत्युत्तर की प्रभावशीलता का निर्धारण केवल बोली की विषय-वस्तु के आधार पर होगा न कि किसी बाह्य साक्ष्य के आधार पर।

33.4 कोई भी बोली जो उल्लेखनीय रूप से प्रभावकारी न हो, को अस्वीकार कर दिया जाएगा और तदुपरांत बोलीदाता द्वारा गैर-अनुपालन संबंधी तथ्यों में सुधार करके इसे प्रभावकारी नहीं बनाया जा सकता।

33.5 -------*** किसी बोली से संबंधित सामान्य अनौपचारिकता अथवा गैर-अनुपालना अथवा अनियमितताओं को नजरअंदाज कर सकता है जिससे कोई सामग्रीगत व्यतिक्रम न हो, बशर्ते इससे किसी बोलीदाता के साथ पक्षपात न हो अथवा उसकी पारस्परिक रैंकिंग प्रभावित न हो।

34.0 परिभाषाएं और आशय

34.1 बोलियों के मूल्यांकन तथा इसकी तुलना के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित आशय एवं परिभाषाएं प्रयोज्य होंगी : -

क. 'बोली मूल्य' का अर्थ होगा प्रत्येक बोलीदाता द्वारा संपूर्ण कार्य हेतु उसके प्रस्ताव में रखे गए आधार मूल्य।

ख. 'भिन्न-भिन्न मूल्य' का आशय है बोलीदाता के प्रस्ताव से निर्धारित उपस्कर तथा सेवाओं में मापदंड भिन्नता अथवा कमियों हेतु मूल्य के समानतामूलक तत्वों का योग।

ग. 'मूल्यांकित बोली मूल्य' का आशय होगा 'बोली मूल्य' तथा 'भिन्न-भिन्न मूल्य' का योग।

34.2 बोलियों के भिन्न-भिन्न मूल्य की गणना

34.2.1 मूल्यांकन तथा तुलना के दौरान प्रत्येक बोली के मूल्य के साथ जोड़े जाने वाले भिन्न-भिन्न मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी :

भिन्न-भिन्न मूल्य (डीपी) = एन1एफ1+एन2एफ2.....अनएनएफएन जहां एफ1, एफ2.....एफएन इन विनिर्देशनों में यथानिर्धारित उपस्कर तथा सेवाओं में पैरामीटर भिन्नता अथवा कमी के प्रति इकाई भारतीय रूपए में विभिन्न घटक हैं; एन1, एन2.....एनएन बोलीदाता के प्रस्ताव से निर्धारित की जाने वाली सदृश इकाईयों में अलग-अलग पैरामीटर भिन्नता अथवा कमियां हैं। उपर्युक्त कारकों तथा पैरामीटर भिन्नता की सदृश इकाईयों का निर्धारण तकनीकी विनिर्देशनों तथा/अथवा विशेष संविदा शर्तों में किया जाता है।

35.0 बोलियों की तुलना करना

35.1 बोलियों की तुलना बोली दस्तावेज में यथापरिभाषित प्रस्ताव के संपूर्ण कार्यक्षेत्र हेतु एकमुश्त मूल्य (अर्थात बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित सेवाओं हेतु आपूर्ति भाग तथा मूल्यों के लिए) पर आधारित होगी।

35.2 तुलनात्मक प्रयोजनों हेतु सभी मूल्यांकित बोली मूल्यों का निर्धारण भारतीय रूपए में किया जाएगा जो इस प्रकार है :-

डब्ल्यू = एम + डीपी

जहां

डब्ल्यू = कुल तुलना मूल्य

एम = भारतीय रूपए में बोली मूल्य (उपस्कर का कार्यवाह्य मूल्य + उत्थापन लागत के घटक + आवश्यक कलपुर्जे तथा अन्य घटक, यदि कोई हों)।

डीपी = उपर्युक्त पैरा 34.2.1 के अनुसार गणना किए गए भारतीय रूपए में भिन्न-भिन्न मूल्य।

35.3 सभी बोलीदाताओं के सभी मूल्यांकित बोली मूल्यों की आपस में तुलना की जाएगी ताकि न्यूनतम मूल्यांकित बोली का निर्धारण किया जा सके और इस तुलना के परिणामस्वरूप, संविदा सौंपने हेतु न्यूनतम बोली का चयन किया जाएगा।

36.0 नियोजक से संपर्क

बोलियों के खोले जाने के तत्काल बाद इसे विचाराधीन समझा जाएगा और तब तक ऐसा माना जाएगा जब तक कि-------*** द्वारा बोलीदाताओं को संविदा सौंपने/अस्वीकार करने संबंधी सूचना आधिकारिक न दे दी जाए। यद्यपि बोलियां विचाराधीन हैं, बोलीदाता और/अथवा उनके प्रतिनिधिगण अथवा अन्य इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरीके से -------*** और/अथवा उनके कर्मचारियों/प्रतिनिधियों से विचाराधीन बोली से संबंधित मामलों के बारे में संपर्क करने से बचें। -------***, यदि आवश्यक हो, तो किसी एक अथवा सभी बोलीदाताओं से अनुरोध करके, चाहे वह लिखित में हो अथवा व्यक्तिगत संपर्क से, जो भी आवश्यक हो, बोलियों के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। बोलियों को खोले जाने के पश्चात् बोलीदाताओं को बोली की विषयवस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति दी जाएगी।

च. संविदा सौंपना

37.0 संविदा सौंपने संबंधी मापदंड

37.1 -------*** यह संविदा उस सफल बोलीदाता को सौपेंगे जिनकी बोली को उल्लेखनीय रूप से प्रभावकारी समझा गया हो और जिसे न्यूनतम मूल्यांकित बोली निर्धारित किया गया हो, बशर्ते वह बोलीदाता संविदा को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने की बाबत योग्यता हासिल करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हो। -------*** इस संबंध में एकमात्र निर्णायक होंगे। आपूर्ति संविदा के मामले में कार्य का सौंपा जाना एफ ओ आर गंतव्य (स्थल) आधार पर होगा।

37.3 इसके अतिरिक्त, नियोजक के पास संलग्न तकनीकी विनिर्देशनों में निर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों की तर्ज पर दो अथवा उससे अधिक पक्षों को कार्य सौंपने का अधिकार होगा।

38.0 किसी बोली को स्वीकार करने और किसी अथवा सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार

38.1 -------*** के पास किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने और संविदा सौंपने से पूर्व किसी भी समय बोली प्रक्रिया को रद्द करने तथा सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित बोलीदाता अथवा बोलीदाताओं के प्रति कोई देनदारी नहीं होगी अथवा -------*** की कार्रवाई से प्रभावित बोलीदाता अथवा बोलीदाताओं को सूचित करने संबंधी कोई बाध्यता नहीं होगी।

39.0 संविदा सौंपने संबंधी अधिसूचना

39.1 बोली वैधता अवधि तथा बढ़ाई गई वैधता अवधि यदि कोई हो, की समाप्ति से पूर्व -------*** सफल बोलीदाता को पंजीकृत पत्र के जरिए अथवा केबल/टेलेक्स/फैक्स, जिसकी अभिपुष्टि पंजीकृत पत्र भेजकर की जाएगी, द्वारा इस बावत सूचना देगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है।

39.2 संविदा सौंपने संबंधी अधिसूचना संविदा निर्माण का ही एक भाग होगी।

39.3 खण्ड 41.0 के अनुसरण में सफल बोलीदाता द्वारा संविदा निष्पादन गारंटी देने के उपरांत -------*** खण्ड 22.0 के अनुसरण में प्रत्येक असफल बोलीदाता को सूचित करेगा तथा बोली प्रतिभूति की निर्मुक्ति करेगा।

40.0 संविदा पर हस्ताक्षर करना

40.1 -------*** द्वारा सफल बोलीदाता को इस बावत सूचना कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है, देते समय ही विस्तृत संविदा पत्र दिया जाएगा जिसमें दोनों पक्षों के बीच यथासम्मत सभी करार समाविष्ट होंगे।

40.2 विस्तृत संविदा पत्र प्राप्त होने से 15 दिनों के भीतर सफल बोलीदाता दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा और इसे -------*** को लौटाएगा।

40.3 बोलीदाता खण्ड-। के **अनुलग्नक-ix** में संलग्न प्रोफॉर्मा के अनुसार संविदा करार तैयार करेगा और कार्य सौंपने संबंधी अधिसूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर इस पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

41.0 संविदा कार्य-निष्पादन गारंटी

41.1 सफल बोलीदाता जिसे संविदा कार्य सौंपा गया हो, द्वारा संविदा निष्पादन प्रतिभूति के रूप में कार्यनिष्पादन गारंटी देना अपेक्षित है जो निम्नलिखित से दी जा सकती है(क) सरकारी क्षेत्र का कोई बैंक अथवा (ख) कोई अनुसूचित भारतीय बैंक जिसकी प्रदत्त पूंजी (किसी संचित नुकसान का निवल) 100 करोड़ रू. अथवा इससे अधिक हो (बैंक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट पूंजी उपयुक्तता अनुपात आवश्यकता का अनुपालन करती हो) अथवा (ग) कोई भी विदेशी बैंक अथवा किसी विदेशी बैंक की सहायक शाखा जिसकी समग्र अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट रेटिंग अथवा दीर्घकालिक ऋण रेटिंग ए- (ए माइनस) से कम न हो अथवा प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी द्वारा समकक्ष हो, जिसे -------*** के पक्ष में इस खंड-। में **अनुलग्नक-।।** के रूप में संलग्न फार्म में लगाना होगा। गारंटी राशि संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) (जैसा एससीसी वाल्यूम 1ए धारा 2.4 में उल्लेख है)के बराबर होगी और यह इन दस्तावेजों तथा विनिर्देशनों में वर्णित निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप संविदा के विश्वसनीय निष्पादन की गारंटी देगी। यह गारंटी, 2वर्षों की अवधि तक वैध होगी, जिसे चालू होने की तारीख से 5वर्ष 6 माह तक नवीकरण कराना होगा।

41.2 कार्यनिष्पादन गारंटी के तहत निम्नलिखित गारंटियां भी शामिल होंगी :

क. सफल बोलीदाता, विनिर्देशनों एवं दस्तावेजों के अनुसार संविदा के तहत उल्लिखित एवं उत्थापित उपस्कर के सफल एवं संतोषप्रद प्रचालन की गारंटी देता है।

ख. सफल बोलीदाता आगे यह भी गारंटी देता है कि उपलब्ध कराया गया तथा अधिष्ठापित उपस्कर डिजाइन, सामग्री तथा कारीगरी की दृष्टि से त्रुटिमुक्त होगा और -------*** से लिखित नोटिस प्राप्त होने पर उक्त उपस्कर के सामान्य प्रयोग के दौरान आई खराबी को इस खंड-।/विशेष संविदा शर्तों में वर्णित सामान्य निबंधन एवं शर्तों के प्रासंगिक खंड में उल्लिखित गारंटी अवधि के भीतर दूर करेगा।

41.3 संविदा कार्यनिष्पादन गारंटी का आशय संपूर्ण संविदा निष्पादन को सुरक्षित करना है। तथापि, इसे तकनीकी विनिर्देशनों, खंड-।। में ''उपस्कर निष्पादन गारंटी`` शीर्षक खंड के तहत नुकसान तथा बोली दस्तावेजों में निहित अन्य खण्डों में विनिर्दिष्ट नुकसानों तक सीमित न समझा जाए।

41.4 कार्यनिष्पादन गारंटी को गारंटी अवधि समाप्त होने पर किसी ब्याज के बिना ही ठेकेदार को लौटा दिया जाएगा, जब तक कि विशेष संविदा शर्तों में अन्यथा उल्लिखित न हो।

भाग-आईएनबी समाप्त

खंड-जीसीसी
उत्थापन शर्तें और संविदा

संविदा के सामान्य निबंधन और शर्तें

विषय-वस्तु

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	क. प्रस्तावना	
1.0	शब्दों की परिभाषा	1
2.0	प्रयोग	5
3.0	मानक	6
4.0	भाषा और उपाय	6
5.0	स्विंदा संबंधी दस्तावेज	6
6.0	संविदा दस्तावेज और सूचना का उपयोग	7
7.0	संविदा तैयार करना	7
8.0	संविदा का क्षेत्राधिकार	8
9.0	संविदा निष्पादित करने का तरीका	8
10.0	शर्तें लागू करना	9
11.0	संविदा की समाप्ति	9
	ख. गारंटी तथा देयताएं	
12.0	समय - संविदा का सार	9
13.0	संविदा की प्रभावशीलता	10
14.0	निर्धारित क्षतियां	10
15.0	गारंटी	11
16.0	कर, परमिट और लाइसेंस	12
17.0	खराब पुर्जों और सामान को बदलना	26
18.0	पेटेंट अधिकार और रॉयल्टी	
19.0	मुकदमों का बचाव	
20.0	देयताओं की सीमा	
21.0	इंजीनियरों का निर्णय	
22.0	विपथन तथा कार्य छोड़ देने का अधिकार	
23.0	स्विंदा का समनुदेशन और किराए पर देना	
24.0	मात्रा में परिवर्तन	
25.0	पैकिंग, फारवर्डिंग और शिपमेंट	
26.0	अन्य संविदाकारों और परामर्शी इंजीनियरों के साथ सहयोग	
27.0	अधिकारों में छूट नहीं	
28.0	नियोक्ता के अधिकार तथा संविदाकार की देयता पर प्रभाव नहीं डालने संबंधी प्रमाण-पत्र	
29.0	नियोक्ता के कर्मचारियों को प्रशिक्षण	
30.0	प्रगति रिपोर्ट तथा फोटोग्राफ	
31.0	कार्यभार संभालना (टेकिंग ओवर)	
	ग. संविदा की सुरक्षा तथा भुगतान	
32.0	संविदा निष्पादन गारंटी	

33.0	संविदा मूल्य समायोजन	
34.0	भुगतान	
35.0	संविदा मूल्य से कटौती	
	घ. जोखिम का वितरण	
36.0	स्वामित्व का हस्तांतरण	28
37.0	बीमा	28
38.0	दुर्घटना और क्षति की देयता	30
39.0	नियोक्ता अथवा उसके प्राधिकृत एजेंटों द्वारा विलंब	30
40.0	विलंब-शुल्क, घाट-शुल्क आदि	30
41.0	विशेष आकस्मिक जोखिम	30
42.0	कार्य को स्थगित करना	31
43.0	संविदाकार की चूक	31
44.0	नियोक्ता की पहल पर संविदा समाप्त करना	32
45.0	संविदा की असफलता	33
46.0	रिश्वत और कमीशन इत्यादि	33
	ड. विवादों का समाधान	
47.0	विवाद का निपटान	33
48.0	विवाचन	34
49.0	खातों का मिलान	35

संविदा की स्थापना शर्तें
विषयसूची

भाग-।

खंड संख्या	विवरण	पेज संख्या
1.0	सामान्य	46
2.0	स्थानीय प्राधिकरणों और संविधियों का नियमन	46
3.0	उपकरण पर नियोक्ता का ग्रहणाधिकार	46
4.0	निरीक्षण, जांच और निरीक्षण प्रमाण-पत्र	46
5.0	कार्यस्थल पर पहुंच और कार्यस्थल पर निर्माण	46
6.0	संविदाकार द्वारा कार्यस्थल कार्यालय स्थापना	47
7.0	अन्य संविदाकारों के साथ सहयोग	47
8.0	कामगारों का अनुशासन	47
9.0	संविदाकार का क्षेत्र प्रचालन	47
10.0	फोटोग्राफ और प्रगति प्रतिवेदन	47
11.0	जनशक्ति प्रतिवेदन	48
12.0	निर्माण की सुरक्षा	48
13.0	श्रम का नियोजन	48
14.0	नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं	50
15.0	संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाले सुविधाएं लाइन और ग्रेड्स	51
16.0	लाइन और ग्रेड्स	51
17.0	अग्नि सुरक्षा	51
18.0	सुरक्षा	52
19.0	संविदाकार की क्षेत्र सीमाएं	52
20.0	नियोक्ता के साथ संविदाकार का सहयोग	52
21.0	आरम्भण-पूर्व जांच और आरंभिक प्रचालन	52
22.0	सामग्री संचलन और भंडारण	52
23.0	निर्माण प्रबंधन	53
24.0	क्षेत्र कार्यालय रिकार्ड	53
25.0	कार्यस्थल पर लाई गई संविदाकार की सामग्री	54
26.0	संपत्ति की सुरक्षा और संविदाकार की देनदारी	54
27.0	रंगाई	54
28.0	बीमा	54
29.0	प्रतिकूल कार्य स्थितियां	55
30.0	स्मारकों और संदर्भ बिन्दुओं की सुरक्षा	55
31.0	कार्य और सुरक्षा विनियमन	55
32.0	कोड आवश्यकता	58
33.0	नींव प्रतिसारण और पिलाई	58
34.0	शाफ्ट संरेखन	58
35.0	डोवेलिंग	59
36.0	नियंत्रण प्रणालियों की जांच	60
37.0	केबलिंग	60

संविदा की स्थापना शर्तें

1.0 सामान्य

1.1 निम्नलिखित विवरण इन विनिर्देशनों और दस्तावेजों के अन्य भागों में पहले से निहित शर्तों को अनुपूरित करेगा और कार्यस्थल पर किए जाने वाले संविदा कार्य के भाग को शासित करेगा।

1.2 संविदाकार संविदा पर हस्ताक्षर करने के पश्चात परियोजना समन्वयकर्ता के अलावा कार्यस्थल पर अपने प्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण जिम्मेदारी और कार्यस्थल पर किए जाने वाले निर्माण कार्य के समन्वयन हेतु उचित रूप से नामोदिष्ट अन्य जिम्मेदार अधिकारी को मनोनीत करेगा। ऐसा व्यक्तिसंविदा की लंबित अवधि के दौरान स्थल कार्यालय से कार्य करेगा।

2.0 स्थानीय प्राधिकरणों के विनियमन और संविधियां

2.1 संविदाकार अपने क्षेत्र कार्यकलापों के निष्पादन के दौरान स्थानीय प्राधिकरणों के सभी नियमों विनियमों का अनुपालन करेगा। वह (भारत सरकार के दोनों) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और मजदूरी संदाय अधिनियम का पालन करेगा और इसके अन्तर्गत किसी कर्मचारी या उसके उप-संविदाकार द्वारा रखे गए या नियोजित कामगार के संबंध में बनाए गए नियमों का भी अनुपालन करेगा।

2.2 इस संविदा के अनुसरण में अपने कार्य के संबंध में सभी पंजीकरण और सांविधिक निरीक्षण शुल्क, यदि कोई हो, संविदाकार द्वारा देय होगा। तथापि, किसी सांविधिक विधि के अन्तर्गत कानूनन देय कोई पंजीकरण, सांविधिक निरीक्षण शुल्क और अंतिम रूप से नियोक्ता के स्वामित्व में आने वाले उपकरण के संबंध में स्थापना के दौरान समय-समय पर इसका संशोधन नियोक्ता द्वारा देय होगा। यदि संविदाकार या उसके उप-संविदाकार की गलती के कारण ऐसे निरीक्षण और पंजीकरण को पुनः व्यवस्थित करने की जरूरत पड़ती है तो ऐसे निरीक्षण और/या पंजीकरण का शुल्क संविदाकार को वहन करने होंगे।

3.0 उपरकरण पर नियोक्ता का पुनर्ग्रहण अधिकार

नियोक्ता का संविदा के अन्तर्गत आपूर्ति या स्थापित किए जाने वाले उपकरण की स्थापना, जांच और चालू करने के उद्देश्य से स्थल पर लाए जाने वाले संविदाकार के उपकरणों सहित सभी उपकरणों पर पुनर्ग्रहण अधिकार होगा। संविदा की पूरी अवधि के दौरान सभी ऐसे उपकरणों पर नियोक्ता का पुनर्ग्रहण अधिकार जारी रहेगा। इंजीनियर के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना संविदाकार और/या उसके उप-संविदाकार द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई कोई सामग्री कार्यस्थल से हटाई नहीं जाएगी।

4.0 निरीक्षण, परीक्षण और निरीक्षण प्रमाणपत्र

तकनीकी विनिर्देशनों खण्ड जीटीआर के अन्तर्गत निरीक्षण, परीक्षण और निरीक्षण प्रमाणपत्र शीर्षक खण्ड के उपबंध निर्माण के स्थापना भाग पर भी लागू होंगे। इंजीनियर को संविदाकार के कार्यस्थल पर उसके द्वारा पूर्व में निरीक्षित और अनुमोदित उपकरण को कार्यस्थल पर स्थापित किए जाने के पूर्व या बाद में उसके पुनर्निरीक्षण का अधिकार होगा। यदि उपर्युक्तनिरीक्षण के पश्चात इंजीनियर उपकरण को निरस्त कर देता है, तो संविदाकार ऐसे निरस्तीकरण की क्षतिपूर्ति इंजीनियर की इच्छानुसार उसे बदलकर या सुधार कर/मरम्मत कर, जो भी आवश्यक हो, करेगा। ऐसे प्रतिस्थापन में अन्य संविदाकारों और/या एजेंसियों के ऐसे निर्माण का भी प्रतिस्थापन या पुनः निष्पादन शामिल होगा जो संविदाकार के प्रतिस्थापन या पुनःनिष्पादन के दौरान क्षतिग्रस्त या प्रभावित हुआ हो।

5.0 कार्यस्थल पर पहुंच और निर्माण कार्य

5.1 नियोक्ता द्वारा उचित समयावधि में संविदाकार को कार्यस्थल तक पहुंच और कब्जा उपलब्ध कराया जाएगा।

5.2 कार्य के अलग-अलग चरणों के निष्पादन के लिए सहमत समय तालिका के अनुसार नियोक्ता के पास आवश्यक आधार तैयार रहेगा।

5.3 नियोक्ता के परिसर में अब तक जिस प्रकार कार्य किया गया है उसे नियोक्ता द्वारा अनुमोदित समय पर किया जाएगा और नियोक्ता कार्य करने के लिए संविदाकार को उपयुक्तसुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

5.4 कार्य के निष्पादन में संविदाकार या उसके द्वारा नियुक्तप्रतिनिधि, उप-संविदाकार या कर्मकार के अलावा किसी भी व्यक्तिको कार्यस्थल पर कार्य करने की इजाजत, इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप से विशेष अनुमति दिए जाने को छोड़कर, नहीं होगी।

6.0 संविदाकार द्वारा कार्यस्थल कार्यालय स्थापना

संविदाकार कार्यस्थल पर एक कार्यालय स्थापित करेगा और संविदा के लिए एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को तैनात करेगा। इंजीनियर या उसके द्वारा उचित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के किसी लिखित आदेश या अनुदेश को संविदाकार के उपर्युक्त प्राधिकृत आवासी प्रतिनिधि को संप्रेषित किया जाएगा और इसे संविदाकार के वैधानिक पते पर संप्रेषित माना जाएगा।

7.0 अन्य संविदाकारों से सहयोग

7.1 संविदाकार नियोक्ता के अन्य संविदाकारों या व्यापारियों, जो नियोक्ता की ओर से अन्य कार्य कर रहे हों, और नियोक्ता द्वारा नियोजित किए जाने वाले अन्य कामगारों और संविदा के अन्तर्गत निर्माण के निकट कार्य कर रहे कामगारों से सहयोग करेगा। संविदाकार अपने कार्य के निष्पादन को इस तरह से व्यवस्थित करेगा ताकि अधिकतम संभव सीमा तक, अन्य संविदाकारों और उनके कामगारों के कार्यों में न्यूनतम हस्तक्षेप हो। संविदाकार के कार्य से अन्य संविदाकारों और नियोक्ता के कर्मचारियों के किसी प्रकार घायल होने या उनको हुई क्षति की प्रतिपूर्ति संविदाकार अपने खर्च पर तत्काल करेगा। इंजीनियर कार्य के संबंध में संविदाकार और अन्य संविदाकारों या संविदाकार और नियोक्ता के बीच होने वाले किसी मतभेद या विवाद का समाधान करेगा। यदि संविदाकार का कार्य किसी अन्य संविदाकार के चूक के कारण विलम्बित होता है, तब इस कारण से अपने निर्माण कार्य को पूरा करने की समयावधि बढ़ाए जाने के अतिरिक्त नियोक्ता पर संविदाकार का कोई दावा नहीं बनेगा।

7.2 संविदाकार, अन्य संविदाकार के निर्माण में किसी खामी की, जिससे उसका निर्माण कार्य प्रभावित हो सकता है, सूचना तत्काल इंजीनियर को देगा। इंजीनियर निर्माण कार्य के निरीक्षण के पश्चात इसे ठीक करने के लिए, यदि आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय निर्धारित करेगा और इस प्रकार का निर्णय संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा।

8.0. कामगारों का अनुशासन

संविदाकार कार्यस्थल पर कर्मचारियों और कामगारों के संबंध में इंजीनियर द्वारा निर्धारित अनुशासनिक प्रक्रिया का अनुपालन करेगा। इंजीनियर कार्यस्थल पर संविदाकार के किसी प्रतिनिधि या कर्मचारी की उपस्थिति पर आपत्ति उठाने के लिए स्वतंत्र है, यदि इंजीनियर के विचार से उस कर्मचारी ने गलत आचरण किया है या अक्षम है या लापरवाह या अन्यथा अवांछित है। संविदाकार उस व्यक्ति, जिस पर आपत्ति उठाई गई है, को हटा लेगा और उसके स्थान पर सक्षम प्रतिस्थापन उपलब्ध कराएगा।

9.0 संविदाकार का क्षेत्र कार्य

9.1. संविदाकार निर्माण कार्य के प्रत्येक भाग के निष्पादन से संबधित अपने क्षेत्र कार्यकलाप योजना और समयसारणी के बारे में इंजीनियर को पहले से अवगत कराता रहेगा। इंजीनियर द्वारा ऐसी योजना और समयसारणी या कार्य की प्रणाली की किसी समीक्षा से संविदाकार को उसके क्षेत्र कार्यकलाप की किसी जिम्मेदारी से छूट नहीं मिल जाएगी। ऐसी समीक्षा को इंजीनियर या नियोक्ता या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा जोखिम या देयता की मान्यता नहीं माना जाएगा और समीक्षा की गई ऐसे किसी योजना या समयसारणी या कार्य की प्रणाली की विफलता या अकुशलता के कारण संविदाकार के किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। संयंत्र और उपकरण और अपने स्थापना प्रणाली की सुरक्षा, पर्याप्तता और कुशलता की जिम्मेवारी केवल संविदाकार की होगी।

9.2. संविदाकार या उसके उप-संविदाकार द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों की सुरक्षा और कार्य के निष्पादन के दौरान उसके कब्जे के अधीन सभी संपत्तियों सहित कार्यस्थल की स्थितियों की पूरी जिम्मेवारी संविदाकार की होगी। यह शर्त संविदा के पूर्ण होने तक पूरी तरह लागू रहेगी और काम के सामान्य घंटों तक ही सीमित नहीं रहेगी। इंजीनियर के निर्माण समीक्षा का उद्देश्य कार्यस्थल में, पर या उसके निकट संविदाकार के सुरक्षा उपायों और उनकी पर्याप्तता या अन्यथा की समीक्षा को शामिल करना नहीं है।

10.0 छायाचित्र और प्रगति प्रतिवेदन

101. संविदाकार कार्यस्थल पर कार्य की प्रगति के छायाचित्र की तीन (3) प्रतियां इंजीनियर को उपलब्ध कराएगा। इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के बताए अनुसार छायाचित्र लिया जाएगा। निर्माण के विभिन्न चरणों को दर्शाने के लिए छायाचित्र का आकार और संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। प्रत्येक छायाचित्र में तिथि, संविदाकार का नाम और छायाचित्र का शीर्षक अंकित होगा।

10.2. उपर्युक्त छायाचित्र समयसारणी की तुलना में सभी निर्माण कार्यों में की गई प्रगति विस्तृत विवरण देते हुए मासिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ संलग्न होंगे। प्रतिवेदन में समयसारणी के अनुसार और वास्तविक प्रगति के बीच भिन्नता के कारणों और जहां कहीं भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय हेतु प्रस्तावित कार्रवाई के कारणों को भी शामिल किया जाएगा।

11.0 जनशक्ति प्रतिवेदन

11.1. संविदाकार प्रत्येक माह के प्रथम दिन इंजीनियर को गत माह में नियोजित किए जाने हेतु प्रस्तावित व्यक्तियों और वास्तव में नियोजित व्यक्तियों की संख्या, कौशलवार और ऐसे श्रम के नियोजन का विवरण दर्शाता एक जनशक्ति प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगा।

11.2 ठेकेदार प्रत्येक माह की पहली तारीख को कौशलवार और श्रमिकों के रोजगार क्षेत्रों के अनुसार पिछले महीने नियुक्तकिए गए लोगों की निर्धारित और वास्तविक संख्या बताते हुए कर्मचारियों की एक रिपोर्ट इंजीनियर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

12.0. कार्य की सुरक्षा

इंजीनियर द्वारा अंतिम रूप से अधिगृहीत किए जाने तक निर्माण कार्य के सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेवारी संविदाकार की होती है। नियोक्ता या इंजीनियर द्वारा संविदाकार के निर्माण को हुई किसी क्षति या हानि के बदले किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि संविदाकार के किसी निर्माण को, किसी अन्य पक्ष जो उसके निरीक्षण या नियंत्रण में न हो, से क्षति होती है तब संविदाकार क्षतिग्रस्त निर्माण को विनिर्देशनों और आरेखनों का अनुपालन करने के लिए क्षतिग्रस्त निर्माण को मूल रूप से पूर्णतः पुनःस्थापित करेगा। संविदाकार संबंधित पक्ष से सीधे दावा करेगा। यदि संविदाकार के निर्माण को हुई क्षति से संबंधित जिम्मेदारी के संबंध में संविदाकार और अन्य संबंधित पक्ष या पक्षों के बीच असहमति या विवाद होता है तब इसका समाधान उपर्युक्त 'अन्य संविदाकारों से सहयोग ' शीर्षक के खण्ड 70 के उपबंधों के अन्तर्गत किया जाएगा। संविदाकार ऐसे विवाद के समाधान में किसी विलम्ब के कारण ऐसे क्षतिग्रस्त कार्यों के मरम्मत में कोई विलम्ब नहीं करेगा। संविदाकार तत्काल निर्माण कार्य की मरम्मत आरंभ करेगा। ऐसे विवाद के समाधान को लंबित रखते हुए इसके लिए कोई कारण नहीं निर्दिष्ट किया जाएगा।

13. श्रमिकों का नियोजन

13.1. संविदाकार से अपेक्षा की जाती है कि वह इस कार्य में अनुभव वाले अपने नियमित कुशल कमचारियों को ही लगाएगा। दिन ढलने के पश्चात किसी महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्तिको नियोजित नहीं किया जाएगा।

13.2. संविदाकार के कर्मचारियों को कार्यस्थल से और तक आवश्यक परिवहन के प्रावधानों सहित सभी यात्रा खर्चे, आवास भत्ता और अन्य भुगतान के लिए केवल संविदाकार जिम्मेदार होगा।

13.3. कार्यस्थल पर कार्य के घंटे नियोक्ता द्वारा तय किए जाएंगे और संविदाकार इसका पालन करेगा। कार्य के घंटे - सोमवार से शनिवार तक सामान्यतः आठ (8) घंटे प्रतिदिन होंगे।

13.4. संविदाकार के कर्मचारी कार्यस्थल पर काम करते समय पहचान बैज पहनेंगे।

13.5. यदि संविदाकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम या किसी अन्य कानून के किसी उपबंध के अन्तर्गत किसी चूक के कारण किसी श्रमिक या सरकारी एजेंसी को कोई मजदूरी या देयता का देनदार बनता है तब नियोक्ता ऐसा भुगतान कर सकता है और संविदाकार के बिल से इसकी वसूली करेगा।

13.6 श्रम विनियमों का अनुपालन

13.6.1. संविदा की जारी अवधि के दौरान संविदाकार और उसका उप-संविदाकार पूरे समय उन सभी लागू विद्यमान श्रम अधिनियमों और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और राज्य या केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की उपविधियों और किसी अन्य श्रम कानून (नियमों सहित), विनियमों, उपविधियों जिसे राज्य या केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण किसी श्रम कानून के अन्तर्गत भविष्य में जारी या अधिसूचित किया जाए, का अनुपालन करेगा। किसी भी स्थिति में संविदाकार या उप-संविदाकार के कर्मचारी किसी भी समय नियोक्ता के कर्मचारी नहीं माने जाएंगे।

13.6.2. नियोक्ता के विरुद्ध किसी अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम, विनियम या संशोधन सहित अधिसूचनाओं के किसी उपबन्ध के किसी उल्लंघन के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियोक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई किए जाने की स्थिति में संविदाकार नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा।

13.6.3. यदि नियोक्ता को मुख्य नियोक्ता के रूप में किसी विधि के अन्तर्गत ऐसी धनराशि का भुगतान करना पड़ता है जो संशोधनों सहित अधिसूचनाओं/उपविधियों/अधिनियमों/नियमों/विनियमों में अनुबंधित उपबंधों के कारण या उनके अनुपालन या अनुपालन न करने के कारण अनिवार्य हो, संविदाकार की ओर से, यदि कोई हो, भुगतान करना पड़ता है तब नियोक्ता को उपर्युक्त धनराशि के समायोजन के लिए उसकी निष्पादन जमानत राशि सहित इस संविदा या नियोक्ता के साथ किसी अन्य संविदा के अन्तर्गत संविदाकार को देयराशि से कोई भी राशि की कटौती का अधिकार प्राप्त होगा। नियोक्ता को इस कारण हुई हानि या क्षति की भरपाई के लिए आवश्यक या अनुमानित धनराशि की वसूली का भी अधिकार होगा।

13.6.4. भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न प्रतिष्ठानों पर लागू कुछ प्रमुख विधियों की मुख्य विशेषताएं-

(क) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 ः यह अधिनियम नियोजन के कारण या उस अवधि के दौरान दुर्घटना के कारण घायल होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति का उपबंध करता है।

(ख) उपादान संदाय अधिनियम 1972 ः इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारी को उपादान का भुगतान कुछ शर्तों के पूरा होने पर, उसके सेवा से अलग होने पर, यदि उसने 5 वर्ष या उससे ज्यादा की सेवा पूरी की हो या उसकी मृत्यु पर, सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिन की मजदूरी की दर से किया जाता है। यह अधिनियम 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों को नियोजित करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और फुटकर प्रावधान अधिनियम 1952 इस अधिनियम के अन्तर्गत नियोक्ता और कामगारों द्वारा 10 प्रतिशत या 8.33 प्रतिशत की दर से ज्यादा योगदान का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत लाभ निम्नानुसार हैं-

i) सेवानिवृत्ति या मुत्यु, जो भी मामला हो, पर पेंशन या पारिवारिक पेंशन।
ii) कामगार के सहयोग से मृत्यु की स्थिति में जमा राशि से जुड़ा बीमा
iii) सेवानिवृत्ति/मृत्यु इत्यादि पर भविष्य निधि जमा का भुगतान इत्यादि।

(घ) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1951 ः यह अधिनियम प्रसव या गर्भपात की स्थिति में महिला कर्मचारियों के लिए छुट्टी और कुछ अन्य सुविधाओं का उपबन्ध करता है।

(ड.) ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970ः यह अधिनियम संविदाकार द्वारा ठेका मजदूरों के लिए किए जाने हेतु कुछ कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करता है और यदि संविदाकार ये उपाय करने में विफल रहता है, तो विधितः मुख्य नियोक्ता उक्तउपाय करेगा। मुख्य नियोक्ता के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र लेना और संविदाकार को नामित अधिकारी से लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों या मुख्य नियोक्ता के संविदाकार पर लागू होता है जो 20 या उससे ज्यादा ठेका मजदूरों को नियोजित करते हैं।

(च) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948ः यदि रोजगार अनुसूचित रोजगार है, तब नियोक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्तसरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान नहीं करेगा।

(छ) मजदूरी संदाय अधिनियम 1936ः यह अधिनियम यह उपबंधित करता है कि किसी तिथि तक मजदूरी का भुगतान करना है, कब इसका भुगतान किया जाना है और कामगारों की मजदूरी से कौन सी कटौतियां की जानी है।

(ज) समान पारिश्रमिक अधिनियम 1979 ः समान प्रकृति के कार्य के लिए महिला और पुरुष कामगारों को समान मजदूरी के भुगतान और स्थानान्तरण, प्रशिक्षण और प्रोन्नति इत्यादि के मामलों में महिला कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने का प्रावधान करता है।

(झ) बोनस संदाय अधिनियम 1965ः यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो 20 या उससे ज्यादा कर्मचारियों को नियोजित करते हैं। यह अधिनियम 3500/रू. प्रतिमाह या उससे कम मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को मजदूरी के न्यूनतम 8.33 प्रतिशत और मजदूरी के अधिकतम 20 प्रतिशत के अध्ययधीन वार्षिक बोनस के भुगतान का प्रावधान करता है। 2500/रू. प्रतिमाह या उससे ऊपर 3500 रू. प्रतिमाह तक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बोनस के भुगतान हेतु 2500 रू. प्रतिमाह की मजदूरी को ही आधार माना जाएगा। यह अधिनियम कुछ प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होता। नए स्थापित प्रतिष्ठानों को कुछ स्थितियों में पांच वर्ष तक इससे छूट प्राप्त है। इस अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य से कुछ राज्य सरकारों ने नियोजन का आकार 20 से घटाकर 10 कर दिया है।

(ञ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947ः यह अधिनियम औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र और प्रक्रिया निर्धारित करती है कि किन परिस्थितियों में हड़ताल या तालाबंदी गैरकानूनी और कर्मचारियों की छंटनी या अस्थायी छंटनी या प्रतिष्ठान बन्द करने की शर्तें क्या हैं?

(ट) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946ः यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो 100 या उससे ज्यादा कामगारों को नियोजित करते हैं (कुछ राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा नियोजन का आकार घटाकर 50 कर दिया गया है। यह अधिनियम इसमें उपबंधित मामलों पर नियोक्ता द्वारा रोजगार शर्तों को शामिल करने वाले इसे नामित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाने हेतु नियम निर्धारित करता है।

(ठ) ट्रेड यूनियन कानून 1926ः यह कामगारों और कर्मचारियों के ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मजदूर संघों को सिविल और आपराधिक दायित्व से उन्मुक्तिप्रदान की गई है।

(ड) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986ः यह अधिनियम कुछ व्यवसायों और संसाधनों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है और अन्य सभी व्यवसायों और संसाधनों में बच्चों को नियोजन के विनियमन को उपबंधित करता है। भवन निर्माण उद्योग में बालश्रम का नियोजन निषिद्ध है।

(ढ) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मगार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम 1979ः यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो किसी मध्यस्थ के माध्यम से 5 या उससे ज्यादा अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों को नियोजित करते हैं (जिन्होंने

एक राज्य में कामगारों की भर्ती दूसरे राज्य में स्थित प्रतिष्ठान में नियोजन हेतु की है) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों को किसी प्रतिष्ठान में, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, आवास, चिकित्सा, सहायता, घर से प्रतिष्ठान तक और प्रतिष्ठान से वापस घर तक यात्रा इत्यादि जैसी कुछ सुविधाएं प्रदान करनी पड़ती हैं।

(ण) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 और उपकर अधिनियम 1996ः वे सभी प्रतिष्ठान जो भवन निर्माण या अन्य निर्माण कार्य करते हैं और 10 या उससे ज्यादा कामगारों को नियोजित करते हैं, इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को निर्माण लागत के 2 प्रतिशत तक की दर से, जिसे सरकार द्वारा आशोधित किया जा सकता है, उपकर का भुगतान करना पड़ता है। प्रतिष्ठान के नियोक्त को भवन निर्माण या निर्माण स्थल पर सुरक्षा उपाय और अन्य कल्याणकारी उपाय जैसे कैंटीन, प्राथमिक उपचार सुविधा, एम्बुलेंस, कार्यस्थल के निकट कामगारों को आवास इत्यादि उपलब्ध कराना पड़ता है। नियोक्त, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, को सरकार द्वारा नियुक्त पंजीकरण अधिकारी से एक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है।

(त) कारखाना अधिनियम 1948ः यह अधिनियम कारखाना स्थापित करने के पूर्व योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया, स्वास्थ्य और सुरक्षा उपबंधों, कल्याण उपबंधों, कार्य के घंटे, वार्षिक अर्जित छुट्टी और नामित प्राधिकारी को दुर्घटनाओं या खतरनाक घटनाओं की सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह उन परिसरों पर लागू होती है जो विद्युत की सहायता से 10 या उससे ज्यादा व्यक्तियों और विद्युत सहायता के बिना 20 या उससे ज्यादा व्यक्तियों को विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजन करता है।

14.0 नियोक्त द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं

14.1 स्थान

संविदाकार कार्यालय, स्टोर, कार्यशाला इत्यादि के लिए स्थान।

(क) इंजीनियर अपने विवेकाधिकार से संविदा निष्पादन अवधि के लिए कार्यस्थल पर संविदा के निष्पादन के लिए आवश्यक संविदाकार के क्षेत्र कार्यालय, कार्यशाला, भंडार, दूर स्थानों पर विस्फोटकों के लिए मैगजीन, असेम्बली यार्ड इत्यादि के निर्माण के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा। अनुमोदित योजनानुसार अस्थायी सड़कों, कार्यालयों, कार्यशालाओं इत्यादि का कोई निर्माण संविदाकार द्वारा अपनी लागत से कराया जाएगा।

(ख) कार्य पूरा होने के पश्चात संविदाकार स्थान को समुचित रूप से साफ कराकर इंजीनियर को हस्तांतरित करेगा। जब तक संविदाकार उपर्युक्त उद्देश्य हेतु उसे आवंटित भूमि का खाली कब्जा हस्तांतरित नहीं करता, तब तक उसके बिल का अंतिम भुगतान नहीं किया जाएगा। संविदा पूरा होने के पश्चात यदि संविदाकार उस स्थान पर बना रहा तो संविदाकार को इंजीनियर द्वारा निर्धारित दरों पर उपयोग और कब्जे के लिए भुगतान करना होगा।

14.2 विद्युतः

विद्युत आपूर्तः

जहां निर्माण उद्देश्य के लिए नियोक्त के पास विद्युत आपूर्ति उपलब्ध है, वहां इसे निर्माण कार्य में उपयोग हेतु इंजीनियर के निर्णय के अनुसार वितरण प्रणाली के एक प्वाइन्ट पर कार्यस्थल पर नःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उपलब्ध कराई गई बिजली 440 वोल्ट, 3 फेज, 50 साइकल और 230 वोल्ट, 1 फेज और 50 साइकल की होगी। प्रत्येक संविदाकार आगे वितरण और पावर और रोशनी के लिए ऊर्जा के उपयोग हेतु सभी आवश्यक ट्रान्सफार्मर, स्विचगेयर, वायरिंग, फिक्स्चर, बल्ब तथा अन्य अस्थायी उपकरण उपलब्ध कराएगा और स्थापित करेगा और इसे कार्य समाप्त होने पर हटा लेगा। तथापि यदि विद्युत का उपयोग संविदाकार के श्रमिक/कर्मचारी कालोनी में किया जाता है तब कार्य प्रदान करने के समय उस क्षेत्र में लागू राज्य विद्युत बोर्ड के प्रचलित शुल्क दर पर उपभोग किए गए बिजली का शुल्क लगेगा; यदि परियोजना कार्य से अलग उद्देश्य के लिए विद्युत का उपयोग किया जा रहा हो तब विद्युत आपूर्ति बन्द की जा सकती है और इंजीनियर द्वारा की गई ऐसी किसी कार्रवाई के कारण संविदाकार किसी दावे का हकदार नहीं होगा।

14.3 जल

जहां कहीं भी पानी उपलब्ध है वहां निर्माण कार्य के लिए नःशुल्क जल उपलब्ध कराया जाएगा और इसे कार्यस्थल पर सहमत एकल प्वाइन्ट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसका आगे किसी भी प्रकार का वितरण संविदाकार की जिम्मेवारी होगी। पेयजल यदि उपलब्ध हो तो कार्यस्थल के एक सहमत स्थान पर नःशुल्क जल की आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। उसके श्रमिक कालोनी या उसके कार्यस्थल या उसके कार्यालय में जल का आगे वितरण संविदाकार की जिम्मेवारी होगी।

15.0 संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं

15.1 औजार, साज-सामान और पाड़

संविदाकार सभी निर्माण उपकरणः संविदा के अंतर्गत शामिल उपकरण को जोड़ने के पूर्व स्थापित करने, जांच और चालू करने के लिए आवश्यक औजार, साज-सामान और पाड़ उपलब्ध कराएगा। वह कार्यस्थल पर पूर्व-एकत्रण आरम्भ होने के पूर्व

इंजीनियर को ऐसे सभी सामग्री की सूची प्रस्तुत करेगा। ऐसे साज-सामान और पाड़ को इंजीनियर की लिखित अनुमति के बिना कार्यस्थल से हटाया नहीं जा सकेगा।

15.2 संचार

नियोक्ता दूरभाष और टेलेक्स, यदि कार्यस्थल पर उपलब्ध है, की सुविधा संविदा उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराएगा। ऐसी सुविधाओं के लिए संविदाकार को वास्तविक शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

15.3 प्राथमिक उपचार

15.3.1. संविदाकार कार्यस्थल पर कार्य कर रहे अपने सभी कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और कामगारों के लिए आवश्यक प्राथमिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। पर्याप्त संख्या में संविदाकार के कर्मियों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने में प्रशिक्षित किया जाएगा।

15.3.2. नियोक्ता किसी आपातकाल की स्थिति में, संविदाकार को निकटतम अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराएगा।

15.4 सफाई

15.4.1 संविदाकार संविदा की अवधि के दौरान उसको आवंटित संपूर्ण क्षेत्र को साफ कूड़ा-करकट और कचरे से मुक्तरखने के लिए जिम्मेवार होगा। संविदाकार दिन में कम से कम एक बार अपने कार्यक्षेत्र को अच्छी तरह से साफ करने के लिए विशेष कामगार रखेगा। सभी कूड़ा-करकट और रद्दी सामग्री को इंजीनियर द्वारा निर्धारित जगह पर इकट्ठा किया जाएगा या उसका निपटान किया जाएगा। सामग्री और भंडारों को इस तरह सुव्यवस्थित किया जाएगा जिससे क्षेत्र को आसानी से साफ किया जा सके। ऐसे स्थानों पर जहां उपकरण से तेल का रिसाव होता है, और उससे फर्श को क्षति पहुंच सकती है वहां क्षति से फर्श को बचाने के लिए अग्नि-रोधक, तेल रोधी शीट से उपयुक्तसुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाएगा।

15.4.2. उसी प्रकार श्रमिक कालोनी और संविदाकार के कर्मचारियों और कामगारों के कार्यालयों और आवासीय क्षेत्रों को इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार साफ-सुथरा रखा जाएगा। संविदाकार के कार्य क्षेत्रों, कार्यालयों और निवास स्थानों में संविदाकार द्वारा समुचित स्वच्छता व्यवस्था की जाएगी।

16.0 रूपरेखा और सोपान

सभी कार्य रेखाचित्र में दर्शाए गए रूपरेखा, सोपान और ऊंचाई के अनुसार किए जाएंगे। संविदाकार निर्माण के स्थान निर्धारण और उसे तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा। उपयुक्त बिन्दुओं पर कार्यस्थल पर मूल क्षैतिज और लम्बवत नियंत्रण बिन्दु इंजीनियर द्वारा स्थापित और चिह्नित किया जाएगा। यह बिन्दु संविदा के अन्तर्गत निर्माण कार्य के लिए आधार का कार्य करेगा। संविदाकार पहले ही इंजीनियर को उस समय और स्थल के बारे में इंजीनियर को सूचित करेगा जहां वह उसे आवंटित क्षेत्र में कार्य करना चाहता है ताकि इंजीनियर द्वारा उपयुक्त आधार बिन्दु स्थापित किया जा सके और उसकी जांच की जा सके और संविदाकार अपने कार्य में आगे बढ़ सके। बिना उचित स्थान निर्धारण के किया गया कोई भी कार्य इंजीनियर द्वारा संविदाकार के खर्च पर हटाया या गिराया जा सकता है।

17.0 अग्नि सुरक्षा

17.1. निर्माण कार्य के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली कार्य प्रणाली ऐसी होगी जिससे व्यावहारिक सीमा तक आग के खतरे को कम किया जा सके। ज्वलनशील सामग्री और ज्वलनशील कूड़े-कचरे को जमा करके दिन में कम से कम एक बार कार्य स्थल से हटाया जाएगा। ईंधन, तेल और वाष्पशील या ज्वलनशील सामग्री को निर्माण और उपकरण और सामग्री भंडारण क्षेत्र से दूर सुरक्षित कन्टेनरों में रखा जाएगा। असंसाधित सामग्री का उपयोग कार्यस्थल पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिलकुल नहीं किया जाएगा जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। यदि ऐसी कोई सामग्री उपकरण के साथ कार्यस्थल पर प्राप्त होती है तब उसे निर्माण या भंडारण क्षेत्र में जाने से पूर्व स्वीकार्य सामग्री से बदला जाएगा।

17.2. इसी प्रकार सिकुड़े हुए कागज, निर्मित कार्टन इत्यादि को भंडारण या सामग्री के संचलन के लिए निर्माण क्षेत्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी सभी सामग्री को जल रोधी और अग्निरोधी प्रकार का होनी चाहिए। अन्य सभी सामग्रियों जैसे कार्य आरेख, योजना इत्यादि जो ज्वलनशील हैं लेकिन कार्य किए जाने के लिए आवश्यक है, उन्हें वेल्डिंग स्पार्क, कटिंग फ्लेम और आग के ऐसे अन्य स्रोतों से सुरक्षित रखा जाएगा।

17.3. संविदाकार के सभी निरीक्षक कर्मियों और पर्याप्त संख्या में कामगारों को अग्निशमन में प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें विशिष्ट अग्नि रक्षा कार्य सौंपे जाएंगे।

संविदा की पूरी अवधि के दौरान कार्यस्थल पर पर्याप्त संख्या में ऐसे प्रशिक्षित कार्मिक अवश्य मौजूद होने चाहिए।

17.4. संविदाकार गोदामों, कार्यालयों, अस्थायी ढांचों, श्रमिक कालोनी क्षेत्र इत्यादि के लिए पर्याप्त प्रकार के और संख्या में अग्नि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएगा। इन तक पहुंच हमेशा आसान और खुली रखी जाएगी।

18.0 सुरक्षा

कार्यस्थल पर संविदाकार भंडार में, अलग अर्द्ध एकत्रित और/या उसके द्वारा निर्मित सभी उपकरणों और सामग्री की पूरी सुरक्षा जिम्मेदारी संभालेगा। संविदाकार सभी सामग्रियों, उपकरणों और निर्माण को चोरी, आग और किसी अन्य क्षति और हानि से बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सहित उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था करेगा। संविदाकार की सभी सामग्री इंजीनियर द्वारा निर्धारित पद्धति से और उसकी लिखित अनुमति से ही परियोजना स्थल के अन्दर और बाहर जा सकती है।

19.0 संविदाकार की क्षेत्र सीमा

इंजीनियर पहुंच मार्गों, पार्किंग स्थलों, भंडारण और संविदाकार के निर्माण क्षेत्र की सीमा चिह्नित करेगा और संविदाकार इस प्रकार चिह्नित क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेगा। संविदाकार यह सुनिश्चित करने लिए जिम्मेवार होगा कि उसका कोई भी कर्मी उसके प्रचालन के लिए चिह्नित क्षेत्र से बाहर न जाए। यदि संविदाकार के कर्मियों को उसके लिए चिह्नित क्षेत्र से बाहर जाने की जरूरत पड़े, तब ऐसा केवल इंजीनियर की लिखित अनुमति से ही किया जाएगा।

20.0 नियोक्ता के साथ संविदाकार का सहयोग

यदि संविदाकार के निर्माण कार्य का निष्पादन नियोक्ता के पद्धति सुविधा प्रचालन को प्रभावित करता है, तब संविदाकार के ऐसे निर्माण कार्य केवल इंजीनियर द्वारा अनुबंधित समय और रीति से किया जाएगा और संविदाकार को पूरे समय यह स्वीकार्य होगा। इंजीनियर संविदाकार को बिजली, पानी इत्यादि उपलब्ध कराई गई सुविधाओं पर नियोक्ता के हित में ऐसे प्रतिबंध लगा सकता है जिसे वह उचित समझे और संविदाकार ऐसे प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करेगा और इंजीनियर के साथ सहयोग करेगा। यह संविदाकार की जिम्मेवारी होगी कि वह अपने द्वारा स्थापित उपकरण प्रणाली के आरम्भ होने और उसके प्रचालन के लिए सभी आवश्यक अस्थायी विन्यास और माप साधन उपलब्ध कराए। संविदाकार अपने द्वारा उपलब्ध कराए और स्थापित उपकरणों के लिए आवश्यक तेल और स्नेहक की सफाई या आरम्भ में उसे भरने के लिए भी जिम्मेदार होगा ताकि ऐसे उपकरणों को प्रचालन के लिए तैयार किया जा सके। ऐसे सफाई तेल या अन्य स्नेहकों की आपूर्ति करना, जब तक अन्यथा का दस्तावेज या विनिर्देशनों में उल्लेख न किया गया हो, संविदाकार की जिम्मेवारी होगी।

21.0 आरम्भण पूर्व ट्रायल और आरम्भिक प्रचालन

संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए और स्थापित उपकरणों का आरम्भण पूर्व ट्रायल और आरम्भिक प्रचालन खण्ड जीटीआर, के तकनीकी विनिर्देशों के संगत उपबन्धों में दिए गए विवरण के अनुसार संविदाकार की जिम्मेवारी होगी। इसके अलावा, संविदाकार इन ट्रायलों के सफल निष्पादन के लिए जांच औजार, अंशशोधन उपाय इत्यादि और आवश्यक श्रमिक उपलब्ध कराएगा। यदि इस बात का पूर्वानुमान हो कि उपर्युक्तजांच लम्बे समय तक चल सकती है तो उपर्युक्तजांच के लिए आवश्यक संविदाकार के कामगार ऐसे ट्रायल के दौरान कार्यस्थल पर हमेशा मौजूद रहेंगे।

22.0 सामग्री प्रचालन और भंडारण

22.1. संविदा के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए और कार्यस्थल पर आने वाले सभी उपकरणों को संविदाकार द्वारा तत्काल प्राप्त किया, उतारा, परिवहन करके और भंडारण स्थल पर भंडारण किया जाएगा।

22.2. सभी लदान की जांच और किसी क्षति, कमी, असंगति इत्यादि की तत्काल सूचना, इंजीनियर के सूचनार्थ देने की जिम्मेवारी संविदाकार की होगी। संविदाकार सप्ताह के दौरान सभी प्राप्तियों की जानकारी देते हुए एक प्रतिवेदन प्रति सप्ताह इंजीनियर को प्रस्तुत करेगा। तथापि परिवहन, कार्यस्थल पर उपकरण के संचालन और/या भंडारण और स्थापना के दौरान हुई कोई कमी या क्षति के लिए संविदाकार जिम्मेवार होगा। ट्रंसपोर्टरों, रेलवे इत्यादि द्वारा दावा किया गया कोई विलम्ब शुल्क, घाटा भाड़ा और अन्य ऐसे शुल्क संविदाकार पर प्रभारित किए जाएंगे।

22.3. संविदाकार को प्राप्त सभी उपकरणों की सूची का विस्तृत विवरण देता हुआ एक सही और विस्तृत रिकार्ड निर्माण उद्देश्यों के लिए संविदाकार द्वारा रखा जाएगा और यह रिकार्ड प्रभारी इंजीनियर के निरीक्षण के लिए हमेशा खुला रखा जाएगा।

22.4. सभी उपकरणों का संचलन अत्यन्त सावधानीपूर्वक किया जाएगा ताकि कोई क्षति या हानि न हो। बिना इंजीनियर की लिखित अनुमति के उपकरण को उतारने और/या संचलन के लिए खुली तार रस्सियों, झूलें इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रखे गए उपकरण को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी ताकि उपकरण, या फर्श जिस पर यह रखा हो, को किसी प्रकार का नुकसान न हो। भंडार गृह से उपकरण को वास्तविक कार्यस्थल पर उचित समय पर लाया जाएगा ताकि कार्यस्थल पर ऐसे उपकरण को किसी प्रकार की क्षति से बचाया जा सके।

22.5. सभी बिजली पैनलों, नियंत्रण गियरों, मोटरों और अन्य ऐसे उपकरणों को स्थापित और चालू करने के पूर्व गर्म करके समुचित रूप से सुखाया जाएगा। मोटर बेयरिंग, स्लीप रिंग, कंप्यूटरों और अन्य खुले भागों को भंडारण के दौरान नमी प्रवेश और संक्षारण से बचाया जाएगा और इनका आवधिक निरीक्षण किया जाएगा।

22.6. मोटरों, जनरेटरों आदि जैसे बिजली के सभी उपकरणों की प्राप्ति की तिथि से इसके आरम्भण की तिथि तक तीन महीने में कम से कम एक बार इसके विद्युत प्रतिरोध की जांच की जाएगी और ऐसे मापे गए विद्युत प्रतिरोध का रिकार्ड रखा जाएगा। ऐसे रिकार्डों को इंजीनियर के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

22.7. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि और भंडारण के दौरान विभिन्न उपकरणों के लिए प्रयुक्त सभी पैकिंग सामग्री और सुरक्षा साधन उपकरण की स्थापना के पूर्व हटा लिए जाएं।

22.8. उपभोग योग्य और अन्य आपूर्तियों के भंडारण के कारण इनके खराब होने की संभावना होती है। अतः इसे उचित प्रकार से संरक्षित और भंडारित किया जाना चाहिए जिससे भंडारण से इसकी गुणवत्ता में क्षति या कमी न आए।

22.9. खुले या धूल भरे स्थानों पर रखी गई सभी सामग्रियों को उपयुक्त मौसमरोधी और अग्निरोधी सामग्री से, जहां कहीं भी लागू हो, ढका होना चाहिए।

22.10. यदि संविदाकार की सामग्री उसके लिए निर्धारित क्षेत्र से अलग क्षेत्र में रखी जाती है तब इंजीनियर को ऐसी सामग्री को संविदाकार के खर्च पर संविदाकार के लिए निर्धारित जगह पर स्थानान्तरित करने का अधिकार होगा।

22.11 ऐसे सभी उपकरणों, जिनको भंडार के अन्दर भण्डारण की आवश्यकता होगी, अन्दर उपयुक्त भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संविदाकार की होगी। सामान्यतः सभी बिजली उपकरण जैसे मोटर, कंट्रोल गियर, जेनरेटर, एक्साइटर और उपभोज्य वस्तुं जैसे इलेक्ट्राड्स, स्नेहक इत्यादि का भंडार बंद भण्डार स्थल में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इंजीनियर संविदाकार को कुछ अन्य सामग्रियों, जो उसके विचार से अन्दर रखे जाने चाहिए, को अन्दर रखने का भी निदेश दे सकता है जिसका संविदाकार को कड़ाई से पालन करना पड़ेगा।

23.0 निर्माण प्रबन्ध

23.1.कार्यस्थल पर संविदाकार के क्षेत्र कार्यकलापों का समन्वय इंजीनियर द्वारा किया जाएगा और कार्य की समय तालिका और समन्वय के संबंध में नियोक्ता के संविदाकार और अन्य संविदाकारों और व्यापारियों के बीच किसी विवाद या विरोध के समाधान में इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा। इंजीनियर के ऐसे किसी निर्णय के कारण संविदाकार को अतिरिक्त मुआवजा या समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

23.2 इंजीनियर कार्यस्थल पर कार्यरत संविदाकारों की साप्ताहिक बैठक स्वयं द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर आयोजित करेगा। संविदाकार ऐसे बैठकों में भाग लेगा और बैठक के दौरान विचार-विमर्श को नोट करेगा और अपने कार्यों के निष्पादन में इंजीनियर के निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगा। उपर्युक्त साप्ताहिक बैठकों के अतिरिक्त इंजीनियर या तो एक इंजीनियर या चयनित संख्या में संविदाकारों के साथ अन्य बैठक भी बुला सकता है और ऐसी स्थिति में यदि संविदाकार को बुलाया जाता है तब वह इन बैठकों में भी भाग लेगा।

23.3 समय संविदा का मूल आधार है और संविदाकार और संविदा विनिर्दिष्ट निर्माण समय सारणी के अनुसार अपने कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी समय संविदाकार अपने समय सारणी से पीछे चल रहा हो तब वह अपने कार्यबल या समयोपरि कार्य करके या अन्यथा अपने कार्य की प्रगति में तेजी लाकर ऐसे विलम्ब की भरपाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा ताकि समय सारणी का अनुपालन किया जा सके और ऐसी कार्रवाई की लिखित सूचना इंजीनियर को देगा और उसे विश्वास दिलाएगा कि उसकी कार्रवाई से विलम्ब की क्षतिपूर्ति होगी। संविदाकार को ऐसी कार्रवाई के लिए अलग से कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

23.4. तथापि, इंजीनियर संविदाकार को अतिरिक्त श्रमिक और/या सामग्री आपूर्ति या किसी अन्य सेवा, केवल विभिन्न संविदाकारों के बीच पूर्व निर्धारित समन्वय कार्य को छोड़कर, उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

24.0. क्षेत्र कार्यालय रिकार्ड

संविदाकार अपने कार्यस्थल कार्यालय में सभी आरेखों, विनिर्देशनों और अन्य संविदा दस्तावेजों और अन्य अनुपूरक आंकड़ों की उसमें सभी अद्यतन संशोधनों सहित पूर्ण अद्यतन प्रतियां रखेगा। इसके अलावा संविदाकार उक्त संविदा दस्तावेजों, आरेखों, विनिर्देशनों और अनुपूरक आंकड़ों इत्यादि में क्षेत्र में किए गए सभी परिवर्तनों का निरन्तर रिकार्ड रखेगा और संविदा के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए और स्थापित उपकरणों की स्थापित स्थिति को दर्शाने के लिए संविदा के अन्तर्गत अपने संपूर्ण कार्य की समाप्ति पर आरेखों और अन्य अभियांत्रिक आंकड़ों में हुए ऐसे सभी परिवर्तनों को शामिल करेगा। ऐसे आरेखों और अभियांत्रिक आंकड़ों की प्रतियां आवश्यक संख्या में इंजीनियर को प्रदान की जाएगी।

25.0. कार्यस्थल पर लाई गई संविदाकार की सामग्री

25.1. संविदाकार इंजीनियर को सूचना देने के पश्चात ही कार्यस्थल पर निर्माण उपकरण, औजार और रस्से सहित निर्माण उद्देश्य से सभी उपकरण, घटक, पुर्जे लाएगा। ऐसा सारा सामान नियोक्ता की जानकारी में होगा। इसका उपयोग केवल निर्माण कार्यों के लिए किया जा सकेगा और बिना इंजीनियर की लिखित अनुमति के संविदाकार द्वारा किसी कारण से हटाया या बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। फिर भी इसको हुई किसी प्रकार की हानि या क्षति के लिए संविदाकार ही जिम्मेदार होगा।

25.2. नियोक्ता को संविदाकार द्वारा संविदा के संबंध में या संविदा के कारण किसी भी समय देय रकम या धनराशि के लिए नियोक्ता का ऐसी वस्तुओं पर ग्रहणाधिकार होगा। नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी किसी वस्तु को, सार्वजनिक नीलामी या निजी करार सहित किसी भी पद्धति से जो वह उचित समझे, ऐसा करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना देकर बेच या निपटा सकता है और इससे प्राप्त रकम उक्त देय रकम की वसूली कर सकता है।

25.3. निर्माण के पूरा होने के पश्चात इंजीनियर की लिखित अनुमति से निर्माण उपकरण, निर्माण औजार और रस्से, तख्तों इत्यादि जैसे सामग्रियों को इंजीनियर के निदेश से कार्यस्थल से हटाएगा। यदि संविदाकार ऐसी सामग्री को हटाने के लिए इंजीनियर द्वारा ऐसा करने की सूचना देने के पन्द्रह दिन के अन्दर ऐसा करने में विफल रहता है तो इंजीनियर को ऐसी सामग्री को उस प्रकार से निपटाने का अधिकार होगा, जैसाकि उपबन्ध 25-2 में विवरण दिया गया है, और इससे प्राप्त रकम को संविदाकार के खाते में जमा कराने का अधिकार होगा।

26.0 संपत्ति की सुरक्षा और संविदाकार की देयताएं

26.1. संविदाकार के प्रचालनों से हुई किसी क्षति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। आम आदमी और नियोक्ता के कर्मचारियों और अन्य संविदाकारों और उप संविदाकारों के कर्मचारियों सहित सभी व्यक्तियों और ढांचा भवन अन्य संयंत्रों और उपकरणों एवं जमीन के अन्दर या ऊपर उपयोगी वस्तुओं सहित सभी सार्वजनिक और निजी संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उसकी होगी।

26.2. संविदाकार व्यक्तियों और संपत्ति को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अवरोध, साइन बोर्ड, चेतावनी लाइट और अलार्म इत्यादि जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। संविदाकार अपने कार्य के निष्पादन के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाली ऐसी संपत्तियों या उपयोगी वस्तुओं की तार्किक सूचना इंजीनियर या सार्वजनिक या निजी संपत्ति या उपयोगी वस्तुओं के नियोक्ता और यूटिलिटी को देने के लिए भी जिम्मेवार होगा और ऐसी संपत्ति और वस्तुओं को हटाने और/या प्रतिस्थापित करने या उनकी सुरक्षा के संबंध में आवश्यक व्यवस्था करेगा।

27.0 पेंटिंग

पाइपिंग, संरचना, रेलिंग आदि उपस्करों के सभी खुले भाग संस्थापना के बाद एक अच्छे प्राइमर से पेंट किए जाएंगे जो शॉप प्राइमर के अनुरूप होगा और यह कार्य वायर ब्रशिंग, स्क्रैपिंग या सैन्ड ब्लॉस्टिंग द्वारा गंदगी, जंग, स्केल, ग्रीस, तेल और अन्य बाहरी तत्वों को हटाने के बाद किया जाएगा और पेंटिंग के लिए इंजीनियर द्वारा इसका निरीक्षण एवं अनुमोदन किया जाएगा। इसके पश्चात इन कलपुर्जों पर रेसिन मशीनरी इनैमल पेंट का दो कोट किया जाएगा। फिनिश पेंट की गुणवत्ता आईएसआई या समतुल्य के मानकों के अनुसार और इंजीनियर द्वारा अनुमोदित रंग की होगी।

28.0 बीमा

28.1 इस वाल्युम-। के ठेका संबंधी सामान्य नियम एवं शर्तें नामक खंड के अंतर्गत शामिल शर्तों के अलावा ठेकेदार के तथा उपठेकेदार के विनिर्माण कार्यों को छोड़कर कार्यों के हिस्से पर निम्नलिखित प्रावधान भी लागू होंगे।

28.2 कामगार प्रतिपूर्ति बीमा

यह बीमा कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1948 (भारत सरकार) के अन्तर्गत लागू सभी दावों के विरुद्ध संविदाकार की रक्षा करता है। यह बीमा संविदाकार या उसके उप-संविदाकार के कर्मचारियों, जो किसी कारणवश कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शामिल नहीं किए गए हैं, के जख्मी, अपंग, बीमार या मृत्यु होने की स्थिति में उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। देयताएं निम्नलिखित से कम नहीं होंगी:-
कामगारों की प्रतिपूर्तः सांविधिक उपबंधों के अनुसार
कर्मचारियों की देयताएं ः सांविधिक उपबंधों के अनुसार

से कम नहीं होगी।

28.3 व्यापक मोटर गाड़ी बीमा

यह बीमा नियोक्ता के व्यक्तियों सहित आम व्यक्ति के घायल, अपंग, बीमार या मृत्यु और कार्यस्थल प्रचालनों के दौरान, कार्यस्थल पर या वहां से दूर मोटर गाड़ी के उपभोग से, चाहे वह किसी की हो, से होने वाली अन्य की संपत्ति को हुई क्षति के सभी दावों के विरुद्ध संविदाकार को सुरक्षा प्रदान करता है। देयताएं निम्नानुसार होंगी

प्राण घातक चोट ः	रु. 100,000 प्रति व्यक्ति
	रु. 200,000 प्रत्येक घटना पर
संपत्ति क्षति ः	100,000 रू. प्रत्येक घटना पर

28.4 व्यापक सामान्य देयता बीमा

28.4.1. यह बीमा संविदाकार, उसके एजेंट, उसके कर्मचारी, उसके प्रतिनिधि और उप-संविदाकारों की ओर से हुई किसी चूक, दंगा, हड़ताल और सिविल प्रदर्शन के कारण आम जनता को हुई किसी अपंगता, जख्म, बीमारी या मृत्यु या अन्य व्यक्तियों की

सम्पत्ति को हुई क्षति संबंधी सभी दावों के विरुद्ध संविदाकार को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसमें इस भाग-। के संविदा की सामान्य निबन्धन एवं शर्तों के अन्तर्गत 'डिफेंस ऑफ सुइट्स ' शीर्षक उपबन्ध से उत्पन्न होने वाले संविदाकार की देयता भी शामिल है।

28.4.2. इसमें शामिल किए जाने वाले खतरे उन सभी कार्यों और क्षेत्रों से संबंधित होंगे जहां संविदा के अनुसरण में संविदाकार उसके उप संविदाकार, उसके एजेंट और उसके कर्मचारियों को कार्यों का निष्पादन करना है।

28.5. उपर्युक्त केवल सामान्यतः आवश्यक बीमा की निदर्शी सूची है और यह संविदाकार की जिम्मेवारी होगी कि वह संविदा के अनुसरण में उत्पन्न होने वाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी देयताओं का समय और धनराशि दोनों मामलों मे निपटान करने लिए सभी आवश्यक बीमा सुरक्षा ले।

29.0 प्रतिकूल कार्य परिस्थितियां

संविदाकार अपने फील्ड प्रचालनों को उन कार्यों तक सीमित रखेगा जिन्हें विषम मौसम परिस्थितियों जैसे मानसून, आंधी आदि और अन्य प्रतिकूल निर्माण परिस्थितियों के दौरान गलत प्रभाव वाले उपकरण और पदार्थों के बिना निष्पादित किया जाएगा। संविदाकार, द्वारा ऐसी परिस्थितियों में कोई फील्ड कार्य नहीं किया जाएगा जो गुणवत्ता और कार्यक्षमता को बुरी तरह प्रभावित करे जब तक संविदाकार द्वारा ऐसे कार्यों के निष्पादन में उचित एवं संतोषजनक रीति से तथा इंजीनियर की सहमति से विशेष एहतियाती उपाय न किया गया हो। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों से संविदाकार को किसी भी तरह से कार्यसूची के अनुसार कार्य के निष्पादन संबंधी उनके उत्तरदायित्व से छुटकारा नहीं मिलेगा।

30.0 स्मारकों की सुरक्षा और संदर्भ बिन्दु

संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि कोई प्राप्ति जैसे स्मृतिचिह्न, पुरातत्व, सिक्के, जीवाश्म आदि जो उन्हें उनके कार्य निष्पादन के दौरान खुदाई अथवा कहीं और प्राप्त होते हैं, वह उन वस्तुओं की उचित सुरक्षा करेंगे और इंजीनियर को सौंप देंगे। इसी प्रकार, संविदाकार यह भी सुनिश्चित करेगा कि बेंचमार्क, संदर्भ बिन्दु आदि जिन्हें इंजीनियर की सहायता से अथवा इंजीनियर द्वारा अंकित किया जाता है, को अपने कार्य के निष्पादन के दौरान किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाएगा। यदि कोई कार्य निष्पादित किया जाना है जिससे ऐसे संदर्भों को हानि होगी तो ऐसे कार्य को तभी संपन्न किया जाए जब इन्हें इंजीनियर के दिशानिर्देश में अन्य उचित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए। संविदाकार संदर्भ बिन्दुओं आदि के ऐसे पुनर्स्थापन के लिए सभी आवश्यक सामग्री और सहायता प्रदान करेगा।

31.0 कार्य और सुरक्षा विनियमन

31.1. संविदाकार कार्यस्थल पर कार्यरत सभी कार्मिकों, सामग्रियों, संयंत्रों तथा उनसे अथवा नियोक्ता अन्य से संबंधित उपकरणों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। संविदाकार संबंधित कानूनों और इंजीनियर दोनों द्वारा अपेक्षित सभी सुरक्षा सूचनाएं और सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी होगा जैसा वह आवश्यक समझे।

31.2. संविदाकार तरल अथवा गैसीय ईंधन अथवा विस्फोटक अथवा पेट्रोलियम पदार्थ अथवा ऐसे रसायन जो खतरनाक हों, से भरा कंटेनर कार्यस्थल पर लाने के अपने आशय की सूचना इंजीनियर को अग्रिम रूप में देगा। इंजीनियर को उन शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार होगा जिनके अधीन ऐसे कंटेनर को रखा जाना है तथा कार्य निष्पादन के दौरान संचालन एवं उपयोग किया जाना है और संविदाकार को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। इंजीनियर को अपने विवेकाधिकार से ऐसे किसी कंटेनर अथवा निर्माण संयंत्र/उपकरण जिनके लिए कंटेनर वाले पदार्थ का उपयोग अपेक्षित है, के निरीक्षण का अधिकार होगा और यदि उसके विचार में इसका उपयोग सुरक्षित नहीं है तो वह उपयोग करने से मना कर सकता है। नियोक्ता द्वारा ऐसी निषेध संबंधी शिकायत को स्वीकार नहीं किया जाएगा और नियोक्ता इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार निर्माण के लिए प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त सुरक्षा उपबंधों/शर्तों के लिए संविदाकार के किसी शिकायत पर विचार नहीं करेगा।

इसके अलावा इंजीनियर के ऐसे किसी निर्णय से किसी भी तरह से संविदाकार को उनके दायित्वों से छुटकारा नहीं मिलेगा और यदि ऐसे कंटेनर के उपयोग अथवा प्रवेशकी अनुमति कार्य क्षेत्र के लिए इंजीनियर द्वारा नहीं दी जाती है तो संविदाकार को इंजीनियर के अनुमोदन से कार्यसूची के विस्तार अथवा नियोक्ता पर वित्तीय भार डाले बिना वैकल्पिक विधि का उपयोग करना होगा।

31.3. जहां पेट्रोलियम उत्पादों अथवा पेट्रोलियम मिश्रण और विस्फोटकों की व्यवस्था और/अथवा भंडारण आवश्यक हो, संविदाकार पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, विस्फोटक अधिनियम, 1948 और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव्स ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित कैल्शियम ऑफ कार्बाइड मैन्युअल में निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अनुसार ऐसे संभार और/अथवा भंडारण के वहन के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे सभी भंडारण के लिए इंजीनियर का पूर्वानुमोदन लेना होगा। यदि, ऐसे अनुमोदन मुख्य निरीक्षक (विस्फोटक) अथवा किसी सांविधिक प्राधिकरणों से लेने की आवश्यकता है तो इसे प्राप्त करने की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।

31.4. संविदाकार द्वारा निर्माण एवं स्थापना में प्रयुक्त सभी उपकरण भारतीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करेंगे और जहां ऐसे मानक नहीं हैं, संविदाकार इनका पूर्णतः सुरक्षित होना सुनिश्चित करेगा। विनिर्माता की प्रचालन पुस्तिका और सुरक्षा विनिर्देश

तथा इस संबंध में नियोक्ता के मार्गनिर्देशों/नियमों के अनुसार संविदाकार द्वारा सभी उपकरणों का सख्ती से प्रचालन और रख-रखाव किया जाएगा।

31.5. सभी उपकरणों एवं औजारों को उठाने के लिए आवधिक जांच एवं सभी परीक्षण कारखाना अधिनियम, 1948, भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 और समय-समय पर लागू संबद्ध कानूनों/नियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार किए जाएंगे। संविदाकार द्वारा ऐसी जांचों और परीक्षण रजिस्टर का उचित रख-रखाव किया जाएगा। इस रजिस्टर को इंजीनियर अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के मांगने पर तत्काल प्रस्तुत किया जाएगा।

31.6. संविदाकार बार्क/डीएई नियमों एवं अन्य लागू उपबंधों के अनुसार अपने और अपने उप-संविदाकार के रेडियो सक्रिय स्त्रोतों के सुरक्षित भंडारण के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा। ऐसे पदार्थ के उपयोग, भंडारण और संभालने के संबंध में बार्क/डीएई द्वारा निर्धारित सभी एहतियाती उपायों का संविदाकार द्वारा पालन किया जाएगा।

31.7. संविदाकार सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को आश्यकतानुसार निर्धारित मानक के उचित सुरक्षा उपकरण मुहैया कराएगा जैसाकि इंजीनियर द्वारा निर्देश दिया जाएगा। इंजीनियर को इन सुरक्षा उपकरणों की उनकी उपयुक्तता, विश्वसनीयता, स्वीकार्यता और ग्राह्यता के निर्धारण हेतु जांच करने का भी अधिकार होगा।

31.8. जहां विस्फोटकों का उपयोग किया जाना है, इसका उपयोग, संभाल, भंडारण और विस्फोटकों के उपयोग से संबंधित भारतीय विस्फोटक अधिनियम के अधीन निर्मित परिपाटी/नियम संहिता के अनुसार विशेषज्ञ, अनुभवी, योग्य और सक्षम व्यक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निरीक्षण में सख्ती से किया जाएगा।

31.9. संविदाकार आने जाने के सुरक्षित रास्ते, रेलिंग्स, सीढ़ी, लैडर्स, स्कैफोल्डिंग्स आदि सहित कार्य स्थल पर सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य स्थितियां प्रदान करेगा। पाड़ एक अनुभवी और सक्षम व्यक्ति के नियंत्रण और निरीक्षण में बांधा जाएगा। संविदाकार द्वारा स्थापना के उद्देश्य से केवल उत्तम और मानक गुणवत्ता वाले पदार्थों का उपयोग किया जाएगा।

31.10. संविदाकार किसी भी परिस्थिति में विद्युत के फ्यूजों,वायरिंग और नियोक्ता अथवा अन्य संविदाकार के उपकरणों से छेड़छाड़ अथवा बाधित नहीं करेगा जब तक कि नियोक्ता द्वारा ऐसे फ्यूजों, वायरिंग अथवा विद्युत उपकरणों को संभालने की लिखित अनुमति न दी गई हो।

31.11. संविदाकार अन्य संविदाकार अथवा नियोक्ता के किसी प्लग अथवा सॉकेट से किसी विद्युत उपकरणों को जोड़ने से पूर्व वह

(क) इंजीनियर को इस बात से संतुष्ट करेगा कि उपकरण अच्छी कार्य स्थिति में है;
(ख) अधिकतम विद्युत प्रवाह की दर, वोल्टेज और उपकरणों के चरणों की सूचना इंजीनियर को देगा;
(ग) जिन सॉकेटों से उपकरणों को जोड़ा जा सकता है, उनके बारे में इंजीनियर की अनुमति लेगा।

31.12. इंजीनियर जोड़ने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाएगा कि;

(क) उपकरण अच्छी स्थिति में है और उचित प्लग से लगाया गया है;
(ख) उपकरण को उचित केबल से जोड़ा गया है जिनके दो भूयोजन चालक हैं, जिनमें से एक कोर को घेरते हुए भूयोजित धातु शीट का होगा।

31.13. संविदाकार/नियोक्ता द्वारा किसी प्रयुक्त विद्युत केबल को बिना अनुमति के बाधित नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई वजन केबल पर नहीं दिया जाएगा और न ही कोई सीढ़ी अथवा इस प्रकार के उपकरण को इसके सामने खड़ा किया जाएगा अथवा संबद्ध किया जाएगा।

31.14. किसी बिजली वाले उपकरण पर कोई मरम्मत कार्य नहीं किया जाएगा। उपकरण को इंजीनियर द्वारा सुरक्षित घोषित किया जाना चाहिए और संविदाकार द्वारा मरम्मत कार्य करने से पूर्व इंजीनियर द्वारा कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

31.15. संविदाकार अपनी अस्थायी विद्युत स्थापनाओं के रख-रखाव के लिए योग्य, पूर्णकालीन इलेक्ट्रिशियन/विद्युत पर्यवेक्षकों को आवश्यक संख्या में नियुक्त करेंगे।

31.16. 250 से अधिक श्रमिक, चाहे वे अस्थायी, अनियत, परिवीक्षाधीन, नियमित अथवा स्थायी अथवा संविदा पर हों, संविदाकार कम से कम एक पूर्णकालीन अधिकारी नियुक्त करेगा जो मुख्य रूप से सुरक्षा अधिकारी होगा और जो परियोजना सुरक्षा अधिकारी के साथ समन्वय करेगा वह उपकरण के सुरक्षात्मक पहलुओं और श्रमिकों, का निरीक्षण करेगा। उप-संविदाकारों के माध्यम से निष्पादित होने वाले कार्य की स्थिति में उप-संविदाकार के श्रमिकों को भी संविदाकार कर्मचारी माना जाएगा।

31.17. यदि संविदाकार द्वारा किए गए निर्माण/स्थापना अथवा अन्य संबद्ध कार्यों के दौरान कोई दुर्घटना होती है जिससे किसी कारणवश उनके कर्मचारियों को छोटी या बड़ी या घातक चोट लगती है, तब तत्काल इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इंजीनियर और प्रयोज्य कानूनों के अधीन परिकल्पित सभी प्राधिकारियों को देने की जिम्मेवारी संविदाकार की होगी।

31.18. इंजीनियर को अपने विवेकाधिकार से कार्य को रोकने का अधिकार होगा यदि उनके विचार में कार्य को इस तरह से किया जा रहा है जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं और व्यक्तियों और/अथवा संपत्ति, और/अथवा उपकरण की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसे मामलों में, संविदाकार को खतरों की प्रकृति और संभावित हानि/दुर्घटना की लिखित जानकारी दी जाएगी। संविदाकार शीघ्रता से उन कमियों को दूर करेगा। संविदाकार उस विशेष कार्य को रोकने के पश्चात यदि वह आवश्यक समझे तो कार्य के स्थगन आदेश के विरुद्ध अपील करेगा। ऐसे कार्य स्थगन के तीन दिनों के भीतर इंजीनियर का फैसला निर्णायक निर्णायक होगा और संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा।

31.19. संविदाकार सुरक्षा कारणों जैसाकि ऊपर खण्ड 31.8 में दिया गया है, के कारण कार्य स्थगन के लिए किसी क्षति/क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा और कार्य स्थगन की अवधि को कार्य की पूर्णता के लिए समय-विस्तार के रूप में नहीं माना जाएगा तथा इसे परिसमापित क्षति के लेवी से छूट प्राप्त करने का आधार भी नहीं माना जाएगा ।

31.20. संविदाकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह कार्य के निष्पादन के दौरान सुरक्षा नियमों की आवश्यकता का ध्यान रखेंगे जिनमें सामान्यतया निम्नलिखित शामिल होंगे परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे

सुरक्षा नियम

(क) संविदाकार द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को सुरक्षा के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी ताकि वह सुरक्षित तरीका से कार्य कर सके।

(ख) किसी भी कर्मचारी को उचित शिक्षा के बिना ऐसे अपरिचित कार्य करने के लिए नहीं कहा जाएगा जो उसके और उसके साथी कर्मचारियों के लिए खतरनाक है।

(ग) किसी भी परिस्थिति में कोई कर्मचारी जब खतरनाक स्थितियों में कार्य कर रहा हो, तो वह शीघ्रता नहीं करेगा अथवा अनावश्यक प्रयास नहीं करेगा।

(घ) कर्मचारियों को खुली अग्नि को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। अग्नि संभावित क्षेत्रों में धूम्रपान की अनुमति नहीं होगी तथा उचित फायर फाइटिंग यंत्रों को महत्वपूर्ण स्थानों पर रखा जाएगा।

(ड.) किसी मादक पेय के प्रभाव के अधीन वाले कर्मचारियों को कार्य स्थल पर नहीं रहने दिया जाना चाहिए।

(च) प्रत्येक कार्य स्थल पर घायलों के शीघ्र एवं पर्याप्त प्राथमिक उपचार के लिए उचित व्यवस्था होगी।

(छ) सीढ़ियों और मार्गों में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होगी।

(ज) कर्मचारीगण जब चल रही मशीनरी के आस-पास कार्य करते हैं, तब उन्हें ढीले-ढाले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा जूतों की सिफारिश की जाती है जब दूकानों अथवा स्थानों, जहां सामग्रियों अथवा यंत्रों के गिरने की संभावना रहती हैं, में कार्य कर रहे होते हैं। केवल अनुभवी श्रमिकों को गार्ड रेल के पीछे जाने अथवा क्रियाशील या चलायमान यंत्र की सफाई करने की अनुमति होगी।

(झ) कर्मचारियों को प्रत्येक कार्य के लिए अभिप्रेत मानक सुरक्षा उपकरण का उपयोग अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक उपकरण की उपयोग से पूर्व और उसके बाद जांचकी जाएगी।

(ञ) जल के अंदर कार्य करने वाले अनुज्ञप्त और अनुभवी गोताखोरों के लिए वायु संचार की आवश्यकता, कीच अथवा जलमग्न स्थितियों में कार्य करने के लिए गम बूटों का उपयोग जैसी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

(ट) चट्टानों की खुदाई के मामले में विस्फोट अनिवार्यतः अनुज्ञप्त विस्फोटकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा और विस्फोटक और चार्ज सामग्री के भंडारण/परिवहन के दौरान अन्य एहतियातों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

31.21 संविदाकार नियोक्ता के सुरक्षा संबंधी नियमों, श्रमिकों, कर्मचारियों, संयंत्रों एवं उपकरणों की सुरक्षा से संबंधित प्रयोज्य कानूनों के प्रासंगिक उपबंधों, जिन्हें समय-समय पर बिना किसी पूर्वापत्ति, विरोध अथवा प्रतिस्पर्धा अथवा आरक्षण के निर्धारित किया जा सकता है, का अनुपालन करेगा। यदि सांविधिक आवश्यकता और ऊपर वर्णित नियोक्ता के सुरक्षा संबंधी नियमों में कोई मतभेद होता है, तो बाद वाला संविदाकार पर लागू होगा जब तक कि सांविधिक उपबंध उपबंध अधिक सख्त न हो।

31.22. यदि संविदाकार नियोक्ता के सुरक्षा संबंधी नियमों के अनुसार सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने में असफल रहता है अथवा ऊपर खण्ड 31.18 में वर्णित विवरण के अनुसार इंजीनियर द्वारा कार्य रोकने के निर्देश के बाद भी कार्य को जारी रखता है, संविदाकार नियोक्ता को उनकी मांग पर 5000 रूपए प्रति दिन की दर से तब तक भुगतान करता रहेगा जब तक कि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है और इंजीनियर द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता। तथापि, दुर्घटना होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को लगी चोट के मामले में खण्ड 31.23 में अन्तर्निहित उपबंध इस खंड में वर्णित मुआवजा के अतिरिक्त लागू होगा।

31.23 यदि संविदाकार सुरक्षा संबंधी सभी एहतियात नहीं बरतता और/अथवा नियोक्ता द्वारा निर्धारित सुरक्षा संबंधी नियमों अथवा उपकरण एवं संयंत्र तथा श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रयोज्य कानूनों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है और संविदाकार उन खतरनाक स्थितियों को नहीं रोकता है जिनसे उनके अपने कर्मचारियों अथवा अन्य संविदाकारों के कर्मचारियों अथवा नियोक्ता के कर्मचारियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति जो स्थल पर अथवा उसके आस-पास हैं, को चोट लग सकती है तो इस स्थिति में संविदाकार निम्नलिखित सूची के अनुसार नियोक्ता को मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगाः

(क) घातक चोट अथवा दुर्घटना जिससे मृत्यु हुई हो ः 1,000,000 रू.

(ख) अधिक चोट अथवा दुर्घटना जिससे श्रमिकों अथवा कर्मचारियों को 25प्रतिशत अथवा अधिक स्थायी विकलांगता होती हो ः 20000 रू. प्रति व्यक्ति

(ये किसी व्यक्ति की मृत्यु/घायल होने पर, जैसा भी हो,पर लागू हेंगे)

स्थायी विकलांगता का अर्थ वही होगा जैसाकि श्रमिक मुआवजा अधिनियम में बताया गया है। ऊपर वर्णित मुआवजा श्रमिक मुआवजा अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों और उनके अधीन निर्मित नियमों अथवा समय-समय पर यथा प्रयोज्य किसी अन्य संगत कानूनों के अधीन श्रमिकों/कर्मचारियों को देय मुआवजे के अतिरिक्त होगा। यदि नियोक्ता को ऐसे मुआवजा का भुगतान करना पड़ता है तब संविदाकार को ऊपर वर्णित मुआवजा के अलावा ऐसी राशि का भुगतान नियोक्ता को करना पड़ेगा।

31.24. यदि संविदाकार नियोक्ता द्वारा प्रदत्त संविदा के प्रचलन के दौरान सभी सुरक्षा संबंधी नियमों एवं संहिताओं, सांविधिक कानूनों एवं नियमों का अनुपालन करता है और इस प्रकार कोई दुर्घटना नहीं होती, तब नियोक्ता संविदाकार के प्रदर्शन और योजना के आधार पर उसे 'दुर्घटना रहित सुरक्षा पुरस्कार देने ' पर विचार कर सकता है जिसके बारे में समय-समय पर अलग से घोषणा की जा सकती है।

32.0 कोड आवश्यकता

उपकरण की स्थापना के दौरान अपनायी जाने वाली आवश्यकताएं एवं प्रक्रियाएं प्रासंगिक कोड और स्वीकृत उत्तम इंजीनियरिंग परंपरा, इंजीनियर के चित्रांकन और अन्य प्रयोज्य भारतीय मान्यता प्राप्त कोड तथा भारत सरकार के कानूनों एवं विनियमों के अनुसार होंगी।

33.0 नींव प्रतिसारण और पिलाई (पतले गारे से छेदबंदी)

33.1. नींव की सतहों को प्रतिसारित किया जाएगा ताकि नींव की ऊपरी सतह अपेक्षित स्तर, नींव के उपकरण/उपकरण आधारों की स्थापना से पूर्व, उसी स्तर पर आ सके।

33.2. सभी उपकरण आधारों और संरचनात्मक स्टील आधार की पिलाई की जाएगी और इन विनिर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा जब तक कि अन्यथा उपकरण विनिर्माता द्वारा सिफारिश न की गई हो।

33.3. ठोस नींव सतह छिलाई और/अथवा पिलाई द्वारा तैयार की जाती है जैसी कि ऐसे नींव को अपेक्षित स्तर तक लाने की आवश्यकता होती है ताकि बोंडेज के लिए आवश्यक रूखापन मिल सके तथा पर्याप्त बीयरिंग स्ट्रेंथ सुनिश्चित हो सके। सभी लेंटेंस और सतह पर्तों को हटाया जाएगा और सफाई की जाएगी।

33.4 पिलाई मिश्रण

पिलाई मिश्रण पोर्टलैंड सीमेंट, बालू और पानी का मिश्रण होता है। प्रयोग में लाया जाने वाला पोर्टलैंड सीमेंट आईएसआई नं.269 या समतुल्य हों। बालू आईएसआई नं.383/2386 या समतुल्य होगी। फ्लैट आधारों के लिए पिलाई का अनुपात जहां पिलाई स्पेस 35 एमएम से अधिक नहीं होगा, सीमेंट के 50 किग्रा. बोरे के साथ के साथ 75 कि.ग्रा. बालू होगी। केवल जल की अपेक्षित मात्रा मिलायी जाएगी ताकि मिश्रण को कंपनशील और प्रवाहयोग्य बनाया जा सके तथा मिश्रण शिखर पर अधिक पानी नहीं दिखाएगा जब स्थान पर गारा लगाया जा रहा हो। 65 एमएम तक की मोटी पिलाई बेड के लिए बालू की मात्रा 105 कि.ग्रा. प्रति बोरी सीमेंट तक बढ़ायी जाएगी। आधार जो खोखले होते हैं और जिन्हें पिलाई द्वारा पूरी तरह से भरा जाना है, को रिम के बाहर 25 मि.मि. के स्तर तक भरा जाएगा जिसमें एक भाग सीमेंट, 1.5 भाग बालू तथा 1.5 भाग 6 मि.मि. ग्रेनाइट ग्रेवल के अनुपात में गारा मिला होता है। स्वीकार्य प्लास्टीसाइजर को प्लास्टीसाइजर के विनिर्माता की सिफारिश के अनुपात में मसालो में मिलाया जा सकता है। ऐसे सभी मसालों को एक अनुमोदित यांत्रिक मिक्सर में कम से कम पांच मिनट तक मिलाया जाएगा और मिलाने के तत्काल बाद उपयोग किया जाएगा।

33.5 मसालो का उपयोग

33.5.1. आधार तैयार हो जाने के बाद इसके संरेखन और स्तर की जांच एवं अनुमोदन की जाती है और वास्तव में मसाला के उपयोग से पूर्व एक छोटा बांध आधार के आस-पास कुछ दूरी पर बनाया जाएगा और इसके बाद मसाला को गिराने एवं मिलाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे बांध की ऊंचाई आधार तल से कम से कम 25 मि.मि. होगी। मसाला के उपयोग से पूर्व आधार के नीचे उचित आकार वाली कई जंजीरों का उपयोग किया जाएगा ताकि ऐसी चेन को आगे-पीछे किया जा सके तथा आधार के नीचे प्रत्येक स्थान पर मसाला लग सके।

33.5.2. मसाला या तो बनाए गए पिलाई छिद्रों के माध्यम से डाला जाएगा अथवा एक ओर से अथवा दो सन्निकट साइडों से डाला जाएगा। इसके लिए आधार के नीचे और उसके सामने बाहर ठोस वस्तु द्वारा दबाव डालकर मसाले को गिराया जाएगा। मसाला डालने का काम तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि आधार के नीचे का स्थान पूर्णतया भर न जाए और ग्राउट आधार तल से कम से कम 25 मिमि. ऊंचा न हो जाए। आधारों के नीचे हवा या जल पाकेट न रह जाए, इसके लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए।

33.6 ग्राउट के किनारों को पूरा किया जाना

डाले गए मसाले को तब तक छोड़ दिया जाता है जब तक कि यह जम न जाए। इसके तत्काल बाद, डैम को हटा दिया जाएगा तथा ग्राउट, जो संरचनात्मक या यंत्र आधार प्लेटों के किनारों से परे तक फैला हुआ है, को समाप्त किया जाएगा, बहाया जाएगा तथा हटा दिया जाएगा। ग्राउट के किनारों को नुकीला बनाया जाएगा तथा 1:2 अनुपात में सीमेंट के मसालों के साथ पूरा किया जाएगा जिस पर ग्राउट के बॉडी से दबाव देकर जोड़ा जाएगा और एक औजार द्वारा चिकना उदग्र समतल बनाने के लिए चिकना बनाया जाएगा। यह कार्य स्वच्छ तथा वैज्ञानिक पद्धति से किया जाएगा । सन्निकट सतह जगहों, नींव के फैले किनारों तथा संरचनात्मक स्टील एवं उपकरण आधार प्लेटों से गिरे हुए को अच्छी तरह साफ किया जाएगा।

33.7 पिलाई के पश्चात उपकरण की जांच

गारे के जम जाने एवं अभिसाधित हो जाने के पश्चात संविदाकार उपकरण के संरेखन की जांच एवं सत्यापन, रोटेटिंग मशीनरी के शाफ्ट के संरेखन, सभी स्थितियों के ढालों, आधारों, रोटरों के उनके सीलिंग बोर के संबंध में सेंटरिंग, संयोजन आदि यथा प्रयोज्य तथा यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मदों की जांच एवं सत्यापन करेगा कि पिलाई के दौरान कोई विस्थापन नहीं हुआ है। पिलाई से पूर्व दर्ज मात्राओं का ऐसे पिलाई पश्चात जांच एवं सत्यापन के दौरान उपयोग किया जाएगा। संरेखन विवरणों के ऐसे पूर्व एवं पश्चात ग्राउट अभिलेखों का संविदाकार द्वारा इंजीनियर के लिए स्वीकार्य रीति से रख-रखाव किया जाएगा।

34.0 शाफ्ट संरेखन

चलायमान उपकरण के सभी शाफ्ट को उन एक समान उपकरणों के लिए उचित रूप से संरेखित किया जाएगा जो यथा प्रयोज्य शुद्धता के रूप में पूर्ण हो। उपकरण अत्यधिक कंपन से मुक्तहोगा ताकि बीयरिंग्स के अधिक गर्म अथवा अन्य स्थितियों से बचा जा सके क्योंकि इससे उपकरण की आयु कम हो सकती है। सभी बीयरिंग्स, शाफ्टों एवं अन्य उपकरणों को चालू करने से पूर्व पूर्णतया सफाई तथा चिकनाई की जानी चाहिए।

35.0 डोवेलिंग

इंजीनियर के दिशा-निर्देश के अनुसार सभी मसालों और अन्य उपकरणों को टेपर्ड मशीन डोवेल की सहायता से शाफ्टों के संरेखन के बाद उचित रूप से डोवेल किया जाएगा।

36.0 नियंत्रण प्रणालियों की जांच

पृथक विनिर्देशन और नियोक्ता द्वारा निर्धारित तथा समाप्त किए गए के अधीन प्रस्तुत वायरिंग, केबलिंग के पूरा होने के पश्चात संविदाकार इन विनिर्देशों एवं प्रलेखों के तहत स्थापित और प्रस्तुत उपकरण के लिए सभी नियंत्रण प्रणालियों के प्रचालन की जांच करेगा।

37.0 केबलिंग

37.1 सभी केबलों को कांडयूट अथवा केबल ट्रे द्वारा हवा में संचालित अथवा केबल चैनलों में लगाया जाएगा। इन्हें फिटिंग के प्रतिसाम्य बेंड से निर्मित राइट कोण के साथ प्रमुख सतह के लिए समांतर रूप से प्रदर्शित अथवा अभिलम्ब रूप से स्थापित किया जाएगा। जब केबल, केबल ट्रे पर संचालित होते हैं, इन्हें इंजीनियर द्वारा निर्देशानुसार 2000 मि.मि. या अन्यथा के अन्तराल पर लगाया जाएगा।

37.2 प्रत्येक केबल, चाहे विद्युत अथवा संचालन के लिए हो, को अनुमोदित प्रकार का मेटलिक अथवा प्लास्टिक टैग प्रदान करना होगा, केबल एवं कांडयूट सूची (संविदाकार द्वारा तैयार) में केबल संदर्भ संख्या अंकित हो, यह अंकन प्रत्येक पांच मीटर

या उसके भाग पर हो तथा केबल के दोनों सिरों पर भी हो। केबल रूटिंग इस तरह से किया जाना चाहिए कि अनुरक्षण एवं आसान अभिनिर्धारण के लिए केबल तक सुगम पहुंच हो।

37.3 केबलों का तेज बेंडिंग और किंकिंग से बचाव किया जाना चाहिए। पीवीसी ऊष्मारोधी केबल 1100 वी ग्रेड के लिए न्यूनतम त्रिज्या 15 डी होगी जहां डी केबल का समग्र व्यास है। अन्य केबलों की स्थापना जैसे उच्च वोल्टेज, कोक्सीयल, स्कन्ड कंपनसेटिंग, खनिज ऊष्मारोधी केबल विनिर्माता की सिफारिशों के अनुसार होगी। जहां कहीं केबल को सड़क एवं पानी, तेल, सीवेज अथवा गैस लाइनों से होकर गुजारना होता है तो ऐसी स्थिति में केबल चैनल के डिजायनिंग में केबल की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

37.4 प्रत्येक केबल संचालन में कुछ अतिरिक्त लम्बाई में केबल को उचित बिन्दु पर रखा जाना चाहिए जिससे एक या दो सीधे ज्वाइंट को बनाए जाने में सुविधा हो ताकि बाद में होने वाले फाल्ट को सुगमता से दूर किया जा सके।

37.5 कंट्रोल केबल टर्मिनेशन अभिनिर्धारण कोड का उपयोग करते हुए वायरिंग ड्रायग्राम के अनुसार होगा जो इंजीनियर के अनुमोदन की शर्त पर होगी। मल्टी-कोर कंट्रोल केबल जैकेटों को हटाया जाएगा क्योंकि चालकों को टर्मिनेट एवं ट्रेन करने की आवश्यकता होगी। केबल जैकेट को केबल पर यथासंभव प्रथम चालक शाखा के बिन्दु तक छोड़ना होगा। ऊष्मारोधी चालक जहां से जैकेट को हटाया जाएगा, को सफाई से बंडलों में बांधा और टर्मिनेट किया जाएगा। बंडलों को प्लास्टिक या नाइलोन टाई अथवा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से फंगस रोधी निर्मित कोई की सहायता से दृढ़तापूर्वक न कि बहुत अधिक सख्ती से बांधा जाता है।

37.6 कंट्रोल केबलों के लिए कनेक्टरों को पारदर्शी ऊष्मारोधी स्लीव से ढंकना होगा ताकि भूमि अथवा सन्निकट टर्मिनलों के संपर्क से होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके तथा वरीयता एलमेक्स टर्मिनलों और वाशरों में टर्मिनेट किया जाएगा। ऊष्मारोधी स्लीव अग्निरोधी होगा और इतना लंबा होगा कि कंडक्टर ऊष्मारोधी से होकर गुजर सके। सभी कंट्रोल केबलों को सही तरह से लगाया जाएगा तथा केबलों से पहले उचित प्रचालन के लिए टर्मिनल ब्लॉक और जांच उपकरण के लिए किए गए कनेक्शन को एक साथ जोड़ा जाता है।

खण्ड - ईसीसी की समाप्ति

खण्ड- अनुबंध

अनुबंध

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
I.	बोली गारंटी के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र	63
II.	संविदा निष्पादन हेतु बैंक गारंटी का प्रपत्र	64
III.	बैंक गारंटी के विस्तार का प्रपत्र	66
IV.	वचन पत्र का प्रपत्र	67
V.	भुगतान हेतु आवेदन का प्रपत्र	68
VI.	अग्रिम भुगतान हेतु बैंक गारंटी का प्रपत्र	69
VII.	क्षतिपूर्ति बॉण्ड का प्रपत्र (संपूर्ण उपस्कर खेप एक बार में)	71
VIII.	क्षतिपूर्ति बॉण्ड का प्रपत्र (किस्तों में सुपुर्द किए गए	73

	उपस्कर)	
IX.	'करार ' का प्रपत्र	75

अनुबंध-1

बोली गारंटी हेतु बैंक गारंटी का प्रपत्र (स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगाया जाना है) गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर जारी करने वाले बैंक के नाम पर होना चाहिए

संदर्भ..... **बैंक गारंटी संख्या.....**

तारीख.....

सेवा में

.....

.....

.....

महोदय,

आपकी विनिर्दिष्ट सं0..... के तहत बोली के आमंत्रण के अनुसार
मैसर्स.....
जिसका अपना पंजीकृत/प्रधान कार्यालय..... में स्थित है (जिसे इसके बाद 'बोलीदाता' कहा जाएगा) उक्तबोली या.....) में भाग लेना चाहते हैं और आप उक्तबोली में भाग लेने के लिए पूर्व-निर्णीत शर्त के रूप में बोलीदाता द्वारा जमा की जाने वाली अपेक्षित बोली राशि के बदले बोलीदाता की ओर से .....रूपए की राशि, जो .....तक वैध होगी, हेतु एक अप्रतिदेय और बिना शर्त बैंक गारंटी को स्वीकार करने के लिए विशेष अनुग्रह के तौर पर सहमत हुए हैं।

हम,.....में (स्थानीय पता) स्थित.....बैंक जिसका अपना प्रधान कार्यालय.....में है,.....*** द्वारा मांगे जाने पर किसी भी शर्त, प्रतिवाद, आपत्ति और वसूली अधिकार के बगैर तत्काल रूप से.....रूपए की गारंटी की राशि (शब्दों और अंको में) का भुगतान करने की गारंटी और वचन देते हैं। बोलीदाता द्वारा कोई भी विवाद या मतभेद उठाए जाने के बावजूद उक्त 'नियोक्ता' द्वारा की जाने वाली कोई भी ऐसी मांग हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी।

यह गारंटी अप्रतिसंहरणीय होगी और.....तक और @.....सहित वैध होगी। यदि इस गारंटी अवधि में और कोई विस्तार अपेक्षित होगा तो इसे मैसर्स....., जिनकी ओर से यह गारंटी जारी की गई है, से अनुदेश प्राप्त होने पर ऐसी अपेक्षित अवधि (एक वर्ष से अधिक नहीं) के लिए बढ़ाया जाएगा। जिसके साक्ष्य में बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के जरिए.....में.....20.....के इस.....दिन अपना हस्ताक्षर करके स्टाम्प लगाया है।

साक्ष्य

.....	**.....**
(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
.....	.....
(नाम)	(नाम)
.....	.....
(आधिकारिक पता)	(बैंक के स्टाम्प के साथ पदनाम) मुख्तारनामा संख्या.....के अनुसार स्वामित्व दिनांक.....

@ यह तारीख अंतिम तारीख, जिसके लिए बोली वैध है, दिनांक के बाद तीस (तीस) दिन होगी।

अनुबंध-2

संविदा निष्पादन हेतु बैंक गारंटी का प्रपत्र
(स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगाया जाना है)

संदर्भ..... **बैंक गारंटी संख्या.....**

तारीख.....

सेवा में
.....***
.....
.....

महोदय,

.....(इसके आगे 'नियोक्ता' के रूप में संदर्भित किया जाएगा जिस अभिव्यक्ति में जब तक यह संदर्भ या तप्संसक्तअर्थ के असंगत न हो, इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे) द्वारा मैसर्स.....जिसका

पंजीकृत/प्रधान कार्यालय.....में स्थित है (इसके आगे 'संविदाकर्ता ' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक यह संदर्भ या तत्संसक्त अर्थ के असंगत न हो, इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे) को नियोक्ता के दिनांक.....के अवार्ड पत्र सं.....जारी कर संविदा सौंपे जाने और इसे संविदाकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिए जाने, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक.....को ..... (संविदा का दायरा) के मूल्य पर.....संख्या वाली संविदा हुई और संविदाकर्ता के नियोक्ता को संविदा के उक्त मूल्य की.....(औ) की प्रतिशतता के रूप में.....($) के समतुल्य संपूर्ण संविदा के विश्वसनीय निष्पादन हेतु एक संविदा निष्पादन गारंटी प्रदान करने के लिए सहमत होने पर विचार करते हुए

हम..... .....

(नाम और पता)

जिसका मुख्य कार्यालय.....में है, (इसके आगे 'बैंक ' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक यह संदर्भ या तत्संसक्त अर्थ के असंगत न हो, इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे) एतद्द्वारा किसी आपत्ति, शर्त, विवाद, वसूली अधिकार या प्रतिवाद के बिना और/अथवा संविदाकर्ता को किसी संदर्भ के बिना $$.....(दिन/महीना/वर्ष).....तक किसी भी समय यथा उपरोक्त.....की सीमा तक संविदाकर्ता द्वारा देय कोई भी और सभी धनराशि नियोक्ता को मांगे जाने पर भुगतान करने की गारंटी और वचन देते हैं। नियोक्ता और संविदाकर्ता के बीच कोई मतभेद अथवा किसी न्यायालय, अधिकरण, विवाचक या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष कोई विवाद लंबित होते हुए भी बैंक के पास नियोक्ता द्वारा की गई ऐसी कोई भी मांग निर्णायक और बाध्यकारी होगी। बैंक नियोक्ता की पूर्व सहमति के बिना इस गारंटी को इसके जारी रहने के दौरान निरस्त न करने का वचन देता है और इस बात की सहमति भी प्रदान करता है कि इसमें निहित गारंटी नियोक्ता द्वारा इस गारंटी को मुक्त किए जाने तक प्रवृत्त होती रहेगी।

नियोक्ता को इस गारंटी के तहत बैंक के दायित्व को किसी भी तरह प्रभावित किए बगैर संविदाकर्ता द्वारा संविदा के निष्पादन को समय-समय पर बढ़ाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। नियोक्ता को इस गारंटी को प्रभावित किए बगैर उनमें निहित किन्हीं अधिकारों या किसी अन्य अधिकार, जो संविदाकर्ता के विरूद्ध उनको प्राप्त हो, के प्रयोग को समय-समय पर स्थगित करने, और किसी भी समय किसी भी तरीके से उक्त अधिकारों का प्रयोग करने, और नियोक्ता और संविदाकर्ता के बीच निहित या आशयित किन्हीं प्रलेखों को या तो लागू कराने अथवा लागू कराने से रोकने के लिए या नियोक्ता को उपलब्ध किसी अन्य उपाय या समाधान या सुरक्षा का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। उपरोक्त मामलों या उनमें से किसी के संदर्भ में नियोक्ता द्वारा अपनी स्वतंत्रता के किसी भी प्रयोग द्वारा या नियोक्ता की ओर से भूल-चूक की किसी अन्य घटना या नियोक्ता द्वारा दर्शाई गई किसी अन्य अतिशयता के द्वारा या किसी अन्य विषय या वस्तु चाहे जिस किसी भी चीज का इस उपबंध को छोड़कर, कानून के तहत बैंक को मुक्त करने का प्रभाव हो, उसके कारण पूर्वोक्त प्रस्तुतियों के तहत बैंक अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होगा।

बैंक इस बात पर भी सहमत है कि नियोक्ता अपने विकल्प पर प्रथमतः संविदाकर्ता के विरूद्ध कार्रवाई किए बिना और संविदाकर्ता के दायित्वों के संबंध में नियोक्ता के पास किसी सुरक्षा या अन्य गारंटी के होते हुए भी एक प्रधान देनदार के रूप में बैंक के प्रति इस गारंटी को लागू करने के लिए हकदार होगा।

यहां उपरोक्त में निहित किसी बात के होते हुए भी इस गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व.....तक सीमित है और यह.....सहित.....तक लागू रहेगा और इसे समय-समय पर ऐसी अवधि (एक वर्ष से अधिक नहीं) के लिए बढ़ाया जाएगा जो कि मैसर्स.....द्वारा वांछित हो जिनकी ओर से यह गारंटी दी गई है।

दिनांक आज.....में.....में.....के दिन.....(स्थान)

साक्ष्य

(हस्ताक्षर)	.....
	(हस्ताक्षर)
.....	.....
(नाम)	(नाम)
.....	.....
(आधिकारिक पता)	(बैंक के स्टाम्प के साथ पदनाम)
	मुख्तारनामा संख्या.....के अनुसार
	अटार्नी नं.....
	दिनांक.....

$ यह राशि संविदा मूल्य का पंद्रह प्रतिशत (15प्रतिशत) होगी।

$$ यह तारीख संविदा में यथा विनिर्दिष्ट वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद 90 दिन होगी।

टिप्पणी उचित मूल्य के स्टाम्प पत्र जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे जाएंगे।

अनुबंध-3

बैंक गारंटी के विस्तार का प्रपत्र (स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगाया जाना है)

संदर्भ..... तारीख.....

सेवा में

.....***

.....

.....

महोदय,

विषयः **संविदा संख्या.....दिनांक..... (इसके आगे मूल बैंक गारंटी कहा जाएगा) के संबंध में मैसर्स..... के खाते पर.....को समाप्त होने वाली, आपके पक्ष में.....रूपए हेतु बैंक गारंटी सं0.....का विस्तार**

मैसर्स.....के अनुरोध पर हम.....बैंक, जिसका शाखा कार्यालय.....में है और जिसका प्रधान कार्यालय.....में स्थित है एतद्द्वारा ऊपर उल्लिखित दिनांक

गारंटी सं.....के तहत अपनी देयता.....को.....से आगे.....वर्षों/महीनों की अवधि के लिए बढ़ाते हैं जो.....को समाप्त होगी। दिनांक.....की मूल बैंक गारंटी सं.....की अन्य सभी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित और बाध्यकारी रहेंगी।

कृपया इसे मूल बैंक गारंटी, जिसके साथ यह संलग्न किया जाएगा, के अनिवार्य भाग के रूप में समझा जाए।

भवदीय,

कृते.....
प्रबंधक/अभिकर्ता लेखाकार
मुख्तारनाम सं.....
दिनांक.....

बैंक की मुहर

टिप्पणी बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के नाम से उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर खरीदे जाएंगे।

अनुबंध-4

वचन पत्र का प्रोफार्मा
(बोलीदाता द्वारा अपनी बोली के साथ प्रस्तुत किया जाएगा)
अपेक्षित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर निष्पादित किया जाएगा)

संदर्भ..... तारीख.....

सेवा में
.....***
.....
.....
महोदय,

1. मैंने।/हमने। .....(कार्य का पूर्ण दायरा) के संबंध में निम्नलिखित बोली दस्तावेजों को पढ़ लिया है और इनकी जांच कर ली है।
क) निविदा आमंत्रित करने वाली सूचना
ख) संविदा की शर्तें (बोली के आमंत्रण में गैर-आई.डी.ए. आपूर्ति-सह-निर्माण को समाविष्ट करने वाले भाग ' 'बोलीदाताओं को अनुदेश ' 'संविदा की सामान्य निबंधन और शर्तें ' और 'संविदा की निर्माण संबंधी शर्तें ')
ग) अनुबंध.....से.....सहित संविदा की विशेष शर्तें
घ) आहरण सं.....
ड.) तकनीकी विनिर्देश

2. मैं*/हम* एतद्द्वारा अपनी बोली प्रस्तुत करते हैं और बोली की तारीख से छः (6) महीने की अवधि तक के लिए बोली को वैध बनाए रखने का वचन देता हूं/देते हैं। मैं।/हम। एतद्द्वारा यह भी वचन देता हूं/देते हैं कि उक्तअवधि के दौरान मैं/हम अपनी बोली को रूपान्तरित/परिवर्तित या निरस्त नहीं करूंगा/करेंगे।

यह वचनपत्र.....*** के मेरी/हमारी। बोली को खोलने के लिए सहमत होने और बोली दस्तावेजों में संविदा की शर्तों में भाग आई.एन.बी. के 'संविदा प्रदान किया जाना ' शीर्षक खंड के उपबंधों के संदर्भ में कार्य सौंपने के प्रयोजन हेतु इस पर विचार करने और इसका मूल्यांकन करने के संबंध में विचार कर दिया जा रहा है।

यदि यह बोली स्वीकार कर ली जाती है तो ।मैं/हम। ऊपर उल्लिखित बोली दस्तावेजों के उपबंधों के सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और इनको पूरा करने का भी वचन देता हूं/देते हैं/ सहमत होते हैं।

कंपनी की मुहर के साथ हस्ताक्षर
.....
(संविदाकर्ता की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने
के लिए विहित तौर पर प्राधिकृत)
नाम.....
पदनाम.....
कंपनी का नाम.....
(स्पष्ट अक्षरों में)

साक्ष्य

हस्ताक्षर.....		तारीख और डाक का पता ....
तारीख.....		
नाम और पता.....		

दूरभाष सं.....
फैक्स सं.....

। जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

अनुबंध-5

भुगतान हेतु आवेदन का प्रपत्र

परियोजनाः		
उपस्कर पैकेजः		तारीखः
संविदाकर्ता का नामः		संविदा संख्याः
संविदा का मूल्यः		संविदा का नामः
इकाई संदर्भ		आवेदन क्रम संख्याः

सेवा में

.....***

.....

महोदय,

भुगतान हेतु आवेदन

अधोहस्ताक्षरी ऊपर उल्लिखित दिनांक.....की संविदा के अनुसरण में (राशि और जिस मुद्रा में भुगतान हेतु दावा करना है, निर्दिष्ट करें) की राशि के भुगतान हेतु एतद्द्वारा आवेदन करता है।

1. उपर्युक्तराशि किस मद के लिए है इ्रजो भी लागू हो उस पर (✓) निशान लगाएंट

प्रारंभिक भुगतान (अनुसूची$$)

अग्रिम के रूप में अंतरिम भुगतान (अनुसूची$$)

उपकरण भेजने के बदले प्रगामी भुगतान (अनुसूची$$)

स्थल पर उपस्कर की प्राप्ति के प्रति प्रगामी भुगतान (अनुसूची$$)

उत्थापन के प्रति प्रगामी भुगतान (अनुसूची$$)

महासागरीय भाड़ा व सामुद्रिक बीमा (अनुसूची $$)

अंतर्देशीय ढुलाई (अनुसूची$$)

अंतर्देशीय बीमा

मूल्य समायोजन

संविदा में निर्दिष्ट किए गए कार्य के अतिरिक्तकार्य

(संदर्भ संविदा परिवर्तन आदेश सं.....)

अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

अंतिम भुगतान (अनुसूची$$)

जैसा कि संलग्न अनुसूची (अनुसूचियों) में विवरण दिया गया है जो इस आवेदन का अनिवार्य हिस्सा है।

2. दावा किया गया भुगतान ऊपर-उल्लिखित संविदा के साथ संलग्न भुगतान अनुसूची के मद (मदों) सं.....के अनुसार है।

3. आवेदन में ये पृष्ठ, दावा संबंधी विवरण का सारांश (अनुसूचीं$) और निम्नलिखित हस्ताक्षरित अनुसूची है।

1. .....

2. ....

निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न हैं

1. .....

2. ....

संविदाकर्ता का हस्ताक्षर/
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

भुगतान हेतु आवेदन इंजीनियर को भेजा जाएगा जिसे ठेका देते समय इस काम के लिए पदनामित कर दिया जाएगा।

$$ अनुसूचियों के प्रपत्र पर संविदा करार को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान पारस्परिक रूप से चर्चा की जाएगी और इस पर सहमति प्राप्त की जाएगी।

अनुबंध-6

अग्रिम भुगतान हेतु बैंक गारंटी का प्रपत्र
(स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगाया जाना है)

संदर्भ..... बैंक गारंटी संख्या.....
तारीखः.....

सेवा में
.....***
.....
महोदय

.....(इसके आगे 'नियोक्ता ' के रूप में संदर्भित किया जाएगा जिस अभिव्यक्ति में जब तक यह संदर्भ या तप्संसक्त अर्थ के असंगत न हो, इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे) द्वारा मैसर्स.....जिसका पंजीकृत/प्रधान कार्यालय.....में स्थित है (इसके आगे 'संविदाकर्ता ' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक यह संदर्भ या तत्संसक्त अर्थ के असंगत न हो, इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे) को नियोक्ता के दिनांक..... के अवार्ड पत्र सं.....जारी कर संविदा सौंपे जाने और इसे संविदाकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिए जाने, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक.....को.....(कार्य का दायरा) (इसके आगे 'संविदा ' कही जाएगी) के मूल्य पर संख्या वाली संविदा हुई और नियोक्ता के संविदाकर्ता को उपर्युक्त संविदा के निष्पादन हेतु संविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी के प्रति अग्रिम के रूप में रूपए (शब्दों तथा अंकों में) का अग्रिम भुगतान करने के लिए सहमत होने पर विचार करते हुए

हम.....
(नाम और पता)
जिसका मुख्य कार्यालय.....में है, (इसके आगे 'बैंक ' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक यह संदर्भ या तत्संसक्त अर्थ के असंगत न हो, इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे) एतद्द्वारा किसी आपत्ति, शर्त, विवाद, वसूली अधिकार या प्रतिवाद के बिना और/अथवा संविदाकर्ता को किसी संदर्भ के बिना @.....तक किसी भी समय यथा उपरोक्त.....की सीमा तक संविदाकर्ता द्वारा देय कोई भी और सभी धनराशि नियोक्ता को मांगे जाने पर भुगतान करने की गारंटी और वचन देते हैं। नियोक्ता और संविदाकर्ता के बीच कोई मतभेद अथवा किसी न्यायालय, अधिकरण, विवाचक या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष कोई विवाद लंबित होते हुए भी बैंक के पास नियोक्ता द्वारा की गई ऐसी कोई भी मांग निर्णायक और बाध्यकारी होगी। हम इस बात से सहमत हैं कि यहां निहित गारंटी अप्रतिसंहार्य होगी और यह गारंटी नियोक्ता द्वारा इसे मुक्त किए जाने तक प्रवृत्त रहेगी।

नियोक्ता को इस गारंटी के तहत बैंक के दायित्व को किसी भी तरह प्रभावित किए बगैर संविदाकर्ता द्वारा संविदा के निष्पादन का समय-समय पर अग्रिम में परिवर्तन करने या समय बढ़ाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। नियोक्ता को, इस गारंटी को प्रभावित किए बगैर उनमें निहित किन्हीं अधिकारों या किसी अन्य अधिकार, जो संविदाकर्ता के विरूद्ध उनको प्राप्त हो, के प्रयोग को समय-समय पर स्थगित करने, और किसी भी समय, किसी भी तरीके से उक्त अधिकारों का प्रयोग करने, और नियोक्ता और संविदाकर्ता के बीच निहित या आशयित किन्हीं प्रलेखों को या तो लागू कराने अथवा लागू कराने से रोकने के लिए या नियोक्ता को उपलब्ध किसी अन्य उपाय या समाधान या सुरक्षा का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। उपरोक्त मामलों या उनमें से किसी के संदर्भ में नियोक्ता द्वारा अपनी स्वतंत्रता के किसी भी प्रयोग द्वारा या नियोक्ता की ओर से भूल-चूक की किसी अन्य घटना या नियोक्ता द्वारा दर्शाई गई किसी अन्य अतिशयता के द्वारा या किसी अन्य विषय या वस्तु चाहे जिस किसी भी चीज का इस उपबंध को छोड़कर, कानून के तहत बैंक को मुक्त करने का प्रभाव हो, इसके कारण पूर्वोक्त प्रस्तुतियों के तहत बैंक अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होगा।

बैंक इस बात पर भी सहमत है कि नियोक्ता अपने विकल्प पर प्रथमतः संविदाकर्ता के विरूद्ध कार्रवाई किए बिना और संविदाकर्ता के दायित्वों के संबंध में नियोक्ता के पास किसी सुरक्षा या अन्य गारंटी के होते हुए भी एक प्रधान देनदार के रूप में बैंक के प्रति इस गारंटी को लागू करने के लिए हकदार होगा।

यहां उपरोक्त में निहित किसी बात के होते हुए भी इस गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व.....तक सीमित है और यह.....@.... सहित.....तक लागू रहेगा और इसे समय-समय पर ऐसी अवधि (एक वर्ष से अधिक नहीं) के लिए बढ़ाया जाएगा जो कि मैसर्स..... जिनकी ओर से यह गारंटी दी गई है, द्वारा वांछित हो ।

दिनांक.....में.....में.....के दिन
साक्ष्य

(हस्ताक्षर)
.....
(नाम)
.....
(आधिकारिक पता)

.....
(हस्ताक्षर)
.....
(नाम)
.....
(बैंक के स्टाम्प के साथ पदनाम)

मुख्तारनाम संख्या.....के अनुसार स्वामित्व
दिनांक.....

ॐ यह तारीख संविदा में यथा विनिर्दिष्ट वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद 90 दिन होगी।

टिप्पणी उचित मूल्य के स्टाम्प पत्र बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक के नाम से खरीदे जाएंगे।

अनुबंध-7

संविदाकर्ता की संविदा के निष्पादन के लिए सौंपे गए उपस्कर हेतु इसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले क्षतिपूर्ति बॉण्ड का प्रपत्र

(संपूर्ण उपस्कर खेप एक बार में)

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर)

क्षतिपूर्ति बॉण्ड

यह क्षतिपूर्ति बॉण्ड कंपनी अधिनियम, 1956/सहभागी फर्म/स्वामित्व वाली संस्था के अधीन पंजीकृत एक कंपनी.....जिसका अपना पंजीकृत कार्यालय.....में स्थित है (इसके आगे 'संविदाकर्ता ' या ' संविदाबद्ध ' जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे) द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी,----------।।।जिसका पंजीकृत कार्यालय----------पर स्थित है और जिसकी परियोजना.....में है (इसके आगे '-*** 'कहा जाएगा जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और नियुक्त लोग शामिल होंगे) के पक्ष में.....20 के इस.....को दिया जाता है

जबकि *** ने संविदाकर्ता को अपने दिनांक.....के अवार्ड/संविदा और इसके संशोधन संख्या (तब लागू होगा जब संशोधन जारी किए गए हैं) (इसे आगे 'संविदा ' कही जाएगी) के पत्र द्वारा संविदाकर्ता को संविदा सौंपी है जिस संदर्भ में *** को संविदा के निष्पादन के लिए संविदा के निष्पादन के लिए संविदाकर्ता को विभिन्न उपस्कर सौंपना अपेक्षित है।

और जबकि उक्त संविदा के खंड सं.....द्वारा संविदाकर्ता के लिए संविदा के निष्पादन/संविदा के निर्माण भाग के प्रयोजन से..... *** द्वारा इसे सौंपे गए उपकरण के लिए..... *** के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बॉण्ड (इसके आगे 'उपकरण ' कहा जाएगा) निष्पादित करना अपेक्षित है।

अतः अब यह क्षतिपूर्ति बॉण्ड निम्नानुसार सूचित है

1. संविदा के निष्पादन के प्रयोजन हेतु संविदाकर्ता को सौंपी गई.....रूपए (.....रूपए) के मूल्य वाली संविदा में यथा उल्लिखित विभिन्न उपकरण पर विचार करते हुए संविदाकर्ता एतद्द्वारा उपकरण के पूर्ण मूल्य के लिए क्षतिपूर्ति देने और -*** को सुरक्षित रखने का वचन देता है। संविदाकर्ता को उनके पक्ष में विधिवत रूप से पृष्ठांकित प्रेषण संलेख दस्तावेज जो सौंपा गया है और जिसका यहां संलग्न अनुसूची में विवरण दिया गया है, के अनुसार संविदाकर्ता उपकरण की प्राप्ति होने की एतद्द्वारा स्वीकृति देता है। संविदाकर्ता को यह स्पष्टतया समझ में आ गया है कि-*** द्वारा* संविदाकर्ता के पक्ष में विधिवत् रूप से पृष्ठांकित उक्त उपकरण के संबंध में प्रेषण संलेख दस्तावेज के सौंपे जाने को उपकरण का सौंपा जाना समझा जाएगा जो ऐसा संलेख दस्तावेज के अंतर्गत आएगा और संविदाकर्ता-------*** के लिए और उनकी ओर से न्यास में न्यासी के तौर पर ऐसे उपकरण पर अधिकार रखेगा।

2. संविदाकर्ता बाध्य है और संविदा के निबंधनों के अनुसार जब तक उपस्कर का विधिवत् उपयोग नहीं कर लिया जाता है/निर्माण कार्य नहीं कर लिया जाता है और जब तक संविदा के निबंधनों के अनुसार संयंत्र/पैकेज का विधिवत् निर्माण नहीं कर लिया जाता है और इसे शुरू नहीं कर दिया जाता है, जब तक----------*** द्वारा इसका अधिग्रहण नहीं कर लिया जाता है तब तक सभी जोखिमों, चाहे जो कुछ भी हो, के प्रति-------*** परियोजना स्थल पर उपस्कर की सुरक्षित आवाजाही/सुरक्षा और अभिरक्षा के लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

3. संविदाकर्ता यह वचन देता है कि उपस्कर का उपयोग केवल संविदा की शर्तों और निंबंधनों के अनुसार ही अनन्य रूप से इसके निष्पादन के लिए किया जाएगा और उपस्कर का कोई भी भाग किसी अन्य कार्य अथवा प्रयोजन, चाहे जो भी हो, हेतु उपयोग में नहीं लाया जाएगा। संविदाकर्ता ने यह बात स्पष्ट तौर पर समझ ली है कि संविदाकर्ता द्वारा इस क्षतिपूर्ति बॉण्ड के अधीन दायित्वों का पालन न किया जाना अन्य बातों के साथ-साथ वैधानिक/दण्डात्मक परिणामों सहित सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए संविदाकर्ता की ओर से आपराधिक विश्वास भंग का कारण होगा।

4.---------- *** उपस्कर का अनन्य प्रयोक्ता है और रहेगा जो सभी बाधाओं, प्रभारों या किसी भी प्रकार के धारणाधिकारों, चाहे जो भी हो से मुक्त होगा। उपस्कर का हर समय प्रभारी इंजीनियर/इंजीनियर या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कर्मचारियों/अभिकर्ताओं द्वारा निरीक्षण या उसकी जांच की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त,--------- *** उपस्कर, चाहे जिस भी रूप में हो, को अपने कब्जे में लेने से हर समय, हमेशा स्वतंत्र रहेगा। यदि उसकी राय में संविदाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भूल-चूक के कारण अथवा किसी कारण से चाहे यह जो भी हो, उपस्कर को क्षति पहुंचने, इसका दुरूपयोग होने या संविदा में विनिर्दिष्ट उपयोग से इतर उपयोग किए जाने की संभावना हो और संविदाकर्ता किसी असहमति या आपत्ति के बगैर----------*** की उपस्कर को लौटाए जाने की मांग संबंधी निर्देश का पालन करने के लिए बंधा हुआ है और वह इसका वचन देता है।

5. यह क्षतिपूर्ति बॉण्ड अप्रतिसंहार्य है। यदि किसी भी समय उपस्कर को कोई हानि या क्षति पहुंचती है अथवा उसके अथवा उसके किसी भाग का किसी भी तरह से, चाहे वह जो भी हो दुरूपयोग होता है, तो संविदाकर्ता एतद्द्वारा इस बात से सहमत है कि उपस्कर को होने वाली हानि अथवा क्षति के संबंध में ------*** के प्रभारी इंजीनियर/इंजीनियर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और संविदाकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा। संविदाकर्ता स्वयं को बाध्यकारी बनाता है और अपनी स्वयं की लागत पर खोए हुए और/अथवा क्षतिग्रस्त उपस्कर को बदलने का वचन देता है और/अथवा किसी आपत्ति, शर्त या प्रतिवाद के बगैर-----

*** की हानि की राशि का भुगतान करेगा। यह किसी अन्य अधिकार या समाधान, जो -----*** को संविदाकर्ता के विरूद्ध संविदा के अधीन और इस क्षतिपूर्ति बॉण्ड के अधीन उपलब्ध हो, के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।

6. अब इस बॉण्ड की शर्त यह है कि यदि संविदाकर्ता------***की संतुष्टि के अनुरूप इस बॉण्ड के निबंधनों और शर्तों का विधिवत् और नियमित रूप से पालन करता है तब उपर्युक्तबॉण्ड निरर्थक होगा, अन्यथा यह पूरी तरह से लागू रहेगा।

जिसके साक्ष्य में संविदाकर्ता ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ऊपर उल्लिखित कंपनी के सामान्य सील, तारीख, माह और वर्ष के अधीन यहां अपने हस्ताक्षर किए हैं।

अनुसूची सं.1

सुपुर्द किए गए उपस्कर का विवरण	मात्रा	प्रेषण संलेख दस्तावेज का विवरण	उपस्कर का मूल्य	प्राप्ति के टोकन के रूप में अटार्नी (प्राधिकृत प्रतिनिधि) के हस्ताक्षर
		लदान पत्र का आर.आर/जी.आर. सं./तारीख	वाहक	

मैसर्स.....के लिए और उसकी ओर से

साक्ष्य

1. 1. हस्ताक्षर.....
   2. नाम.....
   3.पता.....

2. 1. हस्ताक्षर.....
   2. नाम.....
   3.पता.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पता.....
प्राधिकृत प्रतिनिधि ॐ

(कंपनी के मामले में सामान्य मोहर)

$क्षतिपूर्ति बॉण्ड प्राधिकृत व्यक्तिद्वारा निष्पादित किए जाएंगे और (i) संविदाकर्ता कंपनी के मामले में कंपनी के सामान्य सील के अधीन या (ii) कंपनी के सामान्य सील के अधीन जारी किया गया मुख्तारनामा हो और क्षतिपूर्ति बॉण्ड निष्पादित करने का प्राधिकार हो, (iii) (ii) के मामले में यदि यह विशिष्ट तौर पर इस संविदा के लिए है तो मूल मुख्तारनामा की एक फोटो प्रति और ऐसे दस्तावेज क्षतिपूर्ति बॉण्ड के साथ संलग्न किए जाने चाहिए।

अनुबंध-8

संविदाकर्ता की संविदा के निष्पादन के लिए किस्तों में सौंपे गए उपस्कर हेतु निष्पादित किए जाने वाले क्षतिपूर्ति बॉण्ड का प्रपत्र (उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर)

क्षतिपूर्ति बॉण्ड

यह क्षतिपूर्ति बॉण्ड कंपनी अधिनियम, 1956/सहभागी फर्म/स्वामित्व वाली संस्था के अधीन पंजीकृत एक कंपनी.....जिसका अपना पंजीकृत कार्यालय.....में स्थित है (इसके आगे 'संविदाकर्ता ' या ' बाध्य ' जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे) द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी,----------*** जिसका पंजीकृत कार्यालय.....पर स्थित है और जिसकी परियोजना.....में है (इसके आगे ' -*** ' कहा जाएगा जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और नियुक्त लोग शामिल होंगे) के पक्ष में.....20- के इस.....को किया जाता है जबकि*** ने संविदाकर्ता को अपने दिनांक.....के अवार्ड/संविदा और इसके संशोधन संख्या (तब लागू होगा जब संशोधन जारी किए गए हैं) (इससे आगे 'संविदा ' कही जाएगी) के पत्र द्वारा संविदाकर्ता को संविदा सौंपी है जिस संदर्भ में *** को संविदा के निष्पादन के लिए संविदाकर्ता को विभिन्न उपस्कर सौंपना अपेक्षित है।

और जबकि उक्त संविदा के खंड स.....द्वारा संविदाकर्ता के लिए संविदा के निष्पादन/संविदा के निर्माण भाग के प्रयोजन से..... *** द्वारा इसे सौंपे गए उपकरण के लिए.....- *** के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बॉण्ड (इसके आगे 'उपकरण ' कहा जाएगा) निष्पादित करना अपेक्षित है।

अतः अब यह क्षतिपूर्ति बॉण्ड निम्नानुसार सूचित है

1. संविदा के निष्पादन के प्रयोजन हेतु संविदाकर्ता को समय-समय पर किस्तों में सौंपी गई .....रूपए (.....रूपए) के मूल्य वाली संविदा में यथा उल्लिखित विभिन्न उपकरण पर विचार करते हुए संविदाकर्ता एतद्द्वारा उपकरण के पूर्ण मूल्य के लिए क्षतिपूर्ति देने और-*** को सुरक्षित रखने का वचन देता है। संविदाकर्ता एतद्द्वारा यहां संलग्न अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार उपस्कर की प्रारंभिक किस्त की प्राप्ति की स्वीकृति देता है। इसके अतिरिक्त संविदाकर्ता--------*** द्वारा यथापेक्षित उपस्कर की उत्तरवर्ती किस्तों की इस क्षतिपूर्ति बॉण्ड के साथ संलग्न किए जाने वाले क्रमिक रूप से संख्यांकित अनुसूचियों, ताकि यह बॉण्ड का अनिवार्य भाग बने, के रूप में प्राप्ति की स्वीकृति देता है। संविदाकर्ता को स्पष्टतया समझ में आ गया है कि-*** द्वारा संविदाकर्ता के पक्ष में विधिवत् रूप से पृष्ठांकित उक्त उपकरण के संबंध में प्रेषण संलेख दस्तावेज के सौंपे जाने को उपकरण का सौंपा जाना समझा जाएगा जो ऐसे संलेख दस्तावेज के अंतर्गत आएगा और संविदाकर्ता-------*** के लिए और उनकी ओर से न्यास/न्यासी के तौर पर ऐसे उपकरण पर अधिकार रखेगा।

2. संविदाकर्ता बाध्य है और संविदा के निबंधनों के अनुसार जब तक उपस्कर का विधिवत उपयोग नहीं कर लिया जाता है/निर्माण कार्य नहीं कर लिया जाता है और जब तक संविदा के निबंधनों के अनुसार संयंत्र/पैकेज का विधिवत् निर्माण नहीं कर लिया जाता है और इसे शुरू नहीं कर दिया जाता है, जब तक------*** द्वारा इसका अधिग्रहण नहीं कर लिया जाता है तब तक सभी जोखिमों, चाहे जो कुछ भी हो, के प्रति-*** परियोजना स्थल पर उपस्कर की सुरक्षित आवाजाही/सुरक्षा और अभिरक्षा के लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

3. संविदाकर्ता यह वचन देता है कि उपस्कर का उपयोग केवल संविदा की शर्तों और निबंधनों के अनुसार ही अनन्य रूप से इसके निष्पादन के लिए किया जाएगा और उपस्कर का कोई भी भाग किसी अन्य कार्य अथवा प्रयोजन, चाहे जो भी हो, हेतु उपयोग में नहीं लाया जाएगा। संविदाकर्ता ने यह बात स्पष्ट तौर पर समझ ली है कि संविदाकर्ता द्वारा इस क्षतिपूर्ति बॉण्ड के अधीन दायित्वों का पालन न किया जाना अन्य बातों के साथ-साथ वैधानिक/दण्डात्मक परिणामों सहित सभी आशयों और और प्रयोजनों के लिए संविदाकर्ता की ओर से आपराधिक विश्वास भंग का कारण होगा।

4.----------***उपस्कर का अनन्य प्रयोक्ता है और रहेगा और उसे सभी बाधाओं, प्रभारों या किसी भी प्रकार के धारणाधिकारों, चाहे जो भी हो, से मुक्त रखेगा। उपस्कर का हर समय प्रभारी इंजीनियर/इंजीनियर या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कर्मचारियों/अभिकर्ताओं द्वारा निरीक्षण या उसकी जांच की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त,---------- *** उपस्कर चाहे जिस भी रूप में हो, को अपने कब्जे में लेने के लिए हर समय, हमेशा स्वतंत्र रहेगा। यदि उसकी राय में संविदाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भूल-चूक के कारण अथवा किसी कारण से, चाहे यह जो भी हो, उपस्कर को क्षति पहुंचने, इसका दुरुपयोग होने या संविदा में विनिर्दिष्ट उपयोग से इतर उपयोग किए जाने की संभावना हो और संविदाकर्ता किसी असहमति या आपत्ति के बगैर---------- *** की उपस्कर को लौटाए जाने की मांग संबंधी निर्देश का पालन करने के लिए बिना कोई आनाकानी किए बंधा हुआ है और वह इसका वचन देता है।

5. यह क्षतिपूर्ति बॉण्ड अप्रतिसंहार्य है। यदि किसी भी समय उपस्कर को कोई हानि या क्षति पहुंचती है अथवा उसके अथवा उसके किसी भाग का किसी भी तरह से, चाहे वह जो भी हो, दुरुपयोग होता है, तो संविदाकर्ता एतद्द्वारा इस बात से सहमत है कि उपस्कर को होने वाली हानि अथवा क्षति के संबंध में --------- *** के प्रभारी इंजीनियर/इंजीनियर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और संविदाकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा। संविदाकर्ता स्वयं को बाध्यकारी बनाता है और अपनी स्वयं की लागत पर

खोए हुए और/अथवा क्षतिग्रस्त उपस्कर के बदले दूसरा देने का वचन देता है और/अथवा किसी आपत्ति, शर्त या प्रतिवाद के बगैर--------- *** की हानि की राशि का भुगतान करेगा। यह किसी अन्य अधिकार या समाधान, जो----------*** को संविदाकर्ता के विरूद्ध संविदा के अधीन और इस क्षतिपूर्त बॉण्ड के अधीन उपलब्ध हो, के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है।

6. **अब इस बॉण्ड की शर्त** यह है कि यदि संविदाकर्ता--------- *** की संतुष्टि के अनुरूप इस बाण्ड के निबंधनों और शर्तों का विधिवत् और नियमित रूप से पालन करेगा तो उपर्युक्तबॉण्ड निरर्थक होगा, किन्तु अन्यथा यह पूरी तरह से लागू रहेगा।

जिसके साक्ष्य में संविदाकर्ता ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ऊपर उल्लिखित कंपनी के सामान्य सील, तारीख, माह और वर्ष के अधीन यहां अपने हस्ताक्षर किए हैं।

अनुबंध-**9**

'करार ' का प्रपत्र
(गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर निष्पादित किया जाना है)

यह करार एक भाग में कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन नियमित एक कंपनी--------***, जिसका पंजीकृत कार्यालय----------में है (इसके आगे '-***' के रूप में संदर्भित किया जाएगा जिस अभिव्यक्ति में इसके प्रशासक, निष्पादक और अनुमत नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे) और दूसरे भाग में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी मैसर्स----------, जिसका पंजीकृत कार्यालय----------में है झ्इसके आगे 'संविदाकर्ता ' या 'X ' (संविदाकर्ता कंपनी का नाम) जिस अभिव्यक्ति में इसके प्रशासक, निष्पादक और अनुमत नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे ट के बीच वर्ष-------दो हजार------के ----- (महीने के) इस----------दिन किया जाता है।

जबकि----------से संबद्ध अपना पारेषण तंत्र स्थापित करने की इच्छुक--------*** अपनी बोली विनिर्दिष्ट संख्या के प्रति----------(संक्षिप्त रूप से कार्य का दायरा वर्णित किया जाए) हेतु बोली आमंत्रित करती है।

और जबकि----------'---------- 'X '-------अपने दिनांक----------के अपने प्रस्ताव संख्या---------द्वारा ऊपर उल्लिखित बोली में भाग लिया था और उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के निबंधनों और शर्तों पर---------- ' X '-------को संविदा सौंपी थी, जिसे---------- ' X '-------द्वारा स्वीकार किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 'संविदा ' हुई है।

अतः अब यह दस्तावेज निम्नानुसार सूचित है

1.0 अनुच्छेद
1.1 संविदा प्रदान किया जाना
.....ने अपने दिनांक.....के अवार्ड पत्र सं. में निहित अनुबंधों और शर्तों और उसमें संदर्भित दस्तावेजों के आधार पर----------के कार्य के लिए-------'ञ् '--------को संविदा प्रदान की है। संविदा को प्रदान किया जाना उपर्युक्त अवार्ड पत्र से प्रभावी हुआ है। इस करार में उपयोग में लाए गए पदों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसाकि उत्तरवर्ती अनुच्छेद में संदर्भित 'संविदा दस्तावेज ' में आया है।

2.0 संविदा दस्तावेज
2.1 संविदा पूरी तरह से इसमें और इसके साथ संलग्न निम्नलिखित दस्तावेजों (इसके आगे 'संविदा दस्तावेज ' कहा जाएगा) में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही निष्पादित की जाएगी

i) ..... के दिनांक.....के अपने पत्र सं.....द्वारा जारी की गई विनिर्दिष्ट सं.....के संबंध में बोली संबंधी दस्तावेज जिसमें बोली के लिए आमंत्रण, बोलीदाताओं को अनुदेश, संविदा की सामान्य शर्तें व निबंधन, संविदा की विशेष शर्तें व निबंधन, संविदा की विशेष शर्तें और इसे दिनांक..... के पत्र (पत्रों) सं..(संख्याओं).....द्वारा जारी सभी संशोधनों सहित 'संविदा की शर्तों ' के नाम से सभी अन्य धाराएं शामिल हैं।

(भाग-।)

ii) .....के दिनांक.....के इसके पत्र सं.....द्वारा जारी किए गए संशोधनों सहित तकनीकी विनिर्देश

(भाग-2)

iii) '.....के रूप में नामांकित ' X ' द्वारा प्रस्तुत बोली प्रस्ताव पत्र, आंकड़ों की अपेक्षाओं भुगतान संबंधी शर्तों और कार्य अनुसूचियों सहित ' X ' के दिनांक.....का प्रस्ताव स.....

(भाग-3)

iv) .....और ' X 'के बीच.....को हुई बैठक के सहमति-प्राप्त कार्यवृत्त

(भाग-4)

v) ' X ' द्वारा विहित रूप से अभिस्वीकृत.....का दिनांक.....का अवार्ड पत्र संख्या.....

(भाग-5)

vi) 'गुणवत्ता योजना ' के नाम से विनिर्माण और फील्ड गतिविधियों हेतु गुणवत्ता संबंधी योजनाएं

(भाग-6)

vii) संविदा नेटवर्क

(भाग-7)

पूर्वोक्त सभी संविदात्मक दस्तावेज इस करार के अनिवार्य भाग होंगे जहां तक वही या कोई भाग बोली दस्तावेजों (भाग 1 और 2) के अनुसार है और जिस पर----------*** द्वारा इसके अवार्ड पत्र में विशिष्ट तौर पर सहमति हुई है। इससे असंगत, उससे प्रतिकूल या आपत्तिजनक कोई मामला या संविदाकर्ता द्वारा अपने प्रस्ताव (भाग-3) में किया गया कोई भी विपथन जिस पर-------*** द्वारा अपने अवार्ड पत्र में विशिष्ट तौर पर सहमति नहीं दी गई है, संविदाकर्ता द्वारा वापस लिया हुआ माना जाएगा। संक्षिप्तता के प्रयोजन से यह करार और इसके पूर्वोक्त संविदात्मक दस्तावेज 'करार ' के रूप में संदर्भित किए जाएंगे।

3.0 शर्तें और प्रसंविदाएं

3.1 संविदा का दायरा, विचार, भुगतान के संदर्भ, मूल्य समायोजन, कर जहां लागू हो, बीमा, परिसमापित क्षतियां, निष्पादन गारंटी और अन्य सभी निबंधन और शर्तें अन्य पूर्वोक्त संविदात्मक दस्तावेजों के साथ पठित..... *** के दिनांक..... के अवार्ड पत्र सं..... में निहित हैं। संविदा पूर्णतया संविदाकर्ता द्वारा ही और करार के संदर्भों के अनुसार निष्पादित की जाएगी।

3.2 यदि अन्यथा अवार्ड पत्र में 'बहिष्करण के अधीन विनिर्देशों में विशिष्ट तौर पर बाहर न रखा गया हो तो कार्य के दायरे में ऐसे सभी मदों की आपूर्ति और स्थापना भी शामिल होगी जिनका हालांकि संविदात्मक दस्तावेजों में विशिष्ट तौर पर उल्लेख नहीं किया गया किन्तु जिनकी उपस्कर के सफल, सक्षम, सुरक्षित और विश्वसनीय प्रचालन हेतु आवश्यकता हो।

3.3 समय तालिका

3.3.1 समय संविदा का सार-तत्व है और समय तालिकाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा। '' X ' संविदात्मक दस्तावेज झ्रखंड 2.1 उपर्युक्त(V और ध्ट के भाग 6 और 7 में दी गई सहमति प्राप्त अनुसूची के अनुसार कार्य निष्पादित करेगा।

3.4 गुणवत्ता संबंधी योजनाएं

3.4.1 संविदाकर्ता भाग-6 में संलग्न गुणवत्ता योजनाओं के उचित निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। ग्राहक निरीक्षण स्थलों से इतर कार्य--------*** की सहमति से ही जारी रखे जाएंगे-------*** संविदाकर्ता/उप-संविदाकर्ता के कार्यों, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं और गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी गतिविधियों की गुणवत्ता संबंधी निगरानी और गुणवत्ता लेखा परीक्षा भी करेगा। संविदाकर्ता इस बात से भी सहमत है कि गुणवत्ता संबंधी योजना में कोई भी परिवर्तन केवल नियोक्ता के अनुमोदन से ही किया जाएगा। संविदाकर्ता संविदा संबंधी अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन प्रदर्शित करने के लिए-----*** से सहमति-प्राप्त गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी सभी गतिविधियां, निरीक्षण और जांच भी निष्पादित करेगा।

3.4.2 संविदाकर्ता -------*** को अपनी और अपने उप-संविदाकर्ता की गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों और विनिर्माण गतिविधियों का निरीक्षण, गुणवत्ता संबंधी लेखा-परीक्षा और गुणवत्ता संबंधी निगरानी करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत है।

इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं होंगे-

1. संगत संयंत्र मानक, आरेखण और प्रक्रियाएं;
2. विनिर्माण गतिविधियों के लिए विस्तृत गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली नियम पुस्तिका
3. विनिर्माण प्रारंभ करने से पूर्व भंडारण प्रक्रियाएं और अनुदेश, संयोजन, एन.ओ.टी., विनिर्माण पूर्व ताप-व्यकृत करना;
4. गुणवत्ता संबंधी योजना में लॉग शीट (कोरी) का पूरा सेट

3.4.3 संविदाकर्ता स्पष्टतया इस बात से सहमत है कि वह नियोक्ता द्वारा गुणवत्ता जांच और परीक्षण से किसी भी रूप में संविदाकर्ता को गुणवत्ता संबंधी मानकों और निष्पादन गारंटी की जिम्मेदारियों और करार के अधीन अन्य दायित्वों से मुक्त नहीं होगा।

3.4.4 '' X ' पूर्ण होने और सामग्री के प्रेषण के तीन सप्ताहों के भीतर समीक्षा और रिकार्ड के लिए -------*** को गुणवत्ता आश्वासन दस्तावेज पैकेज प्रस्तुत करने के लिए सहमत है।

पैकेज में निम्नलिखित शामिल होंगे

1. इस संविदा द्वारा अपेक्षित जांच के लिए कारखाना जांच परिणाम/निरीक्षण रिपोर्ट या लागू संहिता और मानक;
2. सहमति प्राप्त ग्राहक निरीक्षण स्थलों हेतु-----*** और '' X ' दोनों के गुणवत्ता आश्वासन कार्मिकों द्वारा विहित रूप से हस्ताक्षरित निरीक्षण रिपोर्टों की दो प्रतियां;
3. जहां कहीं और यदि लागू हो तो परिशोधन कार्यों की रिपोर्ट

3.5. संविदाकर्ता स्पष्टतया सहमत है कि इस बात के होते हुए कि संविदा को आपूर्ति-सह-निर्माण संविदा कहा जाता है या इसमें प्रचालन की सुविधा के लिए और आपूर्ति वाले भाग पर बिक्री कर के भुगतान के लिए संविदा विचार का ब्यौरा है, यह वास्तव में एकल स्रोत जिम्मेदारी आधार पर एक संयुक्त संविदा है और संविदाकर्ता संपूर्ण तौर पर समस्त संविदा को निष्पादित करने के लिए बाध्य है और संविदा के किसी भाग या अंश का निष्पादन न होना संपूर्ण संविदा का उल्लंघन माना जाएगा।

3.6 संविदाकर्ता यह गारंटी देता है कि संविदा के तहत आपूर्ति किए गए उपस्कर तकनीकी विनिर्देशों (भाग-2) में यथा-विनिर्दिष्ट स्तरांकनों और निष्पादन मानदंडों को पूरा करेंगे और अपेक्षित निष्पादन आंकड़ों में कोई कमी पाए जाने की स्थिति में-----*** अपने विकल्प पर उपस्कर पैकेज को अस्वीकार कर सकता है या विकल्पतः इसे संविदा दस्तावेजों के संदर्भों में निबंधनों और शर्तों पर और परिसमापित क्षतियों की लेवी के अध्यधीन रहते हुए स्वीकार कर सकता है।

3.7 संविदाकर्ता इस बात से भी सहमत है कि संविदा निष्पादन गारंटी से किसी भी तरह से पैरा 3.6 में यथा उल्लिखित उपस्कर निष्पादन में कमी के कारण-----*** के क्षतियों/हर्जाने की वसूली करने के अधिकार को सीमित या प्रतिबंधित किया जाना नहीं समझा जाएगा। क्षतियों/क्षतिपूर्ति की राशि या तो संविदा मूल्य, संविदा निष्पादन गारंटी से राशि काटकर और/अथवा अन्यथा तरीके से वसूल की जाएगी।

संविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संविदा निष्पादन गारंटी अप्रतिसंहार्य और बिना शर्त के है और नियोक्ता तथा संविदाकर्ता के बीच किसी न्यायालय अधिकरण, विवाचक या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष कोई विवाद या मतभेद के लंबित होते हुए भी---------- *** के पास इसका इस्तेमाल करने का अधिकार होगा।

3.8 इस करार में पार्टियों और प्रस्तुतियों के संदर्भ के बीच पूर्ण समझ शमिल है। यह किसी पूर्व पत्राचार, करार के निबंधनों और शर्तों को अधिक्रमित करेगा। करार में कोई भी संशोधन दोनों पार्टियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित लिखित लिखत द्वारा ही किया जाएगा।

4.0 विवादों का निपटारा

4.1 पार्टियों द्वारा और उनके बीच इस बात के लिए खास तौर पर सहमति होनी चाहिए कि करार से उत्पन्न होने वाले सभी अंतर या विवाद अथवा करार से जुड़े मामलों के बारे में निर्णय संविदा के सामान्य निबंधनों और शर्तों संबंधी खंड में यथा विनिर्दिष्ट निपटान और विवाचन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा और इस संबंध में भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबंध लागू होंगे तथा ये मामले अनन्य तौर पर दिल्ली न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएंगे।

4.2 चूक की सूचना

करार के अधीन किसी भी पार्टी द्वारा अन्य पार्टी को चूक की सूचना लिखित में दी जाएगी और यह यहां संबंधित पार्टियों को विधिवत् और उचित रूप में दी गई समझी जाएगी। यदि यह सूचना पावती के प्रति या टेलेक्स द्वारा या पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा यहां ऊपर उल्लिखित पते पर हस्ताक्षरकर्ताओं को उचित रूप से संबोधित करते हुए दी जाती है।

जिसके साक्ष्य में पार्टियों ने अपने विधिवत तौर पर प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इन प्रस्तुतियों को जिसका निष्पादन दोनों पार्टियों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है) ऊपर उल्लिखित दिन, माह और वर्ष को नई दिल्ली में निष्पादित किया है।

साक्ष्य

1.....		(-----*** का हस्ताक्षर (मुद्रित नाम) (पदनाम) (कंपनी की मुहर)
2.		
1.		(संविदाकर्ता का हस्ताक्षर/(मुद्रित नाम)
2.		(पदनाम) (कंपनी की मुहर)

$ उन मामलों में लागू जहां आपूर्ति-सह-निर्माण आधार पर एक पार्टी को एकल कार्य (अवार्ड) सौंपा जाता है। एकल पार्टी/दो भिन्न पार्टियों को दो अलग-अलग कार्य (अवार्ड) सौंपे जाने की स्थिति में इस खंड को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना है जबकि दो अवार्डों के लिए संविदा करार पर हस्ताक्षर पृथक-पृथक किए जाने हैं ताकि इसमें पड़ने वाले उल्लंघन संबंधी खंड को शामिल किया जा सके।

अनुभाग-एससीसी

संविदा की विशेष शर्तें

संविदा की विशेष शर्तें

विषयवस्तु

खण्ड-1क

खण्ड सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.0	सामान्य सूचना	81
2.0	कार्य क्षेत्र	82
3.0	अर्हक अपेक्षाएं	85
4.0	मूल्य	85
5.0	मूल्य समायोजन	86
6.0	कर और शुल्क	89
7.0	मूल्यांकन और तुलना का आधार	89
8.0	भुगतान की शर्तें	91
9.0	मात्रा परिवर्तन	95
10.0	कार्य अनुसूची	95
11.0	संविदा निष्पादन गारंटी	96
12.0	पूर्णता में विलंब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी	96
13.0	गैर-निष्पादन के लिए परिनिर्धारित नुकसानी	96
14.0	कार्यात्मक गारंटी, निष्पादन (वितरण ट्रांसफार्मर पर लागू)	96
15.0	विद्युत, जल और संचार	97
16.0	संविदाकार के कार्यालय, भंडार, कार्यशाला आदि के लिए भूमि	97
17.0	प्रगति रिपोर्ट	98
18.0	अधिशेष सामग्री	98
19.0	गुप्त त्रुटि वारंटी	98
20.0	प्राथमिक उपचार	98
21.0	बोलियों का प्रस्तुतीकरण बोली गारंटी	99
22.0	बोली गारंटी	99
	अनुबंध-क एससीसी	100

	अनुबंध-ख एससीसी	104
	अनुबंध-ग एससीसी	107
	अनुबंध-घ एससीसी	108
	अनुबंध-ड. एससीसी	110

संविदा की विशेष शर्तें

खण्ड-1क

1.0 सामान्य सूचना

1.1 कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अंतर्विष्ट----------।।। (भारत सरकार का एक उपक्रम) जिनका पंजीकृत कार्यालय (जिसे इसके पश्चात् नियोक्ता/----------।।। कहा गया है) में है, को----------जिलों में गांवों और ग्रामीण आवासों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के निष्पादन के लिए----------। सरकार की सहमति से----------।। (जिसे इसके पश्चात् स्वामी कहा गया है) द्वारा सौंपा गया है।

1.2 अतः----------।।। घरेलू प्रतिस्पर्धात्मक बोली आधार पर----------। जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के निम्नलिखित पैकेजों के लिए मोहरबंद बोली आमंत्रित करता हैः

(आरईसी द्वारा स्वीकृत की गई अनुमोदित परियोजना के अनुसरण में विवरण तैयार किया जाना)

1.3 परियोजना आरईसी से----------। सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता में से उपलब्ध कराई गई निधि से----------।।। द्वारा जमा कार्य आधार पर निष्पादित की जाएगी और उपर्युक्त पैकेज का स्वामित्व----------।। में निहित होगा। इस कार्य के लिए सभी पात्र भुगतान----------।।के साथ उचित व्यवस्था के तहत----------।।।द्वारा किए जाएंगे।

1.4 'स्वामी का अर्थ होगा----------।।

संविदा के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, 'स्वामी ' की ओर से संविदात्मक कार्य, जहां कहीं संदर्भ अपेक्षित हो, ----------।।। (----------।।द्वारा नियुक्त अभिकरण) द्वारा, '----------।।। के लिए और की ओर से ' उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसा करना सांविधिक रूप से स्वयं के लिए आवश्यक हो, किए जाएंगे।

1.5 जहां कहीं बोली दस्तावेजों में ----------।।। के लिए संदर्भ दिए जाते हैं, संविदा/अधिसूचना/अवार्ड पत्र (संविदा के अवार्ड की स्थिति में) अथवा कोई अन्य संबंधित पत्र/दस्तावेज, इसे '----------।। के लिए और की ओर से ' समझा जाएगा।

1.6 बोली दस्तावेज की विषय-वस्तुएं खण्ड 4.0, धारा आईएनबी, संविदा की शर्तें, बोली दस्तावेज के खण्ड-। के अधीन यथानिर्दिष्ट हैं। संविदा (खण्ड-।) की शर्तों में वर्णित आवश्यकताएं, शर्तें परिशिष्ट आदि, बोली प्रस्ताव प्रपत्र (खण्ड 1 ख), तकनीकी विनिर्देशन (खण्ड-।।) और तकनीकी डाटा आवश्यकताएं (खण्ड-।।।) इस खण्ड (अर्थात खण्ड-1 क) के लिए लागू होंगे और इसे उसका हिस्सा माना जाएगा मानों साथ-साथ हैं। इस खण्ड के प्रावधानों और बोली दस्तावेजों के अन्य खंडों के बीच विसंगति की स्थिति में इस खण्ड के प्रावधान मान्य होंगे।

1.7 जब तक स्पष्ट रूप से प्रकाशित न हो, बोलीकर्ता बोली दस्तावेजों के प्रावधानों का सख्ती से पालन करेगा। बोली के विनिर्देशों और कैटलॉग के बीच की विसंगति पर विचार नहीं किया जाएगा।

1.8 नियोक्ता और बोलीकर्ता/संविदाकार के संबंधित अधिकार संबंधित पैकेजों के लिए नियोक्ता और संविदाकार के बीच हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज/संविदा द्वारा शासित होंगे।

2.0 कार्य क्षेत्र

2.1 पैकेज के तहत शामिल कार्य का विस्तृत क्षेत्र तकनीकी विनिर्देश, खण्ड-।। (टीएस) में विनिर्दिष्ट है और संक्षेप में यहां पर प्रस्तुत हैः

2.1.1 पैकेजः

निम्नलिखित की अभिकल्पना, अभियंत्रण, जांच, आपूर्ति, स्थापना तथा चालू करनाः

(आरईसी द्वारा स्वीकृत की गई अनुमोदित परियोजना के अनुसरण में विवरण तैयार किया जाना)

2.2 कार्य शुरू करने से पूर्व संविदाकार को स्थल की दशाओं से स्वयं को रूबरू करना चाहिए। विस्तृत अभियंत्रण और निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी आगमों को व्यवस्थित करने का उत्तरदायित्व संविदाकार का होगा। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थल का दौरा करें, सभी आवश्यक आगमों का संग्रह करें तथा टोपोग्राफी, अवसंरचना आदि से स्वयं को रूबरू करें। संविदाकार उन सभी उपकरणों, सामग्रियों, प्रणालियों और विनिर्दिष्ट सेवाओं अथवा अन्यथा को प्रदान करने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होंगे जो कार्य को पूरा करने और पारेषण लाइनों की सफल जांच तथा चालू करने के लिए अपेक्षित हैं।

2.3 प्रौद्योगिकी का चयन

डीडीजी परियोजनाएं ऊर्जा के परंपरागत या नवीकरणीय रूपों पर आधारित हो सकती हैं। प्रौद्योगिकी का चयन विशेष गांवों/बस्तियों के लिए चुनी गई प्रौद्योगिकी के समौचित्व पर निर्भर होगा। चूंकि कार्यान्वित की जाने वाली डीडीजी परियोजनाएं आरोहन होती हैं और सापेक्षतः इन्हें सख्त समय-सीमा के भीतर पूरा करना होता है इसलिए प्रस्तावित मार्गनिर्देशों के लिए विचार किए जाने वाले विकल्प वे हैं जो या तो वाणिज्यिक परिपक्वता की स्थिति में पहुंच गए हैं अथवा उनकी तकनीकी

व्यवहार्यता वास्तविक फील्ड शर्तों के तहत प्रमाणित हो गई हैं। ऐसे विकल्पों की एक सूची नीचे प्रस्तुत हैः

- जैव ईंधन (जटरोफा (रतनजोत), पोंगामिया आदि जैसे अखाद्य वनस्पति तेलें) द्वारा चालित डीजल जनरेटिंग सेट
- बायोमास गैसीकरण (शत प्रतिशत उत्पादक गैस इंजन) के माध्यम से उत्पन्न गैस उत्पादक द्वारा चालित डीजल जनरेटिंग सेट
- सोलर फोटो बोलटेइक
- लघु हाइड्रो

यह नोट किया जा सकता है कि उपर्युक्त सूची वर्तमान में उपयोग में आ रही प्रौद्योगिकियों पर आधारित है और विकेन्द्रीकृत विद्युत सृजन के लिए पसंदीदा विकल्प हैं।

कुछ अतिरिक्त संभावनाएं हो सकती हैं जो नीचे दी जा रही हैं। ये आज लोकप्रिय नहीं हैं, परन्तु भविष्य में प्रासंगिक हो सकती हैं

- बायोगैस (पशु अपशिष्ट से) द्वारा चालित डीजल जनरेटिंग सेट
- विंड हाइब्रिड प्रणाली
- किसी नई प्रौद्योगिकी सहित अन्य मिले जुले विकल्प

यद्यपि डीजल विकेंद्रीकृत विद्युत सृजन विकल्प का अत्यंत सुविधाजनक रूप है, फिर भी डीजल विकल्प को केवल स्टैंडबाय या परिस्थितियों, जहां स्थानीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति में अस्थायी बाधा आती है, के तहत समझना उचित होगा।

2.4 प्रस्तावित बोली के लिए पूंजीगत लागत में शामिल होंगेः

- विद्युत संयंत्र के प्रचालन के लिए अपेक्षित सभी संयंत्र उपकरण एवं सहायक प्रणाली तथा सहायक सामग्री
- सभी संबंधित सिविल कार्य। लेकिन, भूमि की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है।

- आवश्यक नियंत्रण उपकरण के साथ वितरण नेटवर्क। आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले घरों के लिए प्रयोज्य राज सहायता डीडीजी परियोजनाओं

के लिए भी प्रयोज्य होगी। स्ट्रीट लाइट, स्कूलों, सामुदायिक भवनों और पंचायत भवनों आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के लिए विद्युत का अभिगम मुहैया कराया जाना है।

- जैव ऊर्जा (केवल बायोमास गैसीकरण/जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थिति में) की सतत आपूर्ति के लिए पौधरोपण हेतु आरंभिक पूंजी लागत।
- गैर घरेलू भारों की स्थापना की आरंभिक पूंजी लागत जैसा कि कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

मदें, जो यहां पर विशेष रूप से वर्णित नहीं हैं, पर स्पष्टीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जीएफआर, 2005 के नियम 79 में यथा प्रयुक्तमानदंड पर विश्वास किया जाए।

2.5 राज्य सरकार/कार्यान्वयन अभिकरण उत्सर्जन ह्रास इकाइयों को प्राप्त करने हेतु स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम)/स्वैच्छिक बाजार के तहत परियोजना को पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। राज्य सरकार कार्यान्वयन अभिकरण सीडीएम/स्वैच्छिक बाजार से संबंधित सभी संव्यवहार लागत वहन करेंगे और प्रमाणित उत्सर्जन ह्रास (सीइआर)/स्वैच्छिक उत्सर्जन ह्रास (वीईआर) के अधिकारों को अपने पास रखेंगे। परियोजना डेवेलपर विभिन्न चरणों में हर संभव इस प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु स्वामी और/अथवा स्वामी द्वारा नियुक्तकिसी अन्य पार्टी की सहायता करेंगे।

2.6 सिविल कार्यों से संबंधित सभी अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति संविदाकार द्वारा की जाएगी। सीमेंट और इस्पात की आपूर्ति भी संविदाकार द्वारा की जाएगी।

2.7 पावर ट्रांसफार्मर और वितरण ट्रांसफार्मर जैसे सभी प्रमुख उपकरण पर उचित धातु के मार्किंग प्लेट होंगी जो उपकरण पर लगी होते हैं और इन पर अक्षर खुदा होता है 'आरईसी वित्त पोषित डीडीजी परियोजना के लिए'। सभी सब-स्टेशनों और पोल माउन्टेड वितरण ट्रांसफार्मरों की उचित आकार की उपयुक्तपहचान प्लेटें होंगी जिन पर सब-स्टेशन का नाम,गांव का नाम जहां स्थित हैं, निर्दिष्ट होंगे तथा अक्षर खुदे होंगे 'डीडीजी परियोजना के तहत आरईसी द्वारा वित्त पोषित'।

2.8 कोई अन्य मदें, जो विशेष रूप से विनिर्देश में उल्लिखित नहीं हैं परन्तु जो ट्रांसमिशन/वितरण लाइनों को खड़ा करने, जांचने, चालू करने और संतोषजनक प्रचालन के लिए अपेक्षित हैं, को विनिर्देश के क्षेत्र में शामिल माना जाएगा जब तक कि विशेष रूप से इन्हें छोड़ न दिया गया हो।

3.0 अर्हक अपेक्षाएं

3.1 बोलीकर्ता के लिए अर्हक अपेक्षाएं संविदा की इन विशेष शर्तों के अनुबंध-क (एससीसी), खण्ड-1 क में दी गई हैं।

4.0 मूल्य

4.1 बोली दस्तावेजों के तकनीकी विनिर्देश (टीएस), खण्ड-।। के अनुसार कार्य की पूर्णता के लिए सामान्यतया अपेक्षित मदों/उपकरणों/सामग्रियों/कार्यों (संक्षिप्तता के प्रयोजन से 'मदों ' के रूप में संदर्भित किया जाए) का वर्णन किया जाता है और मदों की अनुसूची तथा मूल्यों (मूल्य तालिका) में दिए जाते हैं जो बोली दस्तावेज के बोली प्रस्ताव शीट (बीपीएस), खण्ड-। ख का हिस्सा होते हैं। तथापि, संक्षिप्त विवरण कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं करेंगे और इसे संशोधन/शुद्धि,यदि कोई हो, सहित टीएस के तत्संबंधी खण्डों के साथ पढ़ा जाएगा।

4.2 बोलीकर्ता यथा प्रयोज्य एक्स वर्क्स/एक्स फैक्ट्री/एक्स शोरूम (एक्स वर्क्स के रूप में संदर्भित किया जाए) कीमत और परिवहन तथा बीमा प्रभार पृथक रूप से, बोली प्रस्ताव शीट (बीपीएस), खण्ड-1ख की प्रासंगिक तालिका में निर्दिष्ट सभी मदों की गंतव्य स्थल डिलीवरी के लिए कोट करेंगे। संविदा के तहत नियोक्ता और संविदाकार के बीच प्रत्यक्ष लेनदेन के संबंध में बिक्रीकर, उत्पाद शुल्क, स्थानीय कर, चुंगी/प्रवेश कर, यदि कोई हो, को कोट की गई कीमत में शामिल नहीं किया जाएगा परन्तु बीपीएस में जहां कहीं लागू हो, पृथक रूप से निर्दिष्ट किया जाए। साथ ही, खरीदी गई तैयार वस्तुएं, जिन्हें सीधे तौर पर उप-विक्रेता के वर्क्स से नियोक्ता के स्थल (परिवहन में बिक्री) तक डिस्पैच किया जाएगा, के संबंध में चुंगी/प्रवेश कर, यदि कोई, को उल्लेखित कीमत में शामिल नहीं किया जाएगा परन्तु बीपपीएस में जहां कहीं लागू हो, पृथक रूप से निर्दिष्ट किया जाए।

4.3 बोलीकर्ता बीपीएस की प्रासंगिक मूल्य तालिका के अनुसार सभी मदों की स्थापना, जांच एवं चालू करने (जिसमें अनलोड करने, संभालने, ढुलाई, भंडारण, बीमा आदि संबंधी प्रभार शामिल होंगे) हेतु प्रभार, उन मदों जिनकी स्थल तक आपूर्ति की जानी है और/अथवा स्थापित किया जाना है तथा टीएस में यथा विनिर्दिष्ट संबद्ध सिविल कार्यों के प्रभारों को पृथक रूप कोट करेगा। सभी उपकरणों/सामग्रियों/कल पुर्जों के लिए एक साथ इन प्रभारों, यथा प्रयोज्य, को बीपीएस की प्रासंगिक तालिका में निर्दिष्ट मदों के सामने उल्लेख किए जाने वाले स्थापना प्रभारों में शामिल माना जाएगा। इसके अलावा, संबद्ध सिविल कार्यों, बीपीएस में आपूर्ति मदों की तालिका में पृथक रूप से निर्दिष्ट नहीं, सहित ट्रांसमिशन लाइन की सफल स्थापना, जांच और चालू करने के लिए सभी अपेक्षित सामग्रियों की लागत को परन्तु टीएस के लिए अपेक्षित सामग्रियों की लागत को परन्तु टीएस के अनुसार अपेक्षित 'स्थापना प्रभार ' में शामिल माना जाएगा।

4.4 बोलीकर्ता संबंधित उपकरण की बोली कीमत में तकनीकी विनिर्देशनों के साथ निष्पादित किए जाने वाले टाइप टेस्ट और अन्य टेस्ट की लागत को शामिल करेगा और किसी टेस्ट के लिए पृथक प्रभार तथा उस पर सेवा कर संविदाकार को देय नहीं होगा।

4.5 बोली दस्तावेजों के संदर्भ में---------।।। द्वारा संविदाकार को यथा प्रतिपूर्ति योग्य, सेवा कर उद्धृत कीमत में शामिल नहीं की जाएगी, परन्तु बीपीएस में जहां कहीं लागू हो, पृथक रूप से निर्दिष्ट किया जाए।

5. **मूल्य समायोजन**

5.1 सामान्य

5.1.1 इस विनिर्देश के क्षेत्र के तहत शामिल समग्र कार्यों के निष्पादन के मूल्यों को बोलीकर्ता द्वारा बीपीएस में निर्दिष्ट रीति से कोट किया जाएगा। एक्स वर्क्स मूल्य घटक, से अग्रिम घटा कर, मूल्य समायोजन किया जाएगा, जो केवल नीचे दिए गए खण्ड 5.2 के अधीन विशेष रूप से वर्णित उपकरणों/सामग्रियों/कार्य की मदों के लिए है (जिसके लिए बोलीकर्ता आधार मूल्य कोट करेगा) और जो यहां पर दिए गए मूल्य समायोजन प्रावधानों के अनुसार पृथक सूत्र पर आधारित होगीः

5.1.2 नीचे दिए गए खण्ड 5.2 में विनिर्दिष्ट को छोड़कर सभी अन्य उपकरणों/मदों के लिए एक्स वर्क्स कीमत घटक हेतु मूल्य, उत्थापन प्रभार, अंतर्देशीय माल एवं बीमा के लिए प्रभार आदि फर्म (पक्के) होंगे और संविदा की संपूर्ण अवधि के दौरान इन घटकों के लिए कोई मूल्य समायोजन लागू नहीं होगा।

5.1.3 संविदाकार को अग्रिम भुगतान के रूप में देय संविदा मूल्य के भाग पर कोई मूल्य समायोजन लागू नहीं होगा।

5.2 लाइन सामग्री

(क) एएएसी कंडक्टर के लिए

कंडक्टर का एक्स वर्क्स मूल्य घटक, कम अग्रिम पर मूल्य समायोजन निम्नानुसार होगाः

$$dEC = ECc\ [0.80 \times \frac{(A_1 - A_0)}{A_0} + 0.05 \times \frac{(L_1 - L_0)}{L_0}$$

जहां

dECc= कंडक्टर के एक्स वर्क्स मूल्य पर देय मूल्य समायोजन राशि, शिपमेंटवार।

ECc= कंडक्टर के लिए एक्स वर्क्स मूल्य, शिपमेंटवार, घटाएं अग्रिम।

A = सीएसीएमएआई द्वारा यथा प्रकाशित/----------।।। के लिए स्वीकार्य राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रकाशित सूची के अनुसार ईसी ग्रेड एल्युमिनियम इनगोट के लिए प्रकाशित सूचकांक।

L= लेबर ब्यूरो, शिमला (भारत सरकार) द्वारा यथा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक।

एक्स वर्क्स मूल्य घटक का निर्धारित हिस्सा 0.15 होगा। यह किसी समायोजन के अधीन नहीं होगा।

5.2.1 कंडक्टर के एक्स वर्क्स मूल्य घटक के लिए मूल्य समायोजन किसी सीलिंग के बिना होगा।

5.3 उपर्युक्तमूल्य समायोजन सूत्र में अधोलिखित '0 ' बोली खुलने की तिथि से 30 दिन पूर्व संकेत का उल्लेख करता है (मूल तिथि सूचकांको के रूप में संदर्भित की गई है),

अधोलिखत '1 ' शिपमेंट तिथि से 60 दिन पूर्व सूचकांकों को संदर्भित करता है।

5.4 एक्स वर्क्स मूल्य घटक के लिए मूल्य समायोजन के प्रयोजनार्थ, माल के लिए शिपमेंट की तिथि से शिपमेंट की निर्धारित तिथि अथवा शिपमेंट की वास्तविक तिथि जो भी पहले हो, मानी जाएगी। शिपमेंट की निर्धारित तिथि अनुमोदित बार चार्ट द्वारा शासित डिस्पैच की एक्स वर्क्स तिथि होगी।

5.5 मूल डिलीवरी तिथियों से परे किसी मूल्य वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि नियोक्ता द्वारा जारी समय विस्तार पत्र, यदि कोई, में विशेष रूप से ऐसा उल्लेख न हो। परन्तु, नियोक्ता को संविदा मूल्य को कम करना होगा जो मूल डिलिवरी तिथियों से परे डिलीवरी की स्थिति में मूल्य समायोजन की राशि को कम करने के कारण हो सकता है। अतः मूल डिलीवरी तिथियों से परे माल की डिलीवरी की स्थिति में नियोक्ता की देयता मूल्य समायोजन की राशि को कम करने तक सीमित होगी जिसे माल के डिस्पैच की निर्धारित तिथि अथवा वास्तविक तिथि पर तैयार किया जाएगा।

5.6 किसी विशेष तिथि, जो मूल्य समायोजन प्रयोजन के लिए प्रयोज्य तिथि हो, को प्रयोज्य सूचकांक के प्रकाशित न होने की स्थिति में विशेष तिथि से तत्काल पूर्व लागू प्रकाशित सूचकांक प्रयोज्य होगा।

5.7 यदि मूल्य समायोजन राशि सकारात्मक निकलती है, तो यह नियोक्ता द्वारा संविदाकार को देय होगी और यदि यह नकारात्मक निकलती है तो इसे नियोक्ता द्वारा संविदाकार से वसूला जाएगा।

5.8 संविदाकार की गई आपूर्ति/किए गए कार्य के लिए मूल्य समायोजन बीजक शिपमेंट की तिथि/किए गए कार्य) चाहे यह सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक, की तिथि से तीन महीने के भीतर अवश्य प्रस्तुत करेगा।

5.9 बोली मूल्य समायोजन विवरणों के अनुरूप होगी जैसा कि ऊपर वर्णन है। चल आधार पर 5.12 में वर्णित मदों के लिए मूल्य विनिर्दिष्ट करने वाली बोली के अस्वीकृत होने का खतरा रहता है। निर्धारित मूल्य आधार पर प्रस्तुत बोली अस्वीकृत नहीं होगी परन्तु मूल्य समायोजन शून्य समझा जाएगा।

6.0 कर और शुल्क

6.1 कर और शुल्क बोली दस्तावेजों के खण्ड 14.0, धारा आईएनबी और खण्ड 16.0, धारा जीसीसी, खण्ड-। द्वारा शासित होगा।

6.2 इन कार्यों के संबंध में स्रोत पर करों एवं शुल्कों की सांविधिक कटौती----------।। की ओर से----------।।।द्वारा की जाएगी। इस प्रकार की गई टीडीएस की कटौती संबंधित कर प्राधिकरणों में जमा की जाएगी और टीडीएस प्रमाणपत्र ---------।।की ओर से----------।।। द्वारा उनके स्थायी एन सी नंबर और टीडीएसएनसी नंबर का उल्लेख करते हुए जारी किया जाएगा। संबंधित चलान और टीडीएस प्रमाणपत्र की प्रतियां आवश्यक रिटर्न भरने हेतु अग्रेषित की जाएंगी।

7.0 मूल्यांकन और तुलना का आधार

7.1 परियोजना डेवेलपर बनाओ, चलाओ, अनुरक्षण करो एवं सौंप दो (बीओएमटी) आधार पर पांच वर्षों में कार्यान्वित करेगा। संयत्र पांच वर्ष के बाद चालू स्थिति में राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। सभी प्रतिस्थापित कल पुर्जों को भी राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।

7.2 परामर्शदाता डीपीआर तैयार करते समय परियोजना की क्षमता का आकलन करेगा और इसे चालू करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए उत्पन्न की जाने वाली अपेक्षित बिजली तथा विद्युत भार का भी आकलन करेगा। भार का अभिकलन करते समय प्रत्येक घर के लिए 2 लाइट प्वाइन्ट (प्रत्येक 11/18 वाट का) और एक सॉकेट (40 वाट) पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि जब तक घर का मालिक और अधिक की मांग न करे।

7.3 परियोजना डेवेलपर ग्रामवासियों से टैरिफ की वसूली के लिए जिम्मेवार होगा।

7.4 परियोजना डेवेलपर का चयन निविदाओं के आधार पर होगा। निविदाएं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दो भागों में आमंत्रित की जाएंगी, पहले भाग में पूंजीगत लागत (उपर्युक्त 12.1 (क) के अनुसार) और दूसरे भाग में पांच वर्षों के लिए विद्युत सप्लाई करने की लागत (उपर्युक्त 12.1(ख) के अनुसार) शामिल होगी। परियोजना डेवेलपर को प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत और राजस्व वसूली के बीच अन्तर की प्रतिपूर्ति (वसूल किए गए टैरिफ के समायोजन के बाद) कार्यान्वयन एजेंसियों के सेवा प्रभारों (राज्य सरकारों के लिए 8प्रतिशत की दर से और सीपीएसयू के लिए 9प्रतिशत की दर से) में से की जाएगी। दूसरे भाग की बोली ऊपर वर्णित सेवा प्रभारों से अधिक नहीं हो सकती। केवल वे राज्य सरकारें जो परियोजना डेवेलपर को सेवा प्रभार देने का वचन देती हैं, डीडीजी परियोजनाओं को लेने के लिए पात्र होंगी। निविदाओं का मूल्यांकन संयुक्त रूप से दोनों भागों के लिए अर्थात पांच वर्षों के लिए साथ-साथ लिए गए पहले भाग और दूसरे भाग के लिए किया जाएगा। वचनबद्धताओं और आरजीजीवीवाई-डीडीजी उप घटक की शर्तों पर सहमति हेतु विद्युत मंत्रालय और परियोजना डेवेलपर की ओर से एसआरईडीए/राज्य यूटिलिटी/राज्य ऊर्जा विभाग तथा आरईसी के बीच त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर होगा। यह त्रिपक्षीय करार विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होगा। करार के भाग के रूप में (क) परियोजना डेवेलपर परियोजना क्षेत्र में टैरिफ की वसूली के लिए अधिकृत होगा और (ख) राज्य सरकार प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा राजस्व आय के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति परियोजना डेवेलपर को कार्यान्वयन एजेंसियों के सेवा प्रभारों में से करने पर सहमत होगी।

7.2 बोलीकर्ता द्वारा पेशकश की गई किसी शर्तबंद छूट/रिबेट पर मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। परन्तु इस पर अवार्ड की स्थिति में विचार किया जाएगा।

7.3 इस खण्ड में खण्ड 10.0 शीर्षक 'कार्य अनुसूची ' के तहत विनिर्दिष्ट तारीख से परे चालू करने की तारीख को निर्धारित करने वाली बोली के अस्वीकृत होने का खतरा रहता है।

7.4 ऐसी सभी मदों के मूल्य, जिनका बोलीकर्ता ने अनुसूची में दरों/राशियों का उल्लेख नहीं किया है (अर्थात् मद जो खाली हैं अथवा जिनके सामने '- ' निर्दिष्ट हैं) को अन्य मदों में शामिल किया गया माना जाएगा।

7.5 उपकरणों/सामग्रियों का विवरण, प्रदर्शन और क्षमता

(क) बोलीकर्ता तकनीकी विनिर्देश के प्रत्युत्तर में विभिन्न उपकरणों/सामग्रियों के गारंटीड तकनीकी विवरणों, प्रदर्शनों अथवा क्षमताओं का उल्लेख करेगा। ऑफर किए गए माल में तकनीकी विनिर्देश में विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्वीकार्य विवरण/प्रदर्शन/क्षमता होगी जिन्हें प्रभावनीय माना जाएगा अन्यथा बोलियां अस्वीकृत की जा सकती हैं।

(ख) मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ, नीचे खण्ड 13.0 में निर्दिष्ट रूपए में प्रतिवाट विभेदक हानि के आधार पर समायोजन को बोली मूल्य में जोड़ा जाएगा।

8.0 भुगतान की शर्तें

संविदा के अधीन संविदाकार को भुगतान नियोक्ता द्वारा खण्ड 34.0, धारा जीसीसी, खण्ड 1 की तर्ज पर और यहां पर निर्दिष्ट मार्गनिर्देशों तथा शर्तों के अनुसार किया जाएगा। संविदा के दौरान किए गए सभी भुगतान केवल आन अकाउंट भुगतान प्रयोजन होंगे।

8.1 उपकरणों और सामग्रियों के एक्स वर्क्स मूल्य घटक का भुगतान निम्नानुसार होगाः

(i) अग्रिम भुगतानः एक्स वर्क्स मूल्य घटक का 15 प्रतिशत निम्नलिखित के प्रस्तुत करने पर प्रारंभिक अग्रिम के रूप में भुगतान किया जाएगाः

(क) संविदाकार द्वारा लेटर ऑफ अवार्ड की प्राप्ति।

(ख) संविदाकार के विस्तृत बीजक पर।

(ग) खण्ड 34.7.1 (क) (ख), धारा-जीसीसी, खण्ड-। के उपबंधों और खण्ड-1 की धारा-अनुबंध (संविदा की शर्तें) के साथ संबद्ध प्रोफार्मा के अनुसार अग्रिम के तुल्य राशि के लिए एक अशर्त और अटल बैंक गारंटी। प्रारंभ में उक्त बैंक गारंटी चालू करने के सफल पूर्णता हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात नब्बे दिनों तक वैध होगी और इसे समय-समय पर चालू करने सफल पूर्णता की वास्तविक तिथि से परे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि संविदा के अधीन आवश्यकता होगी।

(घ) खण्ड 41.0, धारा आईएनबी और नीचे खण्ड 11.00 के उपबंधों और खण्ड-। की धारा-अनुबंध के साथ संबद्ध प्रोफार्मा (संविदा की शर्तें) के अनुसार संविदा निष्पादन गारंटी (सीपीजी) के लिए पूंजीगत लागत (एससीसी) खण्ड 1 क धारा 2.4 में परिभाषित) के 10 प्रतिशत के लिए अशर्त और अटल बैंक गारंटी। उक्त बैंक गारंटी 2 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी और इसका 5 वर्षों तक तथा चालू होने की तिथि से 6 महीने के लिए नवीकरण किया जा सकता है।

(ड.) विस्तृत पीईआरटी नेटवर्क/बार चार्ट और नियोक्ता द्वारा इसका अनुमोदन।

(ii) शिपमेंट परः एक्स वर्क्स मूल्य घटक का 55 प्रतिशत सामग्रियों/मदों के निरीक्षण एवं जांच के सलतापूर्वक पूरा होने पर और नीचे निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगाः

(क) डिस्पैच का साक्ष्य (आर/आर अथवा प्राप्त किए गए एल/आर)

(ख) प्रत्येक शिपमेंट की वस्तुओं की पहचान करने वाली संविदाकार की विस्तृत बीजक और पैकिंग सूची।

(ग) बीमा पॉलिसी/प्रमाणपत्र

(घ) विनिर्माता/संविदाकार का गुणवत्ता गारंटी प्रमाणपत्र

(ड.) नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा जारी डिस्पैच के लिए सामग्री निरीक्षण मंजूरी प्रमाणपत्र (एमआईसीसी) और संविदाकार की फैक्ट्री निरीक्षण रिपोर्ट।

(च) जांच प्रमाणपत्र

(iii) अंतिम भुगतानः

उत्थापन मूल्य घटक के शेष 30 प्रतिशत का भुगतान 5 वर्ष की अवधि में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से डीडीजी इकाई, संविदा निष्पादन गारंटी के अधीन यथा परिभाषित, के सफल कार्यकरण के पश्चात् किया जाएगा।

8.2 अन्तर्देशीय परिवहन और बीमा प्रभार

अन्तर्देशीय परिवहन और बीमा प्रभार का भुगतान संविदार को अवार्ड पत्र में निर्दिष्ट इकाई दरों के अनुसार साइट पर सामग्रियों/मदों की प्राप्ति के पश्चात् और संविदाकार द्वारा सहायक दस्तावेजों सहित बीजकों के प्रस्तुतीकरण पर अनुपात आधार पर किया जाएगा। परन्तु, ये प्रभार इस शर्त पर सीमित होंगे कि सभी बीजकों का औसत अवार्ड पत्र में निर्दिष्ट कुल राशि से अधिक नहीं होगा।

8.3 उत्थापन मूल्य घटक (सिविल कार्यों सहित)

(i) कुल उत्थापन मूल्य के 10 प्रतिशत का भुगतान धारा जीसीसी (खण्ड-।) के खण्ड 34.7.1 (ii) में निर्दिष्ट शर्तों की शर्त पर प्रारंभिक अग्रिम के रूप में और निम्नानुसार किया जाएगाः

(क) अग्रिम भुगतान के लिए विस्तृत बीजक के प्रस्तुतीकरण पर।

(ख) संविदाकार के साइट कार्यालयों की स्थापना, स्टब सेटिंग कार्य के प्रारंभण और इंजीनियर द्वारा यह प्रमाणपत्र देने पर कि उत्थापन हेतु संतोषजनक गतिशीलता मौजूद है।

(ग) बोली दस्तावेजों के खण्ड 34.7.1 (ii) (ख) धारा-जीसीसी, खण्ड-1 के उपबंधों और खण्ड-1 की धारा अनुबंध (संविदा की शर्तें) के साथ संबद्ध प्रोफार्मा के अनुसार अग्रिम के तुल्य राशि के लिए----------।।के पक्ष में एक अशर्त और अटल बैंक गारंटी की प्रस्तुतीकरण। प्रारंभ में उक्त बैंक गारंटी चालू करने के सफल पूर्णता हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात नब्बे दिनों तक वैध होगी और इसे समय-समय पर चालू करने के सफल पूर्णता की वास्तविक तिथि से परे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, जैसाकि संविदा के अधीन आवश्यकता होगी।

(घ) खण्ड 41.0, धारा आईएनबी और नीचे खण्ड 11.0 के उपबंधों और खण्ड-1 की धारा अनुबंध के साथ संबद्ध प्रोफार्मा (संविदा की शर्तें) के अनुसार के अनुसार संविदा निष्पाद गारंटी (सीपीजी) के लिए पूंजीगत लागत (एससीसी खण्ड 1 क धारा 2.4 में यथा परिभाषित) के 10 प्रतिशत के लिए अशर्त और अटल बैंक गारंटी। उक्तबैंक गारंटी 2 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी और इसका चालू होने की तिथि से 5 वर्षों तक तथा 6 महीने के लिए नवीकरण किया जा सकता है।

(ii) परियोजना के चालू होने तक ऊपर बताए गए अनुसार विद्युत प्रदान करने की लागत रहित पूंजीगत लागत का 60 प्रतिशत, परियोजना पूर्णता से संबंधित।

(iii) स्थापना मूल्य घटक के शेष 30 प्रतिशत का भुगतान 5 वर्ष की अवधि में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से डीडीजी इकाई, संविदा निष्पादन गारंटी के अधीन यथा परिभाषित, के सफल कार्यकरण के पश्चात् किया जाएगा।

8.4 भुगतान के प्रयोजनार्थ चालू करने से तात्पर्य सभी आपूर्तियों, स्थापनाओं, चालू करने संबंधी जांचों के संतोषजनक रूप से पूरा होने और सभी साइट जांचों के सफलतापूर्वक पूरी होने यथा संविदा के अनुसार रेटेड वोल्टेज पर उपकरणों/सामग्रियों का सतत संवर्धन और नियोक्ता की संतुष्टि/अनुमोदन से है।

8.5 करों तथा शुल्कों के लिए भुगतान

संविदा के अनुसार----------।।। और संविदाकार के बीच प्रत्यक्ष लेनदेन तथा (--------।।।के लिए और की ओर से) द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति के संबंध में भारतीय कर विधि के अनुसार प्रयोज्य करों तथा शुल्कों की प्रतिपूर्ति दस्तावेजी साक्ष्य के एवज में प्रत्येक शिपमेंट के बाद की जाएगी। संविदा के अनुसार----------।।। (--------।।।के लिए और की ओर से) द्वारा की

जाने वाली प्रवेश कर/चुंगी की प्रतिपूर्ति गंतव्य साइट पर माल के प्राप्त होने के बाद की जाएगी। सेवा कर, जहां कहीं संविदा के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य है, की प्रतिपूर्ति सेवा के निष्पादित होने के बाद की जाएगी। करों तथा शुल्कों के लिए भुगतान की राशि--------।।। द्वारा सीधे संविदाकार को दस्तावेजी साक्ष्य सहित बीजकों के एवज में जारी की जाएगी। ये बीजक संविदाकार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।

8.6 मूल्य समायोजन के लिए भुगतान

8.6.1 उपर्युक्त खण्ड 5.0 के मूल्य समायोजन उपबंध के कारण संविदा मूल्य में कोई परिवर्तन मूल्य समायोजन के लिए प्रयोज्य विभिन्न सूचकों हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ उनमें विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार परिकलन द्वारा समर्थित बीजक के प्रस्तुतीकरण पर प्रभावी होगा।

8.6.2 उपर्युक्त खण्ड 5.0 के अनुसार मूल्य समायोजन उपबंध के कारण संविदा मूल्य में कोई वृद्धि निम्नानुसार देय होगीः

कंडक्टर की आपूर्ति के लिए, संबंधित शिपमेंट हेतु मूल्य समायोजन राशि के 90 प्रतिशत का भुगतान साइट पर उक्त शिपमेंट की प्राप्ति पर और शेष 10 प्रतिशत का भुगतान उपर्युक्त खण्ड 9.1.1 (त्त्) में वर्णित अंतिम भुगतान के साथ होगा।

8.6.3 उपर्युक्त खण्ड 5.0 के अनुसार मूल्य समायोजन उपबंध कारण संविदा मूल्य में कोई कमी संविदाकार के किसी बीजकों, जो भुगतान अथवा किसी अन्य भुगतान के लिए तत्काल देय हो, में से शत-प्रतिशत कटौती की राशि वसूल करने पर प्रभावी होगी।

8.7 भुगतान का तरीका

8.7.1 भुगतान संविदाकार के बीजक, जो हर तरह से पूर्ण और अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो तथा निर्धारित शर्तों, यदि कोई, को पूरा करता हो, की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर नियोक्त्ता द्वारा सीधे संविदाकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

8.7.2 संविदा के अधीन सभी बीजक संविदाकार द्वारा '----------।।। को '----------।।। ' के माध्यम से कार्य करते हुए प्रस्तुत किए जाएंगे और सभी भुगतान संविदाकार को '----------।।।ा द्वारा '----------।।। की ओर से किए जाएंगे।

8.8 यदि संविदा संयुक्त उद्यम के आधार पर दी जाती है, तो ऊपर उल्लिखित अग्रिम बैंक गारंटी और संविदा निष्पादन गारंटी संयुक्त संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी जिसमें संयुक्त उद्यम के सभी पार्टनर शामिल होंगे तथा संयुक्त उद्यम के किसी प्रमुख पार्टनर अथवा किसी एक पार्टनर के नाम पर नहीं होगी।

9.0 मात्रा परिवर्तन

बोली दस्तावेजों के खण्ड-1 बी, बोली प्रस्ताव शीट में दिए गए सभी उपकरणों/सामग्रियों की मात्रा अनंतिम है। मात्रा में परिवर्तन वैयक्तिक मदों के लिए 50 प्रतिशत तक और संविदा के तहत ऐसे सभी मदों के लिए कुल परिवर्तन संविदा मूल्य के 20 प्रतिशत तक सीमित होगी। 50 प्रतिशत से परे वैयक्तिक मदों के मात्रा परिवर्तन के संबंध में मामले को कार्यान्वयन एजेंसी के सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा। ट्रांसमिशन लाइनों की पूर्णता के लिए ऐसी अंतिम मात्राओं की आपूर्ति और निष्पादन के लिए संविदाकार उत्तरदायी होगा तथा उन्हें अवार्ड पत्र में निर्दिष्ट इकाई दर पर ऐसी अंतिम मात्रा हेतु भुगतान किया जाएगा।

10.0 कार्य समयतालिका

10.1 बोलीकर्ता अपने प्रस्ताव में पैकेज के तहत शामिल उपकरणों को प्रस्तुत और स्थापित करने वाले कार्यक्रम शामिल करेगा। कार्यक्रम बार चार्ट/मास्टर नेटवर्क के रूप में होगा जो कुल कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चरणों को अभिनिर्धारित करेगा जैसे कच्चे माल/खरीदी गई वस्तुएं/घटकों की प्राप्ति, विनिर्माण, टाइप जांच, सामग्रियों की आपूर्ति और फील्ड कार्य जैसे नींव, स्थापना, तार चढ़ाना आदि तथा ट्रांसमिशन लाइन की जांच एवं आरंभण/वितरण ट्रांसफार्मर/सेवा संबंध ताकि अवार्ड पत्र की तारीख से 15 महीनों के भीतर प्रत्येक पैकेज के तहत सभी उपकरणों/सामग्रियों की स्थापना, जांच और आरंभण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ।

10.2 समयतालिका अवार्ड-पत्र के जारी होने की जारीख से माना जाएगा। अवार्ड पत्र के जारी होने से 15 दिनों के भीतर संविदाकार बारचार्ट/पर्ट (पीईआरटी) नेटवर्क प्रस्तुत करेगा जो पुनरीक्षा और अनुमोदन के लिए अवार्ड पत्र में वर्णित सुपुर्दगी/स्थापना की तारीखों के अनुरूप होगा/बार चार्ट/पर्ट नेटवर्क के अनुमोदन के पश्चात ---------।।। द्वारा वांछित पर्याप्त संख्या में प्रिंट की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाएगी।

10.3 नीचे दिए गए खण्ड 12.0 के अनुसरण में पूर्णता में विलंब की स्थिति में लगाए जाने योग्य परिनिर्धारित नुकसानी के प्रावधान जांच और आरंभण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर वर्णित अवधि के पश्चात लागू होंगे।

11.0 संविदा निष्पादन गारंटी

11.1 खण्ड सं0.41.0, खण्ड-। की धारा आईएनबी और खण्ड सं0.32.0, खण्ड-1 की धारा-जीसीसी में निर्धारित शर्तों के अनुसार सफल बोलीकर्ता को---------।।। को पूंजीगत लागत (एससीसी खण्ड 1 ए धारा 2.4 में यथा परिभाषित) के 10 प्रतिशत के लिए एक संविदा निष्पादन गारंटी (सीपीजी) प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिसे अवधि वारंटी की सफल पूर्णता की वास्तविक तारीख से परे समय-समय पर 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है जैसाकि संविदा के तहत अपेक्षित हो। सफल बोलीकर्ता द्वारा बोली गारंटी 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसका नवीकरण चालू होने की तारीख से 5 वर्षों प्लस 6 महीने तक किया जा सकेगा।

12.0 पूर्णता में विलंब के लिए परिनिर्धारित नुकसानी

12.1 यदि संविदाकार ट्रांसमिशन लाइन को जांचने और चालू करने/वितरण ट्रांसफार्मर/सेवा संबंधों की सफल पूर्णता के संबंध में अवार्ड पत्र में दी गई विनिर्दिष्ट अवधि अथवा दिए गए समय विस्तार के भीतर कार्य को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे---------।।। को परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में न कि जुर्माना के रूप में विलंब के प्रत्येक सप्ताह अथवा उसके भाग के लिए संविदा मूल्य के आधा प्रतिशत का भुगतान करना पड़ेगा। तथापि संविदा के लिए परिनिर्धारित नुकसानी की राशि कुल संविदा मूल्य के 5 प्रतिशत तक अधिकतम सीमित होगी।

13.0 गैर निष्पादन के लिए कार्यात्मक, परिनिर्धारित नुकसानी (वितरण ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोज्य)

13.1 सफल डेवेलपर संविदा के अनुसार एक महीने में कम से कम 25 दिन अभिनिर्धारित समय पर प्रतिदिन 6-8 घंटे बिजली की अनिवार्य आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा नहीं होने पर डेवेलपर को बिजली की कम आपूर्ति के लिए 10 प्रतिशत की दर से परिनिर्धारित नुकसानी का भुगतान करना होगा। यह राशि परियोजना डेवेलपर के वार्षिक भुगतान से घटाई जा सकती है।

13.2 परियोजना डेवेलपर विद्युत संयंत्र के संचालन हेतु ग्रामीणों को प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13.3 पांच वर्ष के बाद, कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना को अपने अधीन लेने अथवा परियोजना के संचालन हेतु उसी एजेंसी अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का विकल्प होगा जो समझौता दर आधार अथवा सीमित अथवा खुले निविदा आधार पर होगा।

13.4 यदि ग्रिड पावर गांव में 5 वर्ष से पहले पहुंचती है तो डीडीजी परियोजना से उत्पन्न पावर का निर्यात ग्रिड को किया जा सकता है और ग्रिड से तब आयात किया जा सकता है, जब ऐसा करने की आवश्यकता हो।

13.5 परियोजना डेवेलपर को डीडीजी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु अन्य स्रोतों से अतिरिक्तसहायता/निधियों को जुटाने की अनुमति दी जाएगी।

13.6 डीडीजी परियोजनाओं की सततता के लिए लाइटिंग से परे जाना महत्वपूर्ण है और डीपीआर तैयार करने वाले परामर्शदाता भी कुछ गैर घरेलू/उत्पादनकारी कार्यों को शामिल करेगा जो इन गांवों के समग्र विकास में सहायक होंगे।

13.7 डीडीजी परियोजनाओं के लिए रकम के अर्थ में फ्लैट दर का भुगतान किया जाएगा/लाइट प्वाइंट/महीना कि.वा. प्रति घंटा विद्युत की परंपरागत बिक्री की तुलना में शुल्क दर स्थापित करने का अधिक व्यवहारिक तरीका है। संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी विद्युत प्रभारों के लिए परियोजना डेवेलपरों को मार्गनिर्देश जारी करेगी।

14.0 विद्युत, जल और संचार

संविदाकार ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण/स्थापना के लिए विद्युत, जल, टेलीफोन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था स्वयं अपनी लागत पर करेगा।

15.0 संविदाकार के कार्यालय, भंडार, कार्यशाला आदि के लिए भूमि

संविदाकार संविदा के निष्पादन के लिए यथा आवश्यक अपने फील्ड कार्यालय, कार्यशाला, भंडारों के निर्माण, पृथक स्थानों में विस्फोटकों के लिए मैगजीन के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था स्वयं अपनी लागत पर करेगा। कार्यान्वयन एजेंसी

(i) भूमि अधिग्रहण और योजना के निष्पादन में सहायता करेगी

(ii) परियोजना डेवेलपरों की सामुदायिक गतिशीलता और डीडीजी के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा उपकरणों के पर्याप्त एवं सुरक्षित उपयोग में सहायता करेगी।

16.0 प्रगति रिपोर्ट

16.1 संविदा के निष्पादन के दौरान संविदाकार------।।। द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में------।।। को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें माह के दौरान हासिल की गई प्रगति, और ऊपर वर्णित कार्यक्रमों/अनुसूचियों में शामिल गतिविधियों के संबंध में पूरा होने की निर्धारित और पूर्वानुमानित तारीखों के एवज में उस माह तक कुल प्रगति का उल्लेख होगा। यदि------।।। द्वारा मांगी जाती है तो संविदाकार को विनिर्दिष्ट प्रारूप और समय अनुसूची में------।।। संसाधन डाटा भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। संविदाकार को कोई अन्य सूचना भी प्रस्तुत करनी पड़ेगी जो प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, यदि ------।।। द्वारा मांगी जाती है।

17.0 अधिशेष सामग्री

17.1 कार्यों की समाप्ति पर, स्थापना के लिए------।।। द्वारा आपूर्ति की गई ऐसी सभी सामग्रियों जिनका उपयोग नहीं होता है, को संबंधित खण्ड के उपबंध के अनुसार विभिन्न लाइन सामग्रियों के लिए स्वीकृत अपशिष्ट को छोड़कर इंजीनियर को लौटाना होगा और ऐसा------।।। के भंडार में संविदाकार के व्यय पर होगा।

17.2 संविदाकार पैकेज के अधीन उपकरण सामग्रियों के अधीनीकरण से दो महीने के भीतर अधिशेष सामग्रियों को लौटा देगा और उनके लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा न होने पर बची हुई सामग्रियों की लागत की वसूली अनिवार्यतः संविदाकार के शेष बिलों से की जाएगी जैसाकि इंजीनियर द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

18. गुप्त त्रुटि वारंटी

18.1 खण्ड 15.0, धारा जीसीसी, खण्ड-1 के संदर्भ में गुप्त त्रुटि वारंटी की अवधि गारंटी अवधि की समाप्ति की तारीख से 10 वर्षों तक सीमित होगी।

19.0 प्राथमिक उपचार

कार्यस्थल पर आपातकाल/दुर्घटना से निपटने के लिए संविदाकार अपनी लागत पर अस्पताल तक पहुंचने हेतु ऐसी सभी व्यवस्थाएं, जैसे एम्बुलेंस आदि की सेवा का प्रबंध करेगा।

20. बोलियों का प्रस्तुतीकरण

20.1 बोलीकर्ताओं द्वारा खण्ड-1 की धारा-आईएनबी के खण्ड 24.0 और बोली (आईएनबी) के आमंत्रण में यथानिर्दिष्ट अनुसार बोली प्रस्तुत की जाएगी। तथापि, बोलीकर्ताओं के लिए बोली की केवल तीन प्रतियां (अर्थात एक मूल और दो प्रतियां) तैयार और प्रस्तुत करना अपेक्षित है तथा अर्हक डाटा पर स्पष्टतः चिह्नित हो 'मूल बोली ' और 'बोली की प्रति '।

21 बोली गारंटी

21.1 पृथक मोहरबंद कवर में बोली गारंटी के साथ खण्ड 22.0, धारा आईएनबी, खण्ड-1 में निर्धारित रीति से नीचे निर्दिष्ट राशि के लिए मूल रूप में बोली और मूल बोली की दो प्रतियां, प्रत्येक पैकेज के लिए अलग-अलग, लगी होंगीः

पैकेज	राशि

21.2 जिस बोली के साथ खण्ड 22.0, धारा आईएनबी, खण्ड-1 में यथा निर्धारित रीति से बोली गारंटी लगी नहीं होगी, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और बिना खोले लौटा दिया जाएगा।

21.3 यदि बोली संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो बोली गारंटी संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी जिसमें संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार शामिल होंगे और प्रमुख पार्टनर अथवा केवल संयुक्त उद्यम के किसी एक पार्टनर के नाम पर नहीं होगी।

अनुबंध-क (एससीसी)

बोलीकर्ता की अर्हता

बोलीकर्ता की अर्हता बोलीकर्ता के तकनीकी अनुभव, विनिर्माण/निर्माण सुविधाएं और तत्संबंधी बोली अनुसूची में बोलीकर्ता के प्रत्युत्तर द्वारा यथा प्रदर्शित वित्तीय स्थिति के संबंध में अधोलिखित भाग-क में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सफल/असफल मानदंडों को पूरा करने पर आधारित होगी। बोलीकर्ता के लिए उनकी बोली के भाग-ख में विनिर्दिष्ट सूचना को भी प्रस्तुत करना होगा। उप संविदाकार के तकनीकी अनुभवों और वित्तीय संसाधनों को बोलीकर्ता के अर्हक मानदंडों के अनुपालन को निर्धारित करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा। बोली किसी वैयक्तिक फर्म अथवा कंर्सोटियम द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।

ऊपर वर्णित किन्ही अन्य बातों के होते हुए भी नियोक्ता के पास बोलीकर्ता की क्षमता एवं सामर्थ्य के मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित है, नियोक्ता की समग्र रुचि में ऐसे मूल्यांकन के लिए परिस्थिति होनी चाहिए। ----------।।। के पास लघु विचलन से छूट देने का अधिकार सुरक्षित है बशर्ते कि वे संविदा के निष्पादन हेतु बोलीकर्ता के सामर्थ्य को आर्थिक रूप से प्रभावित न करें ।

1.0 भाग-क

1.1 पिछले वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को समाप्त तारीख से विगत 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर अनुमानित लागत का कम से कम 30 प्रतिशत होना चाहिए।

1.2 पिछले माह के समाप्त होने वाले अंतिम दिवस, जिस दिन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, से विगत 7 वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए इसी प्रकार के कार्यों के अनुभव को निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिएः

(क) इसी प्रकार पूर्ण किए गए कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 40 प्रतिशत के बराबर राशि से कम न हो, अथवा

(ख) इसी प्रकार पूर्ण किए गए दो कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत के बराबर राशि से कम न हो, अथवा

(ग) इसी प्रकार पूर्ण किया गया एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80 प्रतिशत के बराबर राशि से कम न हो।

1.3 बोलियां वैयक्तिक फर्मों अथवा फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं-

(क) एक एकल फर्म जो उपर्युक्त भाग-क के 1.1 में निर्धारित सभी अर्हक अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(ख) फर्मों का संयुक्त उद्यम जहां कोई एक पाटर्नर उपयुक्त भाग-क के पैरा 1.1 और 1.2 में निर्धारित अर्हक अपेक्षाओं को पूरा करता है।

1.4 संयुक्त उद्यम के प्रत्येक पार्टनर के आंकड़े को बोलीकर्ता के उपर्युक्त भाग-क के पैरा 1.3 (क) और (ख) में निर्धारित न्यूनतम अर्हक मानदंडों के अनुपालन को निर्धारित करने के साथ जोड़ा जाएगा; तथापि संयुक्त उद्यम के लिए अर्हता पूरी करने हेतु, संयुक्त उद्यम के पार्टनर (रों) को निम्नलिखित न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करना चाहिएः

(i) प्रमुख पार्टनर भाग-क के पैरा 1.3 (क) एवं (ख) में दिए गए उन न्यूनतम मानदंडों को पूरा करेगा जो 40 प्रतिशत से कम न हो।

(ii) प्रत्येक अन्य पार्टनर भाग-क के पैरा 1.3 (क) एवं (ख) में दिए गए उन न्यूनतम मानदंडों को पूरा करेगा जो 25 प्रतिशत से कम न हो।

इस अपेक्षा का अनुपालन नहीं होने पर संयुक्त उद्यम की बोली अस्वीकृत हो जाएगी। उप संविदाकार के अनुभवों और संसाधनों को बोलीकर्ता के अर्हक मानदंडों के अनुपालन को निर्धारित करने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

1.5(क) पार्टनरों में से कोई एक पार्टनर प्रमुख पार्टनर होगा और प्रमुख पार्टनर देयताओं को अपने ऊपर लेने तथा संयुक्त उद्यम के किसी एक अथवा सभी पार्टनरों के लिए और की ओर से निदेश प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होगा तथा भुगतान की प्राप्ति सहित संविदा का संपूर्ण निष्पादन व्यापक रूप से प्रमुख पार्टनर के माध्यम से किया जाएगा। यह प्राधिकरण संविदा खण्ड-1 क की विशेष शर्त की धारा 'अनुबंध ' में प्रोफार्मा के अनुसार सभी पार्टनरों के वैध प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटार्नी द्वारा प्रस्तुत कर प्रमाणित किया जाएगा।

(ख) संयुक्त उद्यम के सभी पार्टनर संविदा निबंधन के अनुसार संविदा के निष्पादन हेतु संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे और संयुक्त उद्यम पार्टनरों द्वारा किए गए करार की प्रति जिसमें ऐसा उपबंध हो, बोली के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

इस संबंध में एक विवरण उपर्युक्त(क) के तहत वर्णित प्राधिकरण में और बोली प्रारूप में तथा संविदा प्रारूप (सफल बोली की स्थिति में) में शामिल की जाएगी।

2.0 भाग-ख

2.1 बोलीकर्ता अपनी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों/ब्यौरों को भी प्रस्तुत करेगा।

बोली के प्रस्तुतीकरण की तारीख से तत्काल पूर्व कंपनी के गत पांच वर्षों के लिए इसके स्वयं (पृथक) के लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण के साथ-साथ पूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन।

नोटः

1. यदि बोलीकर्ता सहायक कंपनी होने के कारण अपनी स्वयं की (अर्थात पृथक) सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ है और इनके लेखे इनकी ग्रुप/होल्डिंग/पैरेंट अपनी के साथ समेकित हो रहे हैं तो बोलीकर्ता को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, आय विवरण, केवल इससे संबंधित अन्य सूचना (न कि इनकी ग्रुप/होल्डिंग/पैरेंट कंपनी की) प्रस्तुत करना चाहिए जो किसी एक प्राधिकारी (i) बोलीकर्ता का वैधानिक लेखा परीक्षक/(ii) बोलीकर्ता का कंपनी सचिव अथवा (iii) एक प्रमाणित लोक लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित हो और वह प्राधिकारी प्रमाणित करेगा कि ऐसी सूचना/दस्तावेज लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित है, जैसा भी मामला हो।

ii. इसी प्रकार, यदि बोलीकर्ता एक ग्रुप/होल्डिंग/पैरेंट कंपनी है तो उसे अपनी स्वयं (अर्थात इनके सहायकों में से विशिष्ट) की उपर्युक्त दस्तावेज। सूचना उपर्युक्त नोट-। में वर्णित किसी एक प्राधिकारी

द्वारा विधिवत् प्रमाणित, प्रस्तुत करनी चाहिए और वह प्राधिकारी प्रमाणित करेगा कि ये सूचनाएं/दस्तावेज लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित हैं, जैसा भी मामला हो।

2.2 मुकदमेबाजी का इतिहास

बोलीकर्ता को विगत पांच वर्षों के दौरान इसके द्वारा पूर्ण किए गए अथवा निष्पादनाधीन संविदा से उत्पन्न किसी मुकदमेबाजी अथवा पंचाट के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराना चाहिए। बोलीकर्ता अथवा संयुक्त उद्यम के किसी पार्टनर के विरूद्ध लगाए गए अर्थदंड के लगातार इतिहास से बोली अस्वीकृत हो सकती है।

3.0 ऊपर वर्णित अन्य बातों के होते हुए भी नियोक्ता के पास बोलीकर्ता की क्षमता एवं सामर्थ्य के मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित है, नियोक्ता की समग्र रुचि में ऐसे मूल्यांकन के लिए परिस्थिति होनी चाहिए। ----------।।।के पास लघु विचलन से छूट देने का अधिकार सुरक्षित है बशर्ते कि वे संविदा के निष्पादन हेतु बोलीकर्ता की सामर्थ्य को आर्थिक रूप से प्रभावित न करते हो।

अनुबंध-ख (एससीसी)

बोलीकर्ता/संविदाकार के साथ-साथ विनिर्माता द्वारा संयुक्तवचन का प्रोफार्मा

उचित मूल्य के गैर न्यायिक स्टांप पेपर

यह वचन विलेख 2000 के----------माह के--------दिन को और----------द्वारा----------, के नियम के अधीन अंतर्विष्ट एक कंपनी जिनका पंजीकृत कार्यालय--------में है (जिसे इसके पश्चात् 'विनिर्माता ' कहा जाएगा जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी, निष्पादक और अनुज्ञप्त कार्यकारी शामिल होंगे),---------के नियम के अधीन अंतर्विष्ट एक कंपनी जिनका पंजीकृत कार्यालय----------में है (जिसे इसके पश्चात् बोलीकर्ता/'संविदाकार ' कहा जाएगा जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी, निष्पादक और अनुज्ञप्त कार्यकारी शामिल होंगे) तथा-----।।। के पक्ष में----------के नियम के अधीन अंतर्विष्ट एक कंपनी जिनका पंजीकृत कार्यालय--------में है (जिसे इसके पश्चात् नियोक्ता कहा जाएगा जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी, निष्पादक और अनुज्ञप्त कार्यकारी शामिल होंगे) के बीच निष्पादित हुआ है।

जैसाकि 'नियोक्ता ' ने---------ट्रांसमिशन लाइन के निष्पादन हेतु नियोक्ता अभिकल्प, नींव की ढलाई, सभी प्रकार के टावरों की स्थापना, कंडक्टर और अर्थ वायर लगाना, ट्रांसमिशन लाइन की जांच और चालू करने के अनुसार टावर के कल-पुर्जों के विनिर्माण, संरचना, आपूर्ति हेतु बोली के विनिर्देशन संख्या के अनुसार बोली आमंत्रित की है।

और जैसाकि बोली दस्तावेजों का भाग बनने वाले खण्ड सं0.--------, धारा----------,--------का, खण्ड--------अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि विनिर्माता के साथ-साथ बोलीकर्ता भी अर्हक अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और टावर के कल-पुर्जों की गुणवत्ता तथा समय पर आपूर्ति के लिए संयुक्तरूप से और पृथक-पृथक बाध्य एवं जिम्मेदार होंगे यदि बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली नियोक्ता द्वारा संविदा के रूप में स्वीकार कर ली जाती है।

और जबकि बोलीकर्ता ने अपनी बोली नियोक्ता को टावर के कल-पुर्जों की आपूर्ति हेतु विनिर्माता के साथ संबंध के आधार पर प्रस्ताव सं..... दिनांक.....के तहत प्रस्तुत की है, अब इसलिए यह वचन निम्नानुसार साक्ष्य हैः

1.0 नियोक्ता द्वारा बोलीकर्ता को संविदा कार्य के विचारार्थ (जिसे इसके पश्चात् 'संविदा ' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) हम, विनिर्माता और बोलीकर्ता/संविदाकार एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हम संविदा विनिर्देशों के अनुसार साइट आधार पर गंतव्य डिलीवरी के लिए टावर के कल-पुर्जों के विनिर्माण, जांच, आपूर्ति हेतु----------के प्रति संयुक्तरूप से और पृथक-पृथक बाध्य होंगे।

2.0 इस वचन विलेख के संदर्भ में सामान्यतया और कुल उत्तरदायित्व को किसी भी रूप में प्रभावित किए बिना विनिर्माता नियोक्ता के परियोजना स्थल पर समय-समय पर अपने प्रतिनिधियों की प्रतिनियुक्तिके लिए सहमत है जैसा कि संविदा विनिर्देशों के अनुसार सामग्री के सफल निष्पादन और साइट आधार पर गंतव्य डिलीवरी के लिए विनिर्माण, जांच और आपूर्ति तथा उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियोक्ता, बोलीकर्ता/संविदाकार और विनिर्माता द्वारा पारस्परिक रूप से अनिवार्य समझा गया। इसके अलावा, यदि नियोक्ता को सामग्री (टावर पाट्र्स) के गैर निष्पादन के कारण कोई हानि अथवा क्षति होती है तो इसे संविदा के संदर्भ में बोली विनिर्देशों के अनुसार निष्पादन गारंटी से पूरा किया जाएगा। हम विनिर्माता और संविदाकार संयुक्तरूप से और पृथक-पृथक नियोक्ता को इनकी मांग पर बिना किसी आपत्ति के ऐसी हानि अथवा क्षति का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3.0 यह वचन विलेख भारत के कानून के अनुसार मान्य और प्रतिपादित होगा तथा वचन के तहत उत्पन्न सभी मामलों में दिल्ली के न्यायालय के व्यापक न्याय क्षेत्र में आएगा।

4.0 जमानत के रूप में, विनिर्माता संविदाकार के संविदा मूल्य के 15 प्रतिशत की निष्पादन गारंटी के अलावा नियोक्ता को स्वीकार्य प्रारूप में नियोक्ता के पक्ष में अपनी बैंक से संविदा निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार की गारंटी का मूल्य टावर पाट्र्स की लागत के 2 प्रतिशत के बराबर होगी। टावर पाट्र्स की आपूर्ति विनिर्माण द्वारा संविदा जिसे नियोक्ता द्वारा बोलीकर्ता/संविदाकार को दी गई है, में यथा अभिनिर्धारित के अनुसार की जानी है और यह संविदा के संदर्भ में इस वचन विलेख के विश्वसनीय निष्पादन/अनुपालन के लिए गारंटी का हिस्सा होगी। गारंटी अशर्त, अपरिवर्तनीय और संविदा की संपूर्ण अवधि अर्थात् संविदा के तहत वारंटी अवधि की समाप्ति तक होगी। बैंक गारंटी राशि मांग पर नियोक्ता को बिना किसी दुविधा अथवा आपत्ति के देय होगी।

5.0 हम, विनिर्माता/बोलीकर्ता/संविदाकार करार करते हैं कि यह वचन अटल और संविदा का अभिन्न हिस्सा होगा तथा इसके अलावा यह करार करते हैं कि यह वचन तब तक प्रवर्तनीय होना जारी रहेगा जब तक कि नियोक्ता इसे निरस्त न कर दे। यह संविदा की प्रभावी तारीख से लागू होगी।

जिसके साक्षी रूप में विनिर्माता और बोलीकर्ता/संविदाकार ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इन प्रस्तुतियों को निष्पादित किया है और पहली बार ऊपर वर्णित दिवस, माह और वर्ष को इनके संबंधित कंपनियों की मोहर लगाई है।

साक्षी

विनिर्माता के लिए

1. .....

(हस्ताक्षर)

(बड़े अक्षरों में नाम)

(कार्यालय का पता)

प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

नाम.....

कंपनी की सामान्य मोहर

.....

बोलीकर्ता के लिए

2. .....

(हस्ताक्षर)

(बड़े अक्षरों में नाम)

प्राधिकृत प्रतिनिधि

का हस्ताक्षर

नाम (कार्यालय का पता)

कंपनी की सामान्य मोहर

नोटः

(i) संयुक्तवचन का विलेख संबंधी निष्पादक (कों) के स्थानीय नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित होगा।

(ii) यदि बोली दो या दो से अधिक फर्मों के संयुक्तउद्यम द्वारा पार्टनर के रूप में प्रस्तुत की जाती है तो संयुक्तवचन विलेख को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

अनुबंध-ग (एससीसी)

पहुंच के प्रमाण अथवा क्रेडिट/सुविधाओं की उपलब्धता के लिए प्रारूप

बैंक प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स----------(पूरा नाम और पता), जो संदर्भ सं0.----------एवं दिनांक----------के तहत अपने निविदा विनिर्देशन के एवज में----------को अपनी बोली प्रस्तुत कर रहे हैं, विगत----------वर्षों से हमारे ग्राहक हैं।

हमारे बैंक के साथ उनका वित्तीय लेनदेन संतोषजनक रहा है। वे हमारे साथ गारंटियों एल/सी और अन्य क्रेडिट सुविधाओं सहित निम्नलिखित निधि आधार और गैर निधि आधार सीमाओं का उपयोग करते हैं जिनके संबंध में आज की स्थिति के अनुसार उपयोगिता की सीमा नीचे भी दी गई हैः

क्र. सं.	**सुविधा का प्रकार**	**आज की स्थिति के अनुसार स्वीकृत सीमा**	**आज की स्थिति के अनुसार उपयोग**

यह पत्र मैसर्स----------के अनुरोध पर जारी किया जा रहा है।

ह./-

बैंक का नाम.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

पदनाम.....

दूरभाष सं.....

पता.....

बैंक की मोहर

अनुबंध-घ (एससीसी)

संयुक्त उद्यम के लिए मुख्तारनामा का प्रपत्र (संयुक्त उद्यम के नाम पर खरीदे जाने वाले उचित मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन प्रस्तुतियों द्वारा सभी व्यक्तियों को ज्ञात हो कि हम पार्टनर जिनके ब्यौरे यहां पर----------दिए गए हैं, ने----------नियम के अधीन एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है और हमारा पंजीकृत कार्यालय (यों)/प्रधान कार्यालय (यों)----------में है(जिसे इसके पश्चात् 'संयुक्त उद्यम ' कहा जाएगा जिसकी अभिव्यक्ति यदि संदर्भ अथवा अर्थ से प्रतिकूल न हो तो इसमें, इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक और अभिन्यासी भी शामिल होंगे) मैसर्स----------जो प्रभारी पार्टनर हैं, के माध्यम से कार्य करते हुए एतद्द्वारा मैसर्स----------नियम के अधीन अंतर्विष्ट एक कंपनी का गठन, नाम निर्देशन और नियुक्ति करते हैं और इसका पंजीकृत/प्रधान कार्यालय----------में है जो हमारा विधिवत रूप से गठित अटार्नी है (जिसे इसके पश्चात् 'अटार्नी ' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि ' या 'प्रभारी पार्टनर ' कहा जाएगा) जो निम्नलिखित अधिनियमों के पालन हेतु----------।।। के पैकेज के निर्माण (जिसे इसके पश्चात् 'नियोक्ता ' कहा जाएगा) और बोलियां जो नियोक्ता द्वारा आमंत्रित की गई हैं, के लिए विनिर्देश सं.----------के संबंध में संयुक्त उद्यम के लिए और की ओर से सभी अथवा किन्हीं अधिकारों का उपयोग करेंगेः

(i) प्रस्ताव प्रस्तुत करना और 'संयुक्त उद्यम ' की ओर से नियोक्ता के उपर्युक्त बोली विनिर्देश में शामिल होना।

(ii) नियोक्ता के साथ उपर्युक्त बोली के अनुसरण में संविदा के अवार्ड के लिए निबंधन एवं शर्तों पर बातचीत करना तभी 'संयुक्त उद्यम ' के लिए और की ओर से नियोक्ता के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करना।

(iii) उपर्युक्त के संबंध में कोई अन्य कार्य करना अथवा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना।

(iv) 'संयुक्त उद्यम ' के लिए और की ओर से संविदा प्राप्त, स्वीकार और निष्पादित करना।

यह स्पष्टतः समझ लिया गया है कि प्रभारी पार्टनर (प्रमुख पार्टनर) संविदा (संविदाओं) का निष्पादन सुनिश्चित करेगा और यदि एक या एक से अधिक पार्टनर संविदा (ओं) के अपने संबंधित भाग को निष्पादित करने में असफल रहते हैं तो इसे सभी पार्टनरों की चूक समझा जाएगा।

यह स्पष्टतया समझ लिया गया है कि यह मुख्तारनामा संविदा के संदर्भ में त्रुटि देयता अवधि की पूर्णता तक बाध्यकारी और अटल रहेगा।

संयुक्त उद्यम एतद्द्वारा अटार्नी/प्राधिकृत प्रतिनिधि/बोली में उद्धृत प्रभारी पार्टनर, जो कोई भी हो, सभी का अनुसमर्थन और सुनिश्चित करने के लिए सहमत हैं और वचन देते हैं, नियोक्ता के साथ संविदा पर बातचीत करते हैं और हस्ताक्षर करते हैं और/अथवा इस मुख्तारनामा के माध्यम से संयुक्त उद्यम की ओर से कार्य करने का प्रस्ताव करते हैं तथा यह संयुक्त उद्यम के लिए वैसे ही बाध्यकारी होगा मानो इसके द्वारा किया गया हो।

जिसके साक्षी में उपर्युक्त अनुसार संयुक्त उद्यम का गठन करने वाले पार्टनरों ने अपनी कंपनी की सामान्य मोहर के तहत----------के इस----------दिन को इन प्रस्तुतियों को निष्पादित किया है।

संयुक्त उद्यम के पार्टनरों के लिए और की ओर से

.....

.....

संयुक्त उद्यम के उपर्युक्त पार्टनरों की सामान्य मोहर :
की उपस्थिति में यहां पर सामान्य मोहर लगाई गई है :

साक्षी

1. हस्ताक्षर.....
   नाम.....
   पदनाम.....
   व्यवसाय.....

. हस्ताक्षर.....
   नाम.....
   पदनाम.....
   व्यवसाय.....

अनुबंध- ड (एससीसी)

संयुक्त उद्यम करार का प्रारूप

(संयुक्त उद्यम के नाम पर खरीदे जाने वाले उचित मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

.....के बोली विनिर्देश संख्या के लिए.....और.....के बीच संयुक्त उद्यम करार का प्रोफार्मा

यह संयुक्त उद्यम करार.....2000और.....दिन और..... नियम के अधीन अंतर्विष्ट एक कंपनी मैसर्स.....और जिनका पंजीकृत कार्यालय.....में है (जिसे इसके पश्चात् 'पार्टनर ' कहा जाएगा जिस अभिव्यक्ति में इनके उत्तराधिकारी, निष्पादक और अनुज्ञप्त कार्यकारी शामिल होंगे) के बीच निष्पादित हुआ है जिसका उद्देश्य विनिर्देश संख्याः कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अंतर्विष्ट.....।।। के.....के निर्माण हेतु के एवज में बोली तैयार करना और संविदा पर हस्ताक्षर करना (अवार्ड की स्थिति में) और जिनका पंजीकृत कार्यालय.....में है (जिसे इसके पश्चात् 'नियोक्ता ' कहा जाएगा)।

जबकि नियोक्ता ने.....के लिए पैकेज के अधीन बोली दस्तावेजों में निर्धारित उपकरणों/सामग्रियों के डिजायन विनिर्माण, आपूर्ति और स्थापना, जांच और आरंभण करने के लिए ऊपर वर्णित विनिर्देशन के अनुसार बोली आमंत्रित की।

अनुबंध-क (बोलीकर्ता की अर्हक अपेक्षा), धारा-एससीसी, खण्ड-1 क, बोली दस्तावेजों का हिस्सा बनना, यह निर्धारित करता है कि पार्टनर के रूप में दो या दो से अधिक योग्य फर्मों का संयुक्त उद्यम यदि अनुबंध-क, यथा प्रयोज्य धारा एससीसी की अपेक्षाओं को पूरा करता हो, तो बोली लगा सकता है बशर्ते कि संयुक्त उद्यम अनुबंध-क, धारा एससीसी की अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा करता हो और ऐसी स्थिति में सभी पार्टनरों को बोली पर हस्ताक्षर करना होगा ताकि संयुक्त उद्यम के सभी पार्टनर कानूनन बाध्य हों जो संविदा एवं इसके अधीन सभी बाध्यताओं को पूरा करने हेतु संयुक्त रूप से एवं पृथक-पृथक उत्तरदायी होंगे।

इसके अलावा उपर्युक्त खण्ड यह स्पष्ट करता है कि संयुक्त उद्यम करार बोली से संबंधित होगी और संविदा निष्पादन गारंटी किसी एक पार्टी के लिए किसी प्रतिबंध अथवा देयता के बिना बोली दस्तावेज के साथ संलग्न फार्मेट के अनुसार होगी।

और जबकि बोली नियोक्ता को इन प्रस्तुतियों के अधीन सभी पार्टनरों के बीच संयुक्त उद्यम करार के आधार पर प्रमुख पार्टनर द्वारा प्रस्ताव संख्या.....दिनांक.....के तहत प्रस्तुत की

गई है और अनुबंध-क (बोलीकर्ता की अर्हक अपेक्षाएं), धारा-एससीसी की अपेक्षाओं के अनुसार सभी पार्टनरों द्वारा बोली पर हस्ताक्षर किया गया है।

अब यह दस्तावेज निम्नानुसार साक्ष्य हैः

उपर्युक्त आमुखों और करारों के विचारार्थ इस संयुक्त उद्यम के सभी पार्टनर एतद्द्वारा निम्नलिखित करार करते हैं कि -

1. नियोक्ता द्वारा संयुक्त उद्यम पार्टनरों को संविदा कार्य के विचारार्थ, हम, संयुक्त उद्यम करार के पार्टनर एतद्द्वारा सहमति देते हैं कि मैसर्स.....प्रमुख पार्टनर की भूमिका निभाएंगे और इसके अलावा यह घोषणा एवं सुनिश्चित करते हैं कि हम लोग संविदा के सफल निष्पादन के लिए नियोक्ता के प्रति बाध्य रहेंगे तथा संविदा के अनुसार उपकरणों के डिजायन, विनिर्माण, आपूर्ति और सफल निष्पादन के लिए पूर्णतया जिम्म्दार होंगे।

2. संयुक्त उद्यम करार के प्रमुख पार्टनर अथवा अन्य पार्टनर (रों) द्वारा उक्त संविदा के उल्लंघन की स्थिति में, पार्टनर एतद्द्वारा संविदा के सफल निष्पादन के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होने हेतु सहमत होंगे और संविदा की अपेक्षाओं के अनुसार संविदा के अधीन बाध्यताओं और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।

3. इसके अलावा यदि नियोक्ता को संविदा के किसी उल्लंघन अथवा संविदा के संदर्भ में विनिर्देशन के अनुसार निष्पादन की गई गारंटी को पूरा करने में उपकरणों के निष्पादन में किसी कमी के कारण कोई हानि अथवा क्षति होती है तो इन प्रस्तुतियों के पार्टनर नियोक्ता को हुई हानि अथवा इनकी मांग पर बिना किसी आपत्ति के भरपाई करने का वचन देते हैं। नियोक्ता के लिए अन्य पार्टनर (रों) के विरूद्ध कार्रवाई करने अथवा उनके साथ समझौता करने से पूर्व इन प्रस्तुतियों के प्रमुख पार्टनर के विरूद्ध कार्रवाई करना अनिवार्य अथवा बाध्यकारी नहीं होगा।

4. संविदा की संबंधित शर्तों के संयोजन से पठित उक्त संयुक्त उद्यम करार में निर्धारित बाध्यताओं के गैर निष्पादन से उत्पन्न किन्हीं विवादों के संबंध में नियोक्ता के लिए इस संयुक्त उद्यम करार के पार्टनरों की वित्तीय देयता किसी भी प्रकार से सीमित नहीं होगी ताकि संयुक्त उद्यम करार के किन्हीं पार्टनरों की देयता प्रतिबंधित या सीमित हो सके।

5. इस संयुक्त उद्यम करार के पार्टनरों के बीच यह स्पष्टतया ज्ञात और सहमति है कि प्रत्येक पार्टनर के उत्तरदायित्व और बाध्यताएं इस संविदा के परिशिष्ट-। (पार्टनरों द्वारा उचित रूप से

अंतर्विष्ट किए जाने हेतु) में वर्णानुसार होंगे। इसके अलावा पार्टनरों द्वारा यह सहमति भी दी जाती है कि उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं की उपर्युक्त साझेदारी किसी भी तरह से इस संविदा के अधीन पार्टनरों के संयुक्तऔर पृथक उत्तरदायित्वों की सीमा नहीं होगी।

6. यह संयुक्त उद्यम करार भारत के कानून के अनुसार मान्य और प्रतिपादित होगा तथा इसके तहत उत्पन्न सभी मामलों में दिल्ली के न्यायालय का व्यापक न्याय क्षेत्र होगा।

7. संविदा के अवार्ड की स्थिति में हम लोग संयुक्त उद्यम करार के पार्टनर एतद्द्वारा करार करते हैं कि हम लोग संविदा की मुद्रा/मुद्राओं में संविदा मूल्य के 15 प्रतिशत के क्रय हेतु स्वीकार्य मानकों में नियोक्ता के पक्ष में बैंक से संविदा निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने लिए संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक जिम्मेदार होंगे।

8. इसके अलावा, यह करार भी किया जाता है कि यह संयुक्त उद्यम करार अटल और संविदा का अभिन्न हिस्सा होगा तथा नियोक्ता द्वारा निरस्त करने तक प्रवर्तनीय होना जारी रहेगा। यह सभी प्रयोजनों और आशयों के लिए ऊपर वर्णित प्रथम तारीख से प्रभावी होगा।

जिसके साक्षी में संयुक्त उद्यम करार के पार्टनरों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इन प्रस्तुतियों को निष्पादित किया है और पहली बार ऊपर वर्णित दिवस, माह और वर्ष को इनके कंपनियों की सामान्य मोहर लगाई है।

1.	निदेशक बोर्ड के संकल्प दिनांक.....के अनुसरण में.....की साझा मोहर मेरी/हमारी उपस्थिति में लगाई गई है।		प्रमुख पार्टनर के लिए (प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)
	हस्ताक्षर..... नाम..... पद.....		नाम पदनाम कंपनी की सामान्य मोहर
2.	निदेशक बोर्ड के संकल्प दिनांक.....के अनुसरण में.....की सामन्य मोहर मेरी/हमारी उपस्थिति में लगाई गई है।		अन्य पार्टनरों के लिए (प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर)
	हस्ताक्षर..... नाम.....		नाम पदनाम

	पद.....		कंपनी की सामान्य मोहर
साक्षीः			
1.	..... (हस्ताक्षर) नाम..... (सरकारी पता)	2.	..... (हस्ताक्षर) नाम..... (सरकारी पता)